खण्ड-246, अंक-5
सोमवार, 12 फाल्गुन, शक संवत् 1885
(2 मार्च, 1964 ई0)

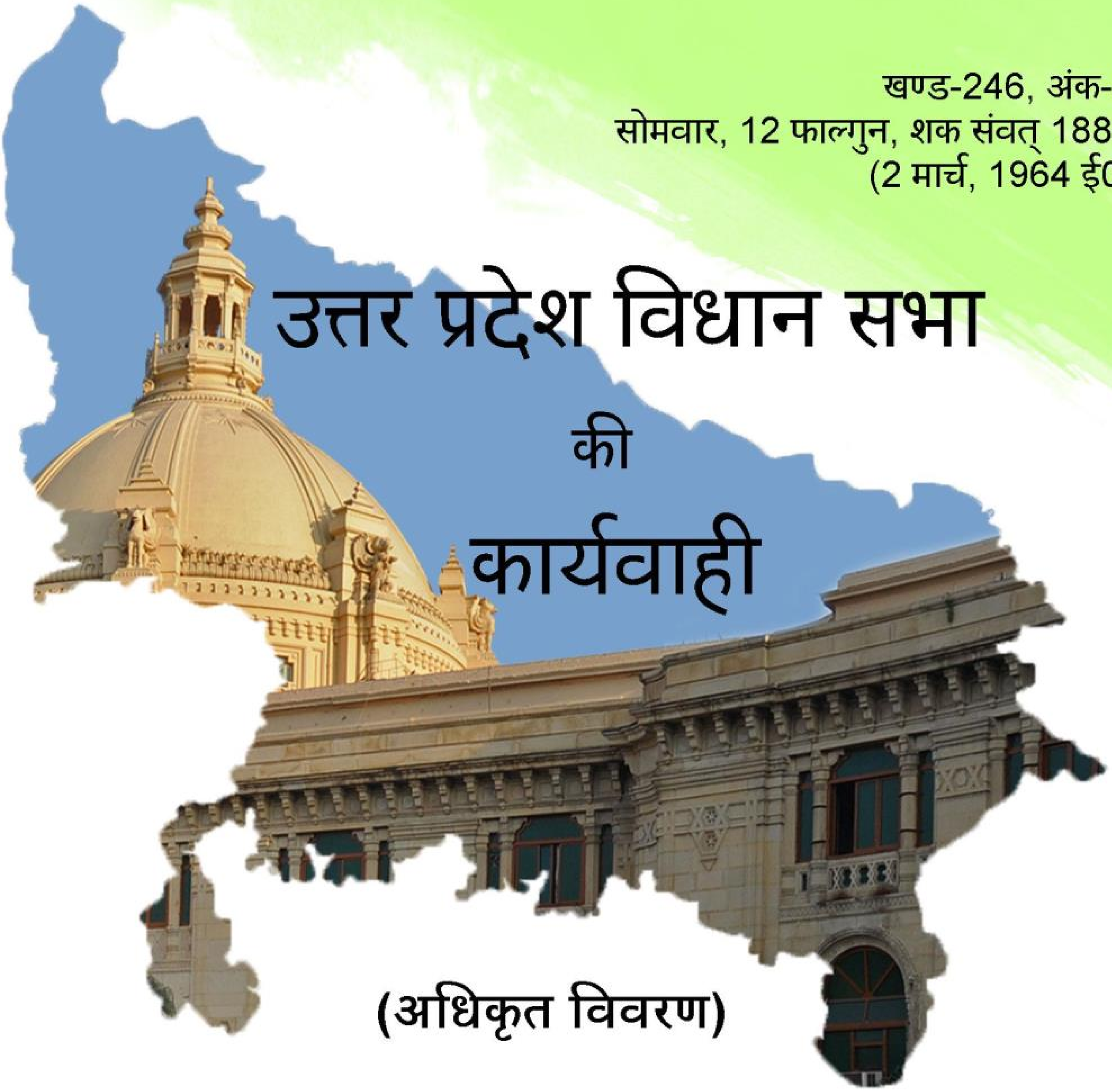

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 246 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४१५–४१८
प्रश्नोत्तर	४१८–४४१
कार्य-स्थगन प्रस्ताव (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) ..	४४१
हरगांव शुगर फैक्टरी क्षेत्र में सराय नदी का पुल बन्द कर दिये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	४४१
नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं (जारी)	४४२
१० फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न ५५ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के शोधन	४४२
नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं	४४२–४४३
विभागीय साहित्य न मिलने पर आपत्ति	४४३
१९६४–६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान –अनुदान संख्या १—बृहत् जोत-कर (स्वीकृत)	४४३–४४४
अनुदान संख्या ४०—दुर्भिक्ष सहायता (स्वीकृत) ..	४४४
अनुदान संख्या ८—राज्य विधान मंडल (स्वीकृत) ..	४४४
अनुदान संख्या १२—न्याय प्रशासन (स्वीकृत) ..	४४४–४४५
अनुदान संख्या २—भू-राजस्व (मालगुजारी) (स्वीकृत) ..	४४५–४८४
नत्थियां	४८५–४८६

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २ मार्च, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३०८

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री

घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीश प्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायण सिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती

बेचनराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री

वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
वीरसेन, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम तिवारी, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--गृह उप मन्त्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २ मार्च, १९६४

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिया गया तारांकित प्रश्न]

सुनारों को रोजगार

*१--श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकारी नौकरियों में सुनार जाति को कोई सुविधाएं दिये जाने के आदेश किये गये हैं ? यदि हां, तो केवल सुनार जाति को ये सुविधाएं दी जावेंगी या कि जो लोग सुनारी का कार्य करते थे उन सबों को यह सुविधाएं दी जावेंगी ?

रसद मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

जी नहीं ।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार इस विषय पर विचार करेगी कि जो लोग सुनारी का काम करते थे उनको या उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में कुछ सुविधाएं दी जायं ?

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

इस पर विचार किया जायगा ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

सरकार ने पूरे सूबे के स्तर पर इस संबंध में एक बोर्ड का निर्माण किया है तो क्या सरकार उसमें सुनारी पेशे के लोगों के प्रतिनिधियों के नाम भी रखेगी जो अभी तक नहीं हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जहां तक मुझे स्मरण है कुछ प्रनितिधि उन के एसोसियेशन के उस में हैं ।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्ण नियंत्रण कानून लागू होने के बाद जितने स्वर्णकार बेकार हुये हैं उनमें से कितनों को सरकारी नौकरियों में रखा गया है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्णकारों के लिये जो बोर्ड बना है उसके संबंध में जो केंद्रीय सरकार ने अहेतुक सहायता दी है उसके संबंध में अपने सरकुलर में केंद्रीय सरकार ने क्या व्यवस्था की है और क्या उसमें प्रादेशिक सरकार को आदेश दिया है कि उन लोगों को नौकरियों में प्राथमिकता दी जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उनका आदेश यह है कि जितने ऐसे दूकानदार हैं उन को नौकरियों में या छोटे-मोटे रोजगारों में जहां कहीं गुंजाइश हो कुछ प्राथमिकता देने की कोशिश की जाय ।

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि सुनारों को सुविधा देने के लिये उन का वर्गीकरण इम्पलायड और अनइम्पलायड का किया जा रहा है और उसमें क्या सरकार को कोई शिकायत मिली है कि गाजीपुर जिले में २५० में से केवल १५ को ही अनएम्पलायड माना गया है और बाकी को कोई सुविधा इस नाते नहीं दी जायगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

किसी विशेष जिले की जानकारी इस समय मुझे नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी की ओर से पूरे प्रदेश में इस तरह की कोई गणना की गई है कि कितने परिवार ऐसे हैं कि जो इस पेशे के छिन जाने से विस्थापित हो गये हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इस के लिये तो सूचना की आवश्यकता है ।

[२ मार्च, १९६४ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

चकिया तहसील में धान को क्षति

*१—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील चकिया, जिला वाराणसी में इस वर्ष धान की फसल में रोग पुआरी व झौसा अगरुआ बड़े पैमाने पर लग गया था ? क्या इस संबंध में सरकार ने कुछ गांवों की जांच जैसे अमरा, लालपुर, दुबेपुर, रामपुर, पिपरा, बरौंझी आदि का तहसीलदार चचिया द्वारा प्रबन्ध किया है ? यदि हां, तो हानि कितनी हुई और किसानों को क्या-क्या सुविधाएं छूट आदि की दी गईं ?

कृषि उप-मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार वाराणसी जिले की चकिया तहसील में धान की फसल में पुआरी रोग जिसे झवौंसा व अगरुआ भी कहते हैं, का प्रकोप खरीफ १९६३ में लगभग १५,१८५ एकड़ में हुआ। शिकायत प्राप्त होते ही तहसीलदार चकिया ने प्रत्येक गांव की जिसमें अमरा, लालपुर, दुबेपुर, रामपुर, पिपरी, बरौंझी आदि भी शामिल हैं, जांच कराई । रोग द्वारा हुई क्षति इतनी नहीं थी कि छूट आदि सुविधा की आवश्यकता हो ।

श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी पुनः इस की जांच कराने की कृपा करेंगे कि इस ब्लाक की ओर से जो प्रस्ताव पास कर के सरकार के पास प्रमुख ने भेजे थे और तहसीलदार को भी दिये थे तो क्या उसकी प्रतिलिपि मंगवा कर पुनः देखने की कृपा करेंगे कि जितना नुकसान बताया जाता है यह कम है और इससे ज्यादा का नुक्सान हुआ था ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

प्रस्ताव तो हमें प्राप्त नहीं हुआ दोबारा जांच करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिये...

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रश्न यह है कि वहां का प्रस्ताव मंगा कर देख लेंगे ।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

अगर प्रस्ताव आयेगा तो सरकार देखेगी ।

श्री ऊदल—

मंत्री जी बतायेंगे कि रोग उन्मूलन के लिये कृषि विभाग ने कौन-कौन से कार्य इस संबंध में किये ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जैसे ही इस बीमारी का पता चला कृषि अनुसंधान, वाराणसी क्षेत्र के अधिकारी और कार्यकर्ता वहां गये । चंदौसी और दूसरी तहसीलों में उन्होंने नाइट्रोजन और फास्फेट रासायनिक खादों का प्रयोग किया और उससे कुछ सफलता भी मिली । वहां से कुछ पौधे, जो हमारा कानपुर में रोग विशेषज्ञ है, उसके पास भेजे और उन्होंने जो सुझाव दिये उनका प्रयोग वहां किया गया ।

बाराबंकी जिले में शक्कर के लाइसेन्स

*२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या यह बात सही है कि जिला बाराबंकी में शक्कर के फुटकर विक्रेता नियुक्त करने हेतु आवेदन-पत्र देने की तिथि घोषित की गई और इसके अनुसार १११ लाइसेंस दिये गये? यदि हां, तो फिर हर न्याय पंचायत में एक लाइसेंस देने के शासकीय आदेशों के विरुद्ध बिना आवेदन-पत्र देने की तिथि घोषित किये ३१५ फुटकर लाइसेंस क्यों जारी किये गये?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जी हां। घोषित तिथि के अन्दर १११ फुटकर बिक्रेता नियुक्त किये गये। प्रत्येक न्याय पंचायत में एक दूकान खोलने के जो शासकीय आदेश दिये गये थे उनमें आवेदन पत्र देने की कोई तिथि घोषित नहीं की गई थी।

*३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि उक्त जिलों में हर तहसील को आबादी के अनुपात से शक्कर का कोटा नहीं दिया जाता है, बल्कि थोक लाइसेंसदारान की ए, बी, सी श्रेणी के रूप में कोटा वितरित होता है? यदि हां, तो क्यों?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जी हां। यह सही है कि हर तहसील को आबादी के अनुपात से शक्कर का कोटा नहीं दिया जाता और न ए, बी, सी श्रेणी के रूप में कोटा वितरित होता है। तहसीलों को लगभग समान कोटा दिया जाता है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि शासकीय आदेश के अनुसार १११ लाइसेंस हर अदालती पंचायत में दिये गये, लेकिन बाद में विभागीय कर्मचारियों ने लोगों से उपहार ले कर ३१५ और गलत तरीके से लाइसेंस दे दिये जो शासकीय आदेश के विपरीत थे? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। यदि माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो हम जांच करा लेंगे।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

जैसा शासकीय आदेश है और मंत्री जी कई बार सदन में कह भी चुके हैं कि प्रति व्यक्ति आधा किलो चीनी दी जायगी। हर व्यक्ति को तो जो लिखा गया कि हर तहसील को बराबर दी जाती है जब कि आबादी तहसीलों की कम और ज्यादा है, तो आबादी के हिसाब से क्यों नहीं दी जा रही है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैंने कहा था कि आधा किलो एक व्यक्ति को मिलेगी मगर जितनी उपलब्ध होगी उसी मात्रा में सबको तो नहीं मिल सकती। रही यह बात कि हर तहसील में आबादी के अनुपात से बटे ऐसा उचित ही है और इसके आदेश देंगे कि आबादी के हिसाब से दिया करें।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

इस बात को देखते हुए कि बाराबंकी पूर्ति कार्यालय में ऐसे कई कर्मचारी हैं जो १०, १५, २० साल से काम करते हैं और कई बार उनका तबादला भी हुआ और रोका भी गया और यह लोग बिजनेसमैन से मिल कर अपनी मोनोपली बनाये हुए हैं और तमाम गड़बड़ी व्याप्त है।

अतः मंत्री जी जांच करायेंगे कि ऐसे कौन से कर्मचारी हैं जो १५, २० साल से काम कर रहे हैं और उनके ट्रांसफर क्यों हुए तथा क्यों रोके गये और इस गड़बड़ी को दूर करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

गड़बड़ी रोकने के लिये तो हम बैठे ही हैं, मगर यह अर्ज है कि जब बदलूंगा तो कोई रोकने के लिये मुझसे कहने न आवे ।

श्री लखीसिंह---

मंत्री जी को ज्ञात है कि हर अदालती क्षेत्र में चीनी की दूकान तो है, लेकिन आधा किलो के हिसाब से २ महीने में एक परिवार को चीनी मिलती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

सम्भव हो ऐसा हो सकता है मगर उसको दूसरे महीने में मिल जायगी जो बाकी बचेगी रोटेशन से ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

मंत्री जी बतायेंगे कि यह अवसर जो आ रहा है विवाह-शादी का ऐसे अवसर पर कितना किलो चीनी देने का प्रबन्ध किया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

विवाह-शादी आदि में १ बोरी चीनी देते हैं, जिले में ।

खीरी तथा पीलीभीत उपनिवेशन योजना

*४---श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)---

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खीरी, पीलीभीत उप-निवेशन योजना कब से प्रारम्भ हुई और अब तक उस पर कितनी धनराशि खर्च हुई है ? क्या कृषि मंत्री उसका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

खीरी उपनिवेशन योजना मार्च, १९५५ में आरम्भ हुई और अब तक उस पर ७३,५६,७९६ रुपये खर्च हुए । पीलीभीत उपनिवेशन योजना जनवरी, १९५८ से आरम्भ हुई और अब तक उस पर ६१,१४,८५९ रुपये खर्च हुए । खर्च का विवरण तालिका 'क' में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४८५ पर)

*५---श्री मंगलदेव---

क्या जिन व्यक्तियों को इस योजना के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के जो ऋण दिये गये हैं उनकी सूची मय धनराशि के सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

सूची बहुत बड़ी है और इसकी प्रतियां बनाने में काफी समय लगेगा । माननीय सदस्य इसको कृपया मेरे कार्यालय में देखने का कष्ट करें ।

श्री मंगलदेव---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अधिक से अधिक और कम से कम ऋण कितना दिया गया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

खेतिहर मजदूरों को खाद, बैल और कृषि यंत्रों आदि खरीदने के लिये ५०० रुपया और जो उद्योगहीन शिक्षित हैं उनको १,००० रुपया दिया गया ।

श्री मंगलदेव---

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि लगभग १६ लाख रुपये अभी तक ऋण दिया गया है और कोई वसूली नहीं हुई है । मुझे जहां तक जानकारी है वह यह है कि गरीब से गरीब आदमियों के नाम पर धनी लोग कर्जा ले लेते हैं और देने में आनाकानी करते हैं । उनकी कुर्की भी होने पर वे रुपया देने लायक नहीं हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

माननीय सदस्य का कहना ठीक है कि वसूलयाबी में कुछ कठिनाइयां हैं । जो अधिकारी हैं, तहसीलदार और कोआपरेटिव विभाग के अधिकारी हैं वे वसूल करने की कोशिश करते हैं । कितना वसूल हुआ, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिन-जिन कार्यों के लिये ऋण दिया गया है क्या उन्हें जानकारी है कि उनमें कितने प्रतिशत इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

इसके लिए सूचना की आवश्यकता है ।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने परिवार अभी तक वहां बसाये जा चुके हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

लखीमपुर-खीरी उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत ६७५ परिवार बसाये गये हैं, जिनको एक कमरे वाला मकान दिया गया है ।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन परिवारों में कितने राजनीतिक पीड़ित थे और कितने पढ़े-लिखे परिवार हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

इसके लिए सूचना की आवश्यकता है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की सूचना है कि जो ६७५ परिवार, जैसाकि उन्होंने अभी बताया है, बसाये गये हैं और जिन लोगों से १६ लाख ऋण की आज वसूली इसलिए नहीं हो रही है कि बहुत से परिवार ऐसे हैं जो वहां नहीं रहते हैं और उन्हें भी ऋण दिया गया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

सरकार को ऐसी सूचना नहीं है कि ऐसे लोगों को ऋण दिये गये हैं ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब वहां घर और कितनी भूमि है जहां पर लोग जा कर बस सकते हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

इसके लिये भी सूचना की आवश्यकता है ।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिन ६७५ परिवारों को बसाने के लिये उन्होंने ऋण दिया, किन-किन कार्यों के लिए यह रुपया दिया है ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं बुलाया गया ।)

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

क्या माननीय कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिन ६७५ परिवारों को आपने खर्चा करके बसाया, उन परिवारों ने कुल कितनी जमीन तोड़ी और कितनी पैदावार आपकी बढ़ी है, कुछ आंकड़े हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

खीरी उपनिवेशन योजना में १० हजार एकड़ जमीन तोड़ी गयी और वह उन परिवारों को दी गयी । पीलीभीत उपनिवेशन योजना के आंकड़े नहीं है, सूचना की आवश्यकता है ।

खाद्य विभाग के कर्मचारी

*६--श्री कैलाश (जिला देवरिया)--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में खाद्य विभाग में कोई सीनियारिटी लिस्ट बनी है या नहीं ? यदि नहीं बनी है, तो क्यों तथा कब तक बन जाने की सम्भावना है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

जी हां, बनी है ।

*७--श्री कैलाश--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि किस किस रीजन में कितने गजटेड अफसर और नान-गजटेड स्टाफ को अब तक परमानेंट किया गया है तथा अन्य लोगों को परमानेंट करने में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

गजटेड अफसरों को गजटेड तथा सीनियर मार्केटिंग इन्स्पेक्टरों के पदों पर स्थायी करने के लिए लोक-सेवा-आयोग से पत्र-व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि बिना उनकी सहमति के ऐसे अधिकारियों को उक्त पदों पर स्थायी नहीं किया जा सकता है । नानगजटेड स्टाफ में से ४ कर्मचारियों को स्थायी कर दिया गया है । इनमें से २ लखनऊ रीजन तथा २ प्रोविन्शियल मार्केटिंग आफिसर (फूडग्रेन्स) आफिस के हैं । नानगजटेड स्टाफ के लिपिक वर्ग तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को स्थायी घोषित जगहों पर स्थायी करने के लिए कुछ दिन पूर्व सभी रीजनल फूड कन्ट्रालरों को आदेश जारी कर दिए गए हैं । निरीक्षक वर्ग के पदों पर कर्मचारियों का स्थायीकरण तभी संभव होगा जब कि गजटेड पदों पर अधिकारी स्थायी हो जायंगे, क्योंकि ऐसे अधिकारी जो गजटेड पदों पर स्थायी नहीं होंगे, निरीक्षक वर्ग के पदों पर स्थायी करने के लिए विचारित किये जायंगे ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि कुल कितने नानगजटेड एम्लाईज हैं खाद्य विभाग में और कितने नानगजटेड एम्पलाईज हैं और लखनऊ में प्रोन्विशियल मार्केटिंग आफिसर और रीजनल फूड कंट्रोलर के दफ्तर में केवल दो, दो की संख्या में परमानेन्ट करने का क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

लिस्ट के लिये सूचना की आवश्यकता होगी। नत्थी 'ख' लगी हुई है जिसमें ३५ नान-गजेटेड आफिसर को परमानेन्ट करने की सूचना दी गयी है।

श्री कैलाश---

कुल कितने गजटेड अधिकारियों का मामला सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिये सर्विस कमीशन में भेजा गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मैंने बतलाया सीनियर मार्केटिंग इंसपेक्टर लखनऊ रीजन में २, कानपुर में १, मेरठ में १, गोरखपुर में १ और पी० ए० ओ० के दफ्तर में १---यानी ६ हुए हैं।

श्री कल्पनाथसिंह---

जो लिस्ट नत्थी 'ख' माननीय मंत्री बतला रहे हैं वह उत्तर के साथ नहीं मिली है, इसलिये दिक्कत हो रही है। कृपया उसे आप पढ़ दें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

आपको मिली नहीं है। उत्तर में सप्लीमेंटरी के साथ मिली हुई है। मेरा ख्याल था कि आपके पास वह गयी होगी। कुल ६ आदमी हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

गजटेड और नानगजटेड अधिकारी कब से उन स्थानों पर काम कर रहे हैं और उनके स्थायी न करने का कारण क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

१-४-५९ को पहला बैच भेजा था और दूसरा १-४-६२ को। जैसा उत्तर में कहा गया है पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पहले जो गजटेड पोस्ट्स हैं उनके सेलेक्शन के लिये भेजी जाती हैं। वहां जिनका सेलेक्शन नहीं होगा तो उनको रिवर्ट किया जायगा नीचे को। इसलिये सब नीचे वालों को परमानेन्ट नहीं किया गया और उनके लिये कुछ स्थानों को रिक्त रखना पड़ा।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)---

यह लिस्ट कब बनी और किस आधार पर बनी है सीनियारिटी की ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

सीनियारिटी सर्विस के पीरियड के बेसिस किसी हायर पोस्ट पर आफिशिएट करने के बेसिस पर बनती रहती है। ये सब बातें सीनियारिटी लेने के लिये आधार मानी जाती हैं।

श्री ऊदल---

जो हमारे पांच कवाल टाउन्स हैं उनमें जो हेडक्लार्क शुरू से काम कर रहे हैं उनकी पदोन्नति आज तक नहीं हुई जब कि और जिलों में हेडक्लार्क सप्लाई अफसर तक हो गये। तो क्या उनके भी तबादले और प्रोमोशन के प्रश्न पर सरकार विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

तबादले के प्रश्न पर तो विचार कर सकते है मगर हेड क्लर्क से ऊपर उस लाइन में तो कोई चीज है नहीं ।

श्री कल्पनाथसिंह---

जब पोस्टें परमानेन्ट कर दी गयी हैं लेकिन अभी कर्मचारी परमानेन्ट नहीं किये गये और मंत्री जी ने जबाव में कहा कि गजेटेड आफिसर्स अगर पब्लिक सर्विस कमीशन से एप्रूव्ड नहीं होंगे तो वे नीचे को रिवर्ट किये जायेंगे । तो क्या वे फोर्थ क्लास में भी रिवर्ट कर के चले जायंगे जिसके कारण फोर्थ क्लास की भी परमानेन्सी रुकी हुई है ? मैं स्पष्ट यह जानना चाहता हूं कि फोर्थ क्लास, लिपिक वर्ग या इन्सपेक्टर्स की परमानेन्सी क्यों रुकी हुई है जबकि सरकार ने पोस्ट्स परमानेन्ट कर दी हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी ---

जहां तक ऐसी सर्विसेज का प्रश्न है जिनमें कोई असर नहीं पड़ेगा आर० एफ० सीज को हमने कह दिया है कि जल्दी करें ।

बलिया सप्लाई आफिस में नानमैट्रिक क्लर्क

*८---श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)---

क्या यह सही है कि बलिया सप्लाई आफिस में कोई ऐसा क्लर्क है जो नानमैट्रिक है और निर्धारित शिक्षा से मुक्त भी नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

एक क्लर्क नानमैट्रिक था किन्तु दिसम्बर, १९६३ में उसे शिक्षा योग्यता से मुक्त कर दिया गया है ।

*९---श्री गंगाप्रसादसिंह---

[१६ मार्च, १९६४ के लिए स्थगित किया गया ।]

मुरादाबाद जिले को नालीदार टीन

*१०---श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)---

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पहली जनवरी, १९६३ से ३० नवम्बर, १९६३ तक मुरादाबाद जिले को कुल कितने टन नालीदार टीन का कोटा एलाट किया गया ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

९६ मी० टन ५८० किलोग्राम ।

*११---श्री शराफत हुसैन रिजवी---

क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि पहली जनवरी, १९६३ से ३० नवम्बर, १९६३ तक मुरादाबाद जिले में कितने लोगों को एक टन व आधे टन नालीदार टीन का कोटा दिया गया और किस-किस काम के लिये दिया गया ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

३८ आदमियों को एक टन व आधा टन नालीदार टीन के परमिट दिये गये । यह टीन मकानात व पशुशाला इत्यादि बनान क लिये दिया गया ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी--

जिन ३८ आदमियों को एक टन और आधा टन टिन दी गयी है उनमें से जिन लोगों को एक टन दी गयी है उनके नाम क्या हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी--

अध्यक्ष जी, एक जिले की सूचना है और ३१ आदमियों के नाम दिये हुये हैं जिनको एक टन भी दिया है और आधा टन भी दिया है । अब एक टन पाने वालों की लिस्ट नहीं है तो इसका जबाव कैसे पूरा होगा ? मैं चाहता हूं कि इसके जबाव को आप स्थगित कर दें....

श्री अध्यक्ष--

आप तो नाम जानना चाहते हैं । इसके लिये वे कहते हैं कि अलग से प्रश्न करिये ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी--

मैं नाम इसलिये पूछ रहा हूं क्योंकि सवाल करने का मकसद नाम मालूम करना है....

श्री अध्यक्ष--

तो आप सवाल में ही पूछ लेते ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी--

मैं यह जानना चाहता हूं कि इन आदमियों में से वे हैं जिनको एक टन कोटा दिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

अगर यहां से दिये होते तो हम नाम बता देते । वह तो जिले में दिया है । अलग से प्रश्न कर लीजिये ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जिन लोगों को एक टन का कोटा दिया गया है उनमें से करीब ७० फीसदी आदमियों ने उस टिन को जिस काम के लिये कह कर उन्होंने लिया था उस काम में इस्तेमाल न करके उन परमिटों को बेंच लिया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

सरकार तो यही उम्मीद करती है कि जिस काम के लिये लिया उसी में इस्तेमाल किया । लेकिन अगर किसी ने नहीं किया तो उसकी जानकारी करा ली जायगी ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन ३८ आदमियों में से कितने को प्लानिंग के जरिये दिया गया और कितनों को व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिये दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह तो जनरल कोटा में से दिया गया है ।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या मंत्री जी को मालूम है कि टीन के कोटे जब दिये जाते हैं तो उनमें शर्त लगी होती है कि एक हफ्ते के अन्दर इस्तेमाल करके इत्तिला दें वरना प्रासीक्यूशन किया जायगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हां, कायदा तो ऐसा है ।

श्री जगदीशप्रसाद—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिनको एक-एक टन का परिमिट दिया गया उनके बारे में जांच कराई गई कि समय के अन्दर इस्तेमाल किया गया या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

गवर्नमेंट के पास इतनी मशीनरी नहीं है कि जिनको परमिट दे उन सबकी जांच करा ले । जब शिकायत आती है तो जांच होती है ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जिनको एक टन का परमिट दिया गया है ये वही आदमी हैं जिनको हर साल दिया जाता है और आम लोगों को नहीं दिया जाता है और नाम इसलिये छिपाये जा रहे हैं कि उनका संबंध एक ही पार्टी से है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अन्दरूनी बात तो आपको ज्यादा मालूम होगी ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय शराफत हुसैन जी आप नाम मुझे लिख कर दे दीजिये ।

कृषि फार्म

*१२—श्री कृष्णानन्दराय—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय प्रदेश में कितने तथा कितने क्षेत्र के सरकारी कृषि फार्म हैं और १९६२–६३ में उनमें से किन फार्मों में घाटा हुआ है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इस समय प्रदेश में कुल २०० सरकारी कृषि फार्म हैं, जिनमें से १५२ बीज सम्वर्धन फार्म हैं । क्षेत्र कृषि सरकारी फार्म के नाम से कोई फार्म नहीं है । १९६२–६३ के आय-व्यय का ब्योरा अभी इन फार्मों का तैयार नहीं हुआ है ।

श्री कृष्णानन्दराय—

क्या मंत्री जी को पता है कि जब से ये कृषि फार्म खुले हैं सदा घाटे पर चले हैं ? क्या कोई ऐसी योजना है जिससे ये मुनाफे पर आ जायं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

घाटे की कोई सूचना इस समय हमारे पास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

कभी आपको घाटे के बजाय मुनाफा हुआ ?

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)—

यह कहना सही नहीं होगा कि सारे कृषि फार्म हमेशा घाटे पर चलते हैं । बहुत से ऐसे फार्म हैं जो वर्षों मुनाफे पर चले । अगर आप आंकड़े चाहेंगे तो दे दिये जायेंगे ।

श्री कृष्णानन्दराय—

क्या मंत्री जी ने पता लगाया है कि कृषि फार्म्स टोटल इंवेस्टमेंट में से मुनाफे पर चले हैं या घाटा हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो उन्होंने कहा है कि अगर आप फिगर्स जानना चाहते हैं तो अलग से प्रश्न कर लीजिये।

श्री लखीसिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन फार्मों में से कितने ऐसे हैं जिनमें मुनाफा हुआ है और कितना हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी ने कहा है कि अगर आप अलग से फिगर्स जानना चाहेंगे तो बता दिये जायेंगे। इस समय उनके पास नहीं हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १९६२–६३ का हिसाब अभी तक न बनने का क्या कारण है और कब तक बनकर तैयार हो जायगा ?

श्री चरणसिंह—

इसके बारे मे डिपार्टमेंट से मालूम कर रहे हैं। वैसे कुछ मालूम भी है। एकाउंटिंग के तरीके में तब्दीली हुई है उसकी वजह से देरी हो रही है।

श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ६०–६१, ५९–६० और ५८–५९ में जब कि पूरे प्रदेश में ५९ अच्छी फसल हुई थी, उन दिनों में भी सरकारी कृषि फार्मों पर लाखों रुपये का घाटा हुआ है ? क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी हुई है ?

श्री चरणसिंह—

फार्मों की वर्किंग की जांच करने के लिये एक कमेटी सरकार ने बिठाई थी और कमेटी ने सिफारिशें की थीं। उन पर गवर्नमेंट अमल कर रही है। यह आम बात है। बाकी जहां तक फार्मों में नुकसान का संबंध है, उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट के ओवर हेड एक्सपेंसेज बहुत होते हैं जो कि किसान के नहीं होते क्योंकि गवर्नमेंट का जो ऐडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा होता है वह किसान अपने हिसाब में कभी नहीं लगाता है। इसके अलावा रिसर्च का काम होता है जिसमें आमदनी खास नहीं होती। उसकी वजह से कभी-कभी घाटा आता है। कुछ फार्म ऐसे हैं जिनमें जानवर रखे जाते हैं। वह बहुत ही कम मुनाफे का काम होता है। बाकी अगर यह ख्याल हो कि ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फी एकड़ किसान के प्रोडक्शन से कम है तो वह ख्याल ठीक नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी यह देखते हुये कि १९४८ से १९६२ तक सिर्फ एक साल १९५०–५१ में ४ लाख का मुनाफा हुआ स्टेट फार्म्स में, बाकी सालों में सब मिला कर १४ लाख का नुकसान हुआ है इसको देखते हुये क्या मंत्री जी पूरी जांच कमेटी बिठा कर उसकी पूरी रिपोर्ट सदन की मेज रर रखेंगे ?

श्री चरणसिंह—

जो आंकड़े माननीय मित्र पेश कर रहे हैं मुमकिन है कि वह सही हों लेकिन मैं उनको स्वीकार करने के लिये अभी तैयार नहीं हूं । अब तक जो मैंने कहा, कमेटी बिठाई, रिपोर्ट आयी, और उस पर अमल हो रहा है ।

श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि यह फार्म किस दृष्टिकोण से खोले जाते हैं, अगर यह साफ कर दें तो संभवतः घाटे और मुनाफे का मामला हल हो जाय ?

श्री चरणसिंह—

रिसर्च, डिमांस्ट्रेशन और सीड इम्प्लीमेंटेशन अनुसंधान, लोगों के सामने उदाहरण पेश करना और बीज का बढ़ाना ।

*१३—श्री कृष्णानन्दराय—

[हटा दिया गया ।]

जमानिया तहसील में भूमि संरक्षण प्रदर्शन योजना

*१४—श्री कृष्णानन्दराय—

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि गाजीपुर जिले की जमानियां तहसील में कोई भूमि संरक्षण योजना सरकार ने केन्द्रीय सरकार के सहयोग से अभी हाल में चलाई थी ? यदि हां, तो उस योजना में कितना व्यय हुआ और कितने एकड़ भूमि में योजना लागू हुई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

वर्तमान वित्तीय वर्ष में एक भूमि संरक्षण प्रदर्शन योजना गाजीपुर जिले की जमानियां तहसील के देवल सुरहा ग्राम में कृषि विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है ।

इस योजना का संपूर्ण व्यय भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में मिलेगा ।

इस योजना के अन्तर्गत जनवरी, १९६४ के अन्त तक भूमि संरक्षण कार्यों पर रु० ४७,६२१. १८ न० पै० व्यय और ४०४.३३ एकड़ भूमि संरक्षण कार्यक्रम संपादित किया जा चुका है ।

श्री कृष्णानन्दराय—

क्या सरकार को सूचना है कि भारतीय सरकार ने यह कहा है कि चूंकि कर्मनासा नदी के किनारे स्वायल एरोजन हो रहा है, यदि प्रदेशीय सरकार भूमि संरक्षण करने पर तैयार हो तो वह अनुदान देगी, ऐसी सूरत में एक गांव तक ही योजना क्यों सीमित रखी गयी है, पूरी कर्मनासा नदी पर योजना क्यों नहीं चालू की जा रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

एक गांव में परीक्षण के रूप में यह कार्य प्रारम्भ किया गया है । ५७७ एकड़ में है । अगर यह सफल रहा तो आगे सरकार उस पर विचार कर सकती है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह योजना क्या है, इसमें कुल कितने रुपये का व्यय करने का अन्दाज लगाया गया है और योजना के सफल हो जाने के बाद कितने एकड़ खेत में खेती करने लायक भूमि प्राप्त कर सकेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

५७७ एकड़ भूमि है और इस पर ९४ हजार १५३ रुपया खर्च होगा ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर में, स्वायल कंजरवेशन डाइरेक्टर द्वारा यह मालूम हुआ है कि एक लाख एकड़ भूमि पर स्वायल कंजरवेशन की जरूरत है, क्या इस योजना के अन्तर्गत सरकार उस भूमि को भी लेने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह—

यह तो स्वायल ऐंड वाटर कंजरवेशन ऐक्ट अभी विधान मंडल ने पास किया था। उसके मातहत जहां-जहां जरूरत होगी और जैसी हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज इजाजत देंगे और हमारे पास टेक्निकल स्टाफ होगा उसके अनुरूप सभी जगह यह कार्य बढ़ाया जायगा, कोई गाजीपुर की ही बात नहीं है।

श्री कृष्णानन्दराय—

क्या सरकार को सूचना है कि इस भूमि संरक्षण के कार्य को करने के लिये रूस के ट्रैक्टर आये थे और अभी वह कार्य पूरा नहीं हुआ इस बीच वह ट्रैक्टर क्यों लौटा दिये गये ? क्या विभाग के अधिकारियों ने उनके टेक्निकल इंजीनियर्स को वह सुविधायें नहीं दीं जिनकी कि जरूरत थी इसलिये वह ट्रैक्टर गाजीपुर से लौटा दिये गये ?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं, यह बात नहीं है कि सुविधा नहीं दे सके बल्कि यह है कि रूस के ट्रैक्टर्स हमारे डाइरेक्टर की राय में उस काम के आयोग्य थे, वह अच्छा काम कर नहीं रहे थे और वह हमने गवर्नमेंट आफ इंडिया से कई बार कह दिया था।

*१५—श्री होरीलाल यादव—

[हटा दिया गया।]

गोरखपुर में नजूल भूमि का वितरण

*१६—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर म्युनिसिपल एरिया में नजूल या सरकारी भूमि राजाज्ञा संख्या २०५२/११-ख—३२६२-५७, दिनांक १६ नवम्बर, १९६२ के जारी होने के बाद किस-किस व्यक्ति को कितनी-कितनी और किस-किस रेट पर दी गई तथा उसका अधार क्या है ?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

केवल ६१ डिसमिल भूमि महिला परिषद् को ७ रु० ५५ नये पैसे वार्षिक किराये पर परिषद् भवन बनाने के लिये दी गई है। महिला परिषद् एक सार्वजनिक संस्था है और उसके द्वारा किये जाने वाले सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुये भूमि नजूल नियम ५१ के अधीन दी गई है ?

*१७—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार को मालूम है कि उपरोक्त नजूल की भूमि अभी ही लोगों में बांटी गई है और उसमें लोगों ने व्यक्तिगत लाभ उठाया है न कि सार्वजनिक लाभ ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं करने का विचार है, तो उसका कारण क्या है और क्या बची हुई भूमि भी उन बाढ़ एवं कटाव पीड़ितों को देगी या उन मजदूरों को देगी जिनके पास अपनी भूमि नहीं है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

महिला परिषद् के अतिरिक्त किसी को भूमि नहीं दी गई है अतः व्यक्तिगत लाभ उठाने और सरकार द्वारा कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है। बाढ़ एवं कटाव पीड़ित व्यक्तियों को बची हुई नजूल भूमि देने का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि वे खेती तथा गृह निर्माण के लिये अपने ही गांव या उसके निकट भूमि चाहते हैं। नदी के रास्ते के बदलने पर जब भूमि निकल आती है तो वे उसे पाने के भी हकदार होते हैं। मजदूरों को भी भूमि देना संभव नहीं है क्योंकि भूमि इतनी नहीं है कि उनकी मांग पूरी हो और न उनके पास ऐसा जरिया है कि वे रहने के लिये पक्के भवन बना सकें।

श्री कल्पनाथसिंह—

श्रीमन्, मैं मंत्री जी का ध्यान संबंधित राजाज्ञा की ओर दिलाना चाहता हूं और यह जानना चाहता हूं कि यह जो राजाज्ञा जारी की गई उस राजाज्ञा में कुछ निश्चित बातें कहीं गई हैं, तो यह राजाज्ञा सरकार को जारी करने की क्यों जरूरत पड़ी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जो राजाज्ञा जारी की गई उसी के मुताबिक कार्यवाही की जा रही है। चूंकि अनियमिततायें होंगी इसलिये वह राजाज्ञा जारी करने की आवश्यकता हुई।

श्री कल्पनाथसिंह—

श्रीमन्, यह स्पष्ट है कि कुछ नजूल की जमीन के वितरण के सिलसिले में अनियमिततायें हुई हैं और नजूल की जमीन इसलिये दी गई थी कि सरकारी अफसरों के रहने के लिये बंगले बनावाये जायं। उसमें यही कहा गया है कि उसके पोर्शन्स, बंगले और दूसरी जमीनें जो उन लोगों के नाम से एलाटेड थीं वह प्राइवेट परपजेज में इस्तेमाल की गई हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस बात की पूरी छानबीन कराने की कृपा करेंगे ताकि इस मामले की पूरी सफाई हो सके कि यह नजूल की जमीन जिसके कि हजार रुपये एकड़ और ५० हजार रुपये एकड़ में कहीं-कहीं लोग लेने के लिये तैयार थे, तो वह उनको न देकर बिना पैसे और लोगों को दे दी गई है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

माननीय सदस्य ने बजाय प्रश्न करने के एक भाषण दे दिया, लेकिन मैं भाषण न देकर दो मिनट में स्पष्टीकरण करना चाहती हूं कि माननीय सदस्य ने १६ नवम्बर, सन् ६२ के बाद जिसको भूमि दी गई उसके बारे में प्रश्न किया है। लिहाजा मैंने भी उत्तर दिया है कि १६ नवम्बर, सन् १९६२ के उपरांत केवल महिला परिषद् को भूमि दी गई और वह भी ६१ डिसमल दी गई है। उसके अलावा और किसी को दी ही नहीं गई है लिहाजा अनियमितता का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री नरसिंहनारायणपांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगी कि जिन किसानों की जमीन फर्टीलाइजर कारपोरेशन ने ले ली है और उनको मुआविजा दिया जा रहा है, अगर वे मकान बनाने के लिये उस नजूल की जमीन को चाहें तो उनको वह जमीन देने पर विचार करेंगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जहां तक जमीन देने का प्रश्न है वह तो उत्तर में ही बतला दिया गया है कि जिन किसानों की भूमि नदी के कटाव या बाढ़ से निकल गई है वे ही उसको पाने के हकदार हैं।

श्री कल्पनाथसिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस जमीन के बटवारे में कुछ गड़बड़ी हुई ? मैंने इसलिये पूछा है कि जो बिना जमीन वाले लोग हैं या जो दैविक आपत्ति के मारे हुये लोग हैं, अगर उनमें इतनी

शक्ति है कि वे उस जमीन पर मकान बना सकें तो उनको देने के लिये मन्त्राणी जी विचार करने के लिये तैयार हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आप अपने प्रश्न को स्पष्ट कर दें ।

श्री कल्पनाथसिंह--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो बाढ़ या दैवी आपत्ति या इजेक्ट हुये लोग, या रिक्शा खींचने वाले लोग, अगर मकान बनाना चाहें तो उनको वह जमीन दी जायगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

जहां तक इस भूमि को देने की बात है वह सिविल लाइन्स में विभिन्न स्थानों पर हैं जिनमें सड़क, तालाब वगैरह हैं । उन भूमि हीन लोगों की इतनी मांग है कि इतनी थोड़ी भूमि से उसको पूरा नहीं किया जा सकता ।

श्री अध्यक्ष--

क्या उस बची हुई भूमि को उन बाढ़ पीड़ित, या कटाव से पीड़ित या मजदूरों को आप देंगी जिनके पास अपनी भूमि नहीं है । अगर ऐसे लोग उचित दाम दे सकते हैं तो उनको क्या आप भूमि देने पर विचार करने के लिये तैयार हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

मैं यह कहना चाहती हूं कि चूंकि वह भूमि इतनी कम है जिससे मांग को पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिये इस भूमि को देना असम्भव है ।

लखनऊ में सहायक मुख्य नगर अधिकारी, श्री ए० एन० सिंह का मकान

*१८--श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या नगरमहापालिका, लखनऊ द्वारा अपने यहां के सहायक मुख्य नगर अधिकारी (श्री ए०एन०सिंह) को निरालानगर में कम प्रीमियम पर दिये गये प्लाट पर उन्होंने ४०,००० रुपये की लागत से एक कोठी जो बनवाई है उसमें श्री० ए० एन० सिंह ने कितना रुपया उल्लिखित मकान निर्माण हेतु सरकार से कर्ज के रूप में लिया और क्या उन्होंने जो अपना इन्कम रिटर्न सरकार को प्रस्तुत किया है क्या उसकी एक प्रति सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

मुख्य नगर अधिकारी नगरमहापालिका लखनऊ ने यह सूचित किया है कि वास्तव में श्री० ए० एन० सिंह सहायक नगर अधिकारी को निर्धारित प्रीमियम की दर पर प्लाट दिया गया है । उन्होंने यह भी बताया है कि इनकी कोठी की लागत की जांच नगर महापलिका के अभियन्ता द्वारा कराई गई और उनकी रिपोर्ट के अनुसार इस मकान की लागत २०,७९६ रुपया से किसी भी सूरत में अधिक नहीं आती है । श्री सिंह को महापालिका द्वारा निम्न आय वर्ग ऋण के अन्तर्गत ८,००० रुपये का ऋण दिया गया है । श्री सिंह अपना कोई इन्कम रिटर्न सरकार को प्रस्तुत नहीं करते क्योंकि वे सरकारी कर्मचारी नहीं हैं । महापालिका द्वारा उनके वेतन से इनकम टैक्स काट लिया जाता है ।

*१९--श्री नेकराम शर्मा--

क्या यह सही है कि श्री ए० एन० सिंह एक कोठी अपने भाई के नाम से भी बनवा रहे हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

जी नहीं ।

श्री नेकराम शर्मा--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि यह सिंह वही शख्स हैं जिनको सचिवालय से डिसमिस कर दिया गया था ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

इसकी सूचना तो मान्यवर नहीं है ।

श्री नेकराम शर्मा--

क्या मंत्री जी इस सारे विषय को ऐंटी करप्शन विभाग के सुपुर्द करने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी । अगर आवश्यकता हुई तो जरूर भेज दिया जायगा ।

श्री नेकराम शर्मा--

यह तो स्पष्ट है कि ८,००० कर्ज मिला, और मकान की लागत २०,००० है । तो यह बाकी रुपया कहां से आया ? तो क्या मंत्री जी इस केस को ऐंटी करप्शन को देने की कृपा करेंगी ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि इसके लिये और सूचना की आवश्यकता होगी ।

गृह-निर्माण ऋण

*२०--श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

क्या सरकार को पता है कि मकान बनाने के लिये लो इनकम ग्रुप के लोगों को उत्तर प्रदेश, कोआपरेटिव बैंक द्वारा अधिक से अधिक आठ हजार रुपया ऋण के रूप में दिया जाता है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

जी हां ।

*२१--श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

यदि हां, तो क्या सरकार बिल्डिंग के सामान जैसे लोहा, सीमेंट आदि की महंगाई को तथा बढ़ी हुई मजदूरी का खयाल करते हुये इस अधिकतम सीमा को बारह हजार रुपये तक बढ़ाने की कृपा करेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

यह योजना भारत सरकार की योजना है, अतः जब तक वह ऋण की अधिकतम सीमा नहीं बढ़ाती, राज्य सरकार द्वारा इस विषय में कुछ भी करना सम्भव नहीं है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

इस बात को देखते हुये कि मंहगाई बढ़ रही है और सामान की कीमतें भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, मंत्री जी केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करेंगी कि इस रकम को ८,००० से बढ़ा कर १२,००० कर दिया जाय ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

प्रदेशीय सरकार ने सदा सिफारिश की है और इस बार भी वह सिफारिश करने की कोशिश में है ।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)---

आजकल मकानों की बड़ी कठिनाई है और यहां तक कि सरकारी कार्यालय भी शहर के बाहर खुलते हैं, क्या मंत्री जी अरबन एरियाज में भी इस कर्ज को देने की सुविधा प्रदान करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो उनके अधिकार की बात नहीं है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

आखिरी बार उन्होंने केन्द्रीय सरकार से इस बारे में क्या सिफारिश की और कब ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

दिसम्बर, १९६० में उदयपुर में होने वाली हाउसिंग मिनिस्टर्स कांफ्रेंस में इस विषय में सिफारिश की गयी थी और उस कांफ्रेंस में भारत सरकार ने अपनी आर्थिक स्थिति को देख कर पुनः उसी ऋण को दोहराने के लिये एक प्रस्ताव पारित किया था ।

श्री रामअवधसिंह (जिला गोरखपुर)---

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह योजना जो अब तक चलती रही है, इस वर्ष बन्द होने की संभावना है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

यह योजना भारत सरकार की है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---

क्या सरकार को पता है कि रिजर्व बैंक ने कोआपरेटिव बैंक को स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में अब वह हाउसिंग स्कीम के लिए कोई रुपया नहीं देंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी गयी है । जो सरकार एकमुश्त रकम देती है और जिसके द्वारा कोआपरेटिव बैंक ऋण वितरण करता है उसमें कुछ खानापूरी हो रही है । जब वह हो जायगी तो कोआपरेटिव बैंक रुपया देने लगेगा ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

सभा सचिव महोदया ने अभी बताया कि सन् ६० में भारत सरकार ने कोई प्रस्ताव पास किया अब सन् ६४ चल रहा है, इतने दिन बीत गये और महंगाई बढ़ती जा रही है । क्या वह इस पर विचार करेंगी कि वह फिर भारत सरकार से सिफारिश करें कि ८,००० को बढ़ाकर १२,००० कर दें ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

इसके बारे में सोचा जायगा ।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

यह देखते हुये कि ८,००० में कोई मकान पूरा नहीं होता और अपने पास से बहुत रुपया लगाना पड़ता है और जो नहीं लगाने की स्थिति में होते हैं उनके मकान अधूरे रह जाते हैं, क्या सरकार कोई सक्रिय कदम तुरन्त उठायेगी जिससे जिनके मकान अधूरे रह गये हों उनको कुछ अधिक धन मिल सके दिलाने की कोशिश करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

८,००० से ज्यादा तो हो नहीं रहा है ।

नोटः---तारांकित प्रश्न २१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*२२-२३—श्री पूरनलाल (जिला हरदोई)—

[५ वें बुधवार के लिये प्रश्न ७३-७४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*२४-२५—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

[१६ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये ।]

रसरा स्थित सरकारी गोदाम से अधिक गल्ला निकालना

*२६—श्री गंगाप्रसादसिंह (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मंत्री द्वितीय सत्र १९६३ के तीसरे सोमवार के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या १२९ के सन्दर्भ में कृपया बतायेंगे कि श्री राम चीज राम, रामपुर, बलिया में भूतपूर्व गल्ले के दुकानदार ने जो रसड़ा स्थित गल्ले के गोदाम से ३३,१३९ रुपये ४८ न० पै० का अतिरिक्त गल्ला निकाल लिया था उसका दायित्व किन-किन कर्मचारियों पर रखा गया है और यदि नहीं रखा गया है, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उक्त मामले की जांच पुलिस अधिकारियों द्वारा की जा रही है । जांच के पूर्ण होने पर ही संबंधित कर्मचारियों पर दायित्व रखा जा सकेगा ।

*२७—श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

[हटा दिया गया ।]

नगरपालिकाओं में सड़कों का प्रयोग

*२८—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन्होंने शहरों में व्यापारियों द्वारा आम सड़कों के प्रयोग के कोई कानून या नियम बनाये हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी हां । इस विषय पर यथावश्यक कानून यू० पी० म्युनिसिपैलटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा २२० तथा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा २९२-२९६ तथा ३०० के अन्तर्गत मौजूद हैं ।

*२९—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

[५ वें गुरुवार के लिये प्रश्न ४२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*३०—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—

[१६ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३१-३२—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

[५ वें शुक्रवार के लिये प्रश्न ५९-६० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*३३—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

[हटा दिया गया ।]

*३४-३५—श्री रामायणराय (जिला देवरिया) तथा श्री कल्पनाथसिंह—

[२५ फरवरी १९६४ को प्रश्न ६२-६३ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

राजनीतिक बन्दियों के लिये श्रेणी

*३६---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)---

क्या कारागार मंत्री कृपया बतावेंगे कि प्रदेश के कारागारों में राजनीतिक कैदियों को जिन्हें Superior श्रेणी मिलती है और साधारण कैदियों को जो सत्याग्रह में एक साथ गिरफ्तार कर लाये गये हैं और उनको साधारण क्लास में रखा गया है, एक साथ रहने की सुविधा नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---

जी हां। नियमानुसार जो जिस श्रेणी का बन्दी होता है वह उसी श्रेणी के बैरक में रक्खा जा सकता है ।

*३७---श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)---

सरकार के पास प्रदेश के किन-किन जेलखानों से राजनैतिक तथा अराजनैतिक कैदियों को एक तरीके पर सुविधा न मिलने की शिकायत सरकार के पास साल भर के अन्दर आयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

इस प्रकार की शिकायत शासन के पास किसी जेलखाने से नहीं आई है ।

लखनऊ में हसनगंज-इरादतनगर स्कीम

*३८---श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका के अधिकारियों ने "हसनगंज : इरादतनगर स्कीम" के अन्तर्गत पतौरागंज में स्थित २०० वर्ष पुराने हिन्दुओं के कब्रिस्तान को खुदवा डाला है ? यदि हां, तो क्यों और किस अधिकारी के आर्डर से ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

हसनगंज-इरादतनगर स्कीम के अन्तर्गत सरकारी रिकार्ड के अनुसार कोई भी कब्रिस्तान अंकित नहीं है । प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

सप्लाई आफिस, सहारनपुर

*३९---श्री ब्रह्मदत्त मायर (अनुपस्थित)---

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर के सप्लाई दफ्तर में काम की ज्यादती के कारण जो असुविधा हो रही है और स्टाफ की कमी की शिकायत है उस पर सरकार ने अब तक क्यों विचार नहीं किया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

सरकार को स्टाफ की कमी के विषय में ऐसी कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः प्रश्न नहीं उठता ।

*४०-४१---श्री माधौप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

[१६ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये ।]

कानपुर महापालिका सदस्यों की मांगें

*४२—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर महापालिका के नगर प्रमुख तथा कुछ सदस्यों द्वारा मुख्य मंत्री जी को जनवरी, १९६४ में कोई पत्रक मिला है जिसके द्वारा महापालिका अधिनियम को सर्वसत्ता सम्पन्न बनाने की मांग की गई है ? यदि हां, तो क्या उस पत्रक की हिन्दी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी और क्या सरकार बतायेगी कि पत्रक के मुख्य मांगों की पूर्ति की दिशा में वह कौन-सा कदम उठा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां, कानपुर नगर महापालिका के नगर प्रमुख की अध्यक्षता में १७-१-१९६४ को एक प्रतिनिधि मंडल मुख्य मंत्री जी से मिला था और उसने उन्हें एक मेमोरेंडम प्रस्तुत किया था जिस पर विचार किया जा रहा है। इस मेमोरेंडम की एक प्रतिलिपि †संलग्न है।

*४३—श्री केसरीप्रसाद पांडेय

[१६ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

स्थानीय निकाय कर्मचारियों की अवकाश प्राप्ति आयु

*४४—श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब से पहले उनके अधीन लोकल बाडीज के कर्मचारियों के अवकाश प्राप्त करने की आयु की अवधि एक ही थी और क्या अब कुछ कर्मचारियों की आयु की अवधि में अन्तर हो गया है ? यदि हां, तो किस-किस प्रकार के कर्मचारियों की अवधि में अन्तर हुआ है और कितना ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां। नगरपालिकाओं, नगर महापालिकाओं तथा जिला परिषदों के अधीन कार्य करने वाले अध्यापकों तथा स्थानीय निकायों के अधीन कार्य करने वाले अन्य कर्मचारियों की सेवा से निवृत्त होने की आयु में दो वर्ष का अन्तर हो गया है।

*४५—श्री अहमद बख्श (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह भी विचार कर रही है कि लोकल बाडीज के सभी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की अवधि एक ही हो जाये ? यदि हां, तो सरकार इस पर कब तक अन्तिम निर्णय ले लेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां, कोई अवधि निर्धारित करना सम्भव नहीं है। किन्तु जहां तक आशा है शीघ्र ही निर्णय ले लिया जावेगा।

*४६-४७—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

[५ वें बुधवार के लिए प्रश्न ६०-६१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

कम्पोस्ट इन्स्पेक्टर

*४८—श्री कैलाश—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंडों में कम्पोस्ट इन्स्पेक्टरों की नियुक्ति डाइरेक्ट होने जा रही है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों जबकि उसी के समकक्ष योग्यता वाले कर्मचारी विकास खंड में ग्राम सेवक पद पर पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं ?

---

†छापी नहीं गयी।

श्री बलदेवसिंह आर्य--

जी नहीं ।

*४९-५०--श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)--

[१६ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये ।]

अतारांकित प्रश्न

कानपुर में पूर्ति विभाग से संबंधित कार्यालय

१--श्री कृष्णानन्द राय--

क्या पूर्ति मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि पूर्ति विभाग से सम्बन्धित कितने डाइरेक्टर्स और कन्ट्रोलर्स के कार्यालय कानपुर में हैं और क्या सरकार इनमें कुछ कार्यालयों का विकेन्द्रीकरण प्रदेश के पिछड़े विभागों में करने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

कानपुर में पूर्ति विभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्यालय हैं:--

(१) जिला पूर्ति अधिकारी ।
(२) क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक ।
(३) लोहा तथा स्पात नियंत्रक ।
(४) उप नियंत्रक, बाट तथा माप ।

इनमें से किसी को भी वहां से हटाना सम्भव न होगा ।

गुड़ निर्यात तथा गल्ला व्यापार लाइसेन्स

२--श्री कृष्णानन्द राय--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में गुड़ बाहर भेजने के प्रतिबंध की तारीख से १५ जनवरी तक की अवधि में कितना गुड़ बाहर भेजने का लाइसेंस सरकार ने व्यवसायियों को दिया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

३० अक्तूबर, १९६३ की तारीख से जबकि गुड़ के प्रदेश से बाहर भेजने पर प्रतिबन्ध लगाये गये १५ जनवरी, १९६४ तक समस्त क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा ४२,४०४ मैट्रिक टन्स गुड़ के प्रदेश से बाहर भेजने के परमिट व्यवसायियों को दिये गये ।

३--श्री कृष्णानन्द राय--

क्या खाद्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि गल्ले के व्यवसायियों को २५ क्वीन्टल तक गल्ले के व्यवसाय में जो लाइसेंस न लेने की छूट थी वह वापस कर ली गयी है और क्या अब सभी छोटे बड़े व्यवसायियों को रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक हो गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

उत्तर प्रदेश फूडग्रेन्स डीलर्स लाइसेंसिंग आर्डर, १९६३ के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो किसी एक खाद्यान्न के खरीदने बेचने या बेचने के लिये संग्रह करने का कारोबार करता हो और जो किसी एक समय में (१) दस क्वीन्टल या उससे अधिक मात्रा में किसी एक प्रकार का खाद्यान्न या (२) कुल मिलाकर पच्चीस क्वीन्टल या उससे अधिक मात्रा में समस्त प्रकार के सम्मिलित खाद्यान्नों को, खरीदता, बेचता या बेचने के लिये संग्रह करता हो, के लिये लाइसेंस लेना अनिवार्य है । उक्त आदेश में लाइसेंस लेने की व्यवस्था अब भी लागू है ।

उत्तर प्रदेश फूडग्रेन्स (कन्ट्रोल रिक्वीजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, १९६३, के अन्तर्गत प्रत्येक छोटे बड़े व्यवसाइयों को अपनी खरीदारी, बेचने आदि का हिसाब रखना एवं लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना एवं विवरणों आदि को देना आवश्यक है ।

स्थानीय निकायों का चुनाव

४—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिकाओं, टाउन और नोटीफाइड एरियाओं का चुनाव किस महीने तथा किन तारीखों में प्रान्त में होने जा रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

स्थानीय निकायों के सदस्यों तथा टाउन एरियाओं के चेयरमैनों के निर्वाचन ३१ मई, १९६४ को होंगे तथा नगरपालिकाओं और नोटीफाइड एरियाओं के प्रेसीडेन्टों के निर्वाचन २४ जून, १९६४ को होंगे ।

बिसवां नगरपालिका को अनुदान

५—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने बिसवां नगरपालिका, जिला सीतापुर को स्वायत्त शासन विभाग ने पिछले ५ वर्षों में नगर की उन्नति के लिये कब और कितनी धनराशि कर्ज तथा अनुदान के रूप में दी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

प्रश्न से संबंधित सूचना †संलग्नक "क" में दी गई है ।

६—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि उपरोक्त प्रश्न के सन्दर्भ में जो रकमें नगरपालिका बिसवां को दी गयी हैं वह किन शर्तों पर दी गयी हैं और उनका कहां तक पालन हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

प्रश्न से संबंधित सूचना † संलग्नक "क" में दी गई है ।

लेबर कालोनी, नाटी इमली, शहर वाराणसी

७—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लेबर कालोनी, नाटी इमली, शहर वाराणसी में :

(१) सड़कों पर रोशनी, (२) सफाई की व्यवस्था, (३) पक्की सड़कों का निर्माण, (४) पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है ?

यदि हां, तो उसे श्रम विभाग कब तक ठीक करेगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

अभी व्यवस्था ठीक नहीं है । इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

८—श्री ऊदल—

क्या सरकार उस पूरी इमारत की जिसे सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया जांच करायेगी कि उसमें शौचालय, स्नानागार आदि की व्यवस्था और बिजली की फिटिंग और कमरों के दरवाजे भी ठीक नहीं हैं ?

---

†छापी नहीं गई ।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

इन कार्यों का निरीक्षण सार्वजनिक निर्माण विभाग के चीफ टेक्नीकल इक्जामिनर द्वारा हो चुका है और उन्होंने उसे संतोषजनक बताया है ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

(श्री टम्ब्रेश्वरप्रसाद के खड़े होने पर) आपका काम-रोको प्रस्ताव मैंने अस्वीकार कर दिया है ।

श्री टम्ब्रेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

यह तो मुझे मालूम है कि आप केन्द्रीय विषय बतायेंगे, लेकिन निवेदन यह है कि जिस तरह पासिंग रेफरेंस देकर मंत्री जी ने टाल दिया, वह कोई प्रभावी कदम नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय टम्ब्रेश्वरप्रसाद ने जो अत्यन्त दुखदाई घटना अभी कश्मीर की सीमा पर हुई जिसमें कि हमारे २१ पुलिस नौजवान मारे गये उसके सम्बन्ध में काम रोको प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसका उल्लेख स्पष्ट रूप से माननीय वित्त मंत्री ने कर दिया था। और यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि है किस प्रकार से सरकार उनके आश्रितों को और उनके परिवार को सहायता देगी। इसलिये मैं समझता हूं कि अब कामरोको का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री टम्ब्रेश्वरप्रसाद--

इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य तो दिलवा दीजिये ?

श्री अध्यक्ष--

वह अब समाप्त हो गया ।

हरगांव शुगर फैक्टरी क्षेत्र में सरांय नदी का पुल बन्द कर दिए जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

मैंने नियम ५२ के अर्न्गत एक सूचना स्वीकार की है, वह माननीय शारदानन्द की है। उन्होंने लिखा है--"हरगांव शुगर फैक्ट्री के क्षेत्र में हरगांव-महोली मार्ग पर सरांय नदी का पुल जो कि अभी तक बिलकुल अच्छी हालत में था और है अचानक सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक ओवरसियर द्वारा खराब घोषित कर दिया गया है और बैलगाड़ियों तथा मोटरों आदि का मार्ग बंद कर दिया गया है। अचानक मार्ग बन्द कर दिये जाने से उस ओर का हजारों मन गन्ना बिलकुल सूख रहा है। हरगांव शुगर फैक्ट्री ने अपने पुल पार के ३ कांटे बन्द कर दिये हैं। दूसरा एक कुछ लम्बा मार्ग है परन्तु मिल वाले उधर से गन्ना नहीं ले जाते हैं... आदि।" विशेष बात यह है कि हजारों मन गन्ना सूख रहा है और मिल वालों ने अपने कांटे बन्द कर दिये हैं। इस पर माननीय मंत्री जी कब वक्तव्य देंगे ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)--

परसों दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है ।

नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

दो-तीन सूचनायें और मेरे पास माननीय नरसिंहनारायण, माननीय मेवालाल, माननीय चन्द्रजीत यादव और माननीय विजयपालसिंह आदि की खाद्य स्थिति के संबंध में आयी हैं। इनको मैंने माननीय खाद्य मंत्री के पास उचित कार्यवाही के लिये भेज दिया है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, मैंने इस संबंध में माननीय खाद्य मंत्री से भी वार्ता की थी। उन्होंने कहा कि हम वहां पर, गोरखपुर तथा बस्ती में, चेक पोस्ट नहीं बना सकते। ऐसा न होने से तमाम गल्ला बाहर जा रहा है और वह नहीं रोका जा सकता। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब वे गल्ला बाहर जाने से रोक नहीं सकते, तो उसके कारण जो भाव बढ़ रहे हैं उसको रोकने के लिये वे क्या इन्तजाम करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

जो बात आपको कहनी थी, वह आपने कह ली। नियम ५२ के अन्तर्गत एक सूचना स्वीकार हो चुकी है, दूसरी नहीं हो सकती। चूंकि वह खाद्य स्थिति से संबंधित मामला था और वह महत्वपूर्ण है इसलिये मैंने खाद्य मंत्री जी के पास उसको भेज दिया है, वह उचित कार्यवाही करेंगे। इस प्रकार की जो भी सूचनायें आती हैं, उन पर मैं या तो वक्तव्य दिला देता हूं या उनके पास भेज देता हूं। इस संबंध में मैं उनसे पूछ भी लूंगा कि वे क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

१० फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न ५५ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा-सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)--

अध्यक्ष महोदय, दिनांक १० फरवरी, १९६४ को श्री होरीलाल यादव द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५५ के संबंध में श्री यादव ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि माल जो मेवालाल को वापस करना बताया जाता है उसके पहले क्या इस सिलसिले में पूरी जानकारी कर ली गयी थी, इन्क्वायरी करा ली गयी थी कि वह माल चोरी का नहीं है ?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि जो रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई है उसी के अनुसार अदालती कार्यवाही भी की जा रही है और जांच भी सी० आई० डी० द्वारा करायी जा रही है।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है, "पकड़ा गया माल श्री मेवालाल को अदालत के आदेशानुसार वापस किया गया था। अदालत ने किस आधार पर माल वापस करने के आदेश दिये इसकी सूचना शासन को नहीं है।"

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४८६ पर)।

नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं (क्रमागत)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

मुझे एक निवेदन करना है। सुलतानपुर में जो हमारे ५ साथी पिटे हैं, उसके सम्बन्ध में २९ तारीख को माननीय बनारसीदास जी वहां तशरीफ ले गये थे, कुछ लोग उनको एक

मेमोरेन्डम पेश करना चाहते थे। उस पर वहां कुछ लोगों ने आपत्ति उठाई और कुछ गुन्डों ने मारपीट शुरू कर दी जिसके कारण हमारे कुछ साथियों को चोटें आयी हैं। इस ओर मैंने आपके द्वारा माननीय गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया था, आप उनसे वक्तव्य ही दिलाते। इसी प्रकार का आपने एक वक्तव्य फैजाबाद के बारे में दिलाया था जब माननीय कृषि मंत्री जी तशरीफ ले गये थे और उनकी मौजूदगी में किसानों पर लाठी-चार्ज हुआ था। तो आप दफा ५२ को माननीय गृह मंत्री के पास भेजकर उनसे वक्तव्य ही दिला दें।

श्री अध्यक्ष--

अगर मैं समझता कि इतना महत्वपूर्ण है तो मैं भेज सकता था। रहा फैजाबाद के बारे में, उसमें पुलिस पर यह चार्ज लगाया गया था कि उन्होंने लाठी-चार्ज किया, बहुत से आदमियों को चोटें आई, लोगों को घसीटा गया, जो-जो बातें उसमें कहीं गई थीं उन्होंने मुझे मजबूर किया कि उन कामरोको प्रस्ताव के संबंध में कृषि मंत्री से पूछ लूं। जो बातें आपने कही हैं उनसे मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। यह विषय समाप्त होता है।

विभागीय साहित्य न मिलने पर आपत्ति

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

मेरा प्वांइट आफ आर्डर है। माननीय बनारसीदास जी ने यहां कहा था कि जिस विभाग की बहस शुरू होगी उसका साहित्य दिया जायगा। आज तक न कबूतरखाने में कुछ रखा गया है और न यहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नरसिंहनारायण, सच पूछिये तो स्ट्रिक्टली यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, लेकिन अध्यक्ष होने के नाते, मैं आपकी बात की उपादेयता सरकार से कह सकता हूं कि होना चाहिये और मैंने कहा है। माननीय माल मंत्री या मुख्य मंत्री बता दें कि संबंधित लिटरेचर सदस्यों को मिल जाना चाहिये।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

पिछले साल से यह तय हुआ था कि सबजेक्टवाइज अलग-अलग रिपोर्ट नहीं दी जायगी, एक कन्सालिडेटेड रिपोर्ट होगी जो सब सब्जेक्ट्स को कवर करेगी। वह हमने बटवा दिया है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं बटी है जिसमें विभागों के बारे में टिप्पणी हो।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)--

सिर्फ थर्ड फाइव-ईयर प्लान बटा है, और कुछ नहीं बटा है।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग मुख्य मंत्री जी से मिलकर बात कर लें। आपकी असुविधा में अगर मैं सहायता कर सकूंगा तो अवश्य करूंगा।

१९६४-६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या १--वृहत् जोतकर

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १--वृहत् जोत-कर के अन्तर्गत ३,३८,५०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १---वृहत् जोतकर के अन्तर्गत ३,३८,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४०---दुर्भिक्ष सहायता

श्री अध्यक्ष--

अगर सदन की इजाजत हो तो जिन मांगों पर विवाद नहीं होगा उन पर मैं पहले मत ले लूं ?

अनेक सदस्य--

जी हां ।

श्री हुकुमसिंह बिसेन--

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४०---दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत ५२,१०,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०---दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत ५२,१०,२०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ८---राज्य विधान मंडल

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)--

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८---राज्य विधान मंडल के अन्तर्गत ५१,५३,३०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८---राज्य विधान मंडल के अन्तर्गत ५१,५३,३०० रुपये की मांग वित्तीय १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १२---न्याय प्रशासन

श्री जयराम वर्मा---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२---न्याय प्रशासन के अन्तर्गत १,७५,३८,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२——न्याय प्रशासन के अन्तर्गत १,७५,३८,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :—

पक्ष में ——७१,

विपक्ष में——४८ ।)

अनुदान संख्या २——भू-राजस्व (मालगुजारी)

श्री हुकुमसिंह विसेन——

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २——भू-राजस्व (मालगुजारी) के अन्तर्गत ८,३२,६६,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, हस्ब दस्तूर इस संबंध में इस समय कोई वक्त लेना नहीं चाहता । मैं चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य जो इस तरफ बैठे हैं या उस तरफ, वे सब अपनी-अपनी राय व्यक्त करें, क्योंकि उनमें बहुत से हम से ज्यादा दानिशमंद हैं, उससे हमें फायदा होगा । दूसरी बात यह है कि अपना ऐब भी अपने को दिखता नहीं है । यह भी संभव है कि उनकी राय भी ठीक न हो, लेकिन उसको हम सुनना चाहते हैं और उसमें जो अच्छी बात है उससे फायदा उठाना चाहते हैं । मैं आशा करता हूं कि सदन उसके बाद हमारी इस मांग को स्वीकार करेगा ।

श्री अध्यक्ष——

(कुंवर श्रीपालसिंह से) आप कितना समय लीजियेगा ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)——

आधा घंटा ।

श्री अध्यक्ष——

आप आधा घंटा ले लीजिये । शेष माननीय सदस्यों को १०–१५ मिनट का समय दिया जायगा । नेतागणों को अधिक समय दे दिया जायगा ।

कुंवर श्रीपालसिंह——

अध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव इस प्रकार है——

"मद——भू-राजस्व के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य——विभागीय नीति की अलोचना करना तथा सुझाव देना ।"

श्री हुकुमसिंह विसेन——

एक रुपये में तो काम न चलेगा ।

कुंवर श्रीपालसिंह——

एक रुपया नहीं तो कम से कम आप यह तो स्वीकार करते हैं कि उसमें कुछ कमी होनी चाहिये । आज भले ही भू-राजस्व एक गौण विषय हो, लेकिन आदिकाल में राज्य की आमदनी का मूल स्रोत यही हुआ करता था । यह अत्यन्त ही प्रमुख मांग है । इस राजस्व को लगाने के कुछ सिद्धान्त हैं, उन सिद्धान्तों को सामने रख कर माननीय मंत्रीजी इतना तो अवश्य कर देंगे कि किसानों पर जो राजस्व है उसको वे घटा देंगे और जैसा कि हमारी पार्टी–जनसंघ

[कुंवर श्रीपालसिंह]

कहती है कि लगान को आधा कर दिया जाय, माननीय मंत्री जी हमारी इस बात पर अवश्य विचार करेंगे। उन्होंने स्वयं कहा है तथा जिनकी गद्दी पर ये विराजमान हैं, उहोंने भी कहा है इसलिये मेरा निवेदन है कि मंत्री जी इसको अवश्य मान जायं।

सन् १८४३ में ले० जेम्स टामस ने लगान लगाये जाने के आधार को कायम किया है। वे कहते हैं कि "लगान किसानों की बचत का एक वह हिस्सा है जो स्टाक्स का मुनाफा, मजदूरी तथा खेती के खर्चे निकाल देने के बाद बचता हो।"

सन् १८७८ में लार्ड सेल्सबरी ने भारत सरकार को एक पत्र लिखा था। उनका वह पत्र बड़ा मशहूर है। उस पत्र में उन्होंने भी इस बात की सिफारिश की है कि "ग्रामीण अंचल जहां पूंजी नगण्य है वहां से भारी राजस्व खींचना, और शहरों से जहां पूंजी की बहुतायत है और जहां अक्सर पूंजी बर्बाद की जाती है, उसे मुक्त रखना अच्छी नीति नहीं है। चूंकि हमें भारत का रक्त चूसना है इसलिये छूरे को उस भाग में धंसाना चाहिये जहां कि रक्त अधिक मात्रा में जमा हो, न कि वहां जहां पहले से ही रक्त की कमी के कारण कमजोरी आ गयी हो।" इस तरह से लार्ड सेल्सबरी ने उसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जिसका कि जेम्स थामस ने किया था। उनका कहना है कि "लगान सिद्धान्त के अतर्गत उसका भुगतान तो पूरी उपज का एक अंश होगा जिस उपज में से उसकी मजदूरी तथा मुनाफा काटा जा चुका हो।"

श्रीमन् जी, हमारी सरकार को जिस पहले की सरकार से गद्दी मिली है उसकी भी यही राय थी। जमींदारी एबालिशन ऐक्ट, १९५० की धारा २६४(१) में इस सरकार ने भी उसी सिद्धान्त को माना है। इसमें कहा गया है कि "किसी क्षेत्र में जोत पर लगान लगाने वाला हर बन्दोबस्त अधिकारी खेती का सारा खर्चा निकालने के बाद उस जोत को अनुमानित औसत अतिरिक्त उपज का ध्यान रखेगा और लगान अतिरिक्त उपज का एक ऐसा अंश होगा जो विधान मंडल तय करेगा।"

अब यह देखने की बात है कि इस समय जो किसान की उपज है उसमें अतिरिक्त उपज कितनी है, क्योंकि लगान लगाने के जो सिद्धान्त बतलाये गये हैं, यह उसी अतिरिक्त उपज में से ही कुछ हिस्सा लेने की बात कही गयी है। अब आप देखें कि अतिरिक्त उपज की हालत क्या है। लार्ड सेल्सबरी के पत्र को आप देखें तो उस समय १८७८ में वे कहते हैं कि किसान गरीब है। यानी उस समय भी वे महसूस करते थे कि किसान गरीब है, तो उसी के आधार पर आज का किसान कितना गरीब है यह भी सोचने की बात है। सोचने की ही नहीं, बल्कि आंकड़े इस बात को बतलाते हैं कि ९५ प्रतिशत जोत अलाभकर है, उनमें कोई लाभ ही नहीं है। जितना किसान खर्च करता है उतना भी वह उसमें नहीं पैदा कर पाता। इस तरीके से अगर इस सिद्धान्त पर लगान लगाने की बात देखी जाय तो सरकार को ९५ प्रतिशत जोतों को तो लगान से मुक्त कर देना पड़ेगा। माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा था कि एक रुपया कर देने से काम नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप अपने सिद्धान्त पर चलते हैं तो ९५ प्रतिशत को तो छोड़ ही देना पड़ेगा, उनसे तो आप एक रुपया भी नहीं पायेंगे।

जहां तक प्रति एकड़ उपज की बात है, सन् १८७८ में प्रति एकड़ जो उपज थी, आज उससे ५० प्रतिशत प्रति एकड़ उपज घट गयी है। जो माननीय सदस्य किसान होंगे और खेती करते होंगे उन्हें इस बात का अनुभव होगा कि १८७८ में प्रति एकड़ जो उपज थी उससे आज आधी हो गयी है जब कि खर्चा ७००–८०० प्रतिशत तक बढ़ गया है। तो आज अगर यह सिद्धान्त कि अतिरिक्त उपज के ऊपर लगान लगाया जाय, अगर इस सिद्धान्त को मान कर हमारी सरकार चले तो जरूर किसानों को कुछ राहत मिल सकती है।

अब आप देखें कि एक तरफ यह सिद्धान्त रखा जाता है कि किसानों के हित के लिये ही सरकार यह सब कुछ कर रही है और असलियत क्या है, वह मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता

हूं। किसान की दशा इस समय क्या है जिसको कि भू-राजस्व देना होता है वह प्रति व्यक्ति आय जो प्रदेश की है उसको देखने से पता चलेगा। पहले हमें एक पुस्तक संख्या विभाग की मिलती थी जो अब मिलना बन्द हो गई है, पता नहीं क्यों, उस के बाद के आंकड़े हमारे पास नहीं हैं, यह सन् १९५९ तक के ही आंकड़े हैं। उन्हीं से मैं बताता हूं कि सन् १९४६ में जब यह सरकार आई तो प्रति व्यक्ति आय प्रदेश के किसानों की १५४ रुपया थी और सन् १९५९ में वह १९१ हो गई, उस के बाद के आकड़े मिले नहीं। अब आप इस के मुकाबले में सरकारी आय की बढ़ोत्तरी जो भू-राजस्व की है उसको देखें। वह सन् १९४६ में था ६,६३,८८,००० रुपये और सन् १९६४ में हो गयी २२,२९,०४,६०० रुपये। इस से आप समझें कि सरकारी आय में कितनी बढ़ोत्तरी हुई और किसानों की आय में कितनी बढ़ोत्तरी हुई, उन के खर्च में कितना इजाफा हुआ और उन की पैदावार कितनी घटी। इन तमाम बातों को बगैर ध्यान में रखे हुये आज यह सरकार भी अंग्रेजी सरकार के बनाये हुई मार्ग पर चल रही है, यह बात उचित नहीं दिखाई पड़ती। सन् १९४६ से आप देखें तो आकड़ें बिलकुल उलट गये हैं, ४ के स्थान पर ६ और ६ के स्थान पर ४ आ गया, लेकिन सरकार वहीं रही जहां अंग्रेज थे। जिस सिद्धांत को उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था उसे भी लागू नहीं किया और यह विचार नहीं किया कि भू-राजस्व में किसानों की गिरती हुई दशा के कारण उन को सहायता देने के लिये उनका लगान ही आधा किया जाय।

मैं अब आप से निवेदन करूंगा कि लगान आधा करने की बात जनसंघ क्यों कहता है। उसके पीछे भी एक सिद्धान्त है और उस पर विचार किया गया है। वह विचार यह है कि जब जमींदारी विनाश हुआ था उसी समय उचित यह था कि जो हिस्सा जमींदार खा जाता था वह किसानों को छोड़ दिया जाता और सरकार की जो आय थी जमींदारी विनाश से पहले वही सरकार लेती और किसानों को वह हिस्सा छोड़ दिया जाता जो जमींदार लेते थे तब तो उसका लाभ होता। यानी ६ आना सरकार लेती थी और दस आना जमींदार लेते थे। तो सरकार को यह दस आना वैसे तो छोड़ने चाहिये थे, लेकिन एक तर्क उधर से यह दिया जा सकता है कि पहले जमींदार वसूली करते थे, अब जो मशीनरी वसूली करेगी उस का भी तो खर्चा होगा। इसीलिये हम ने २ आना वसूली के खर्च का मार्जिन रखकर ८ आने की बात कही है और कहा है कि आधा लगान माफ किया जाय और इस तरह से उन को रिलीफ दिया जाय। जो सिद्धान्त मैंने पहले बताया था उस के अनुसार तो आधा क्या कुछ भी नहीं रह जाता। हम कोई ऐसा सुझाव नहीं रखना चाहते जैसे कि उधर (कम्युनिस्ट दल) के लोग रखते हैं कि जिस से सरकार उलझ जाय और फंस जाय, वैसी चीज हम तो नहीं चाहते। हम तो एक सही सुझाव देना चाहते हैं जिसके आधार पर सरकार चल सकती है।

मैं निवेदन कर रहा था कि किसानों की ओर हमारी सरकार की दृष्टि विमाता की सी है। 'सरकार' स्त्रीलिंग शब्द है। तो विमाता की सी दृष्टि कैसे है वह मैं बताता हूं। कुछ आंकड़े देना चाहता हूं इससे आप देखें कि किसानों के साथ क्या व्यवहार सरकार का है? यदि किसानों के साथ सरकार का अपने सगे पुत्र का सा व्यवहार होता तो उसके काम में आने वाली चीजों पर जो सरकार अनुदान रखती है, जो खर्चा करती है वह पूरा खर्च होना चाहिये था। १९६१–६२ की आडिट रिपोर्ट में दिया हुआ है कि किन-किन मदों में कितनी बचत हुई है, उनमें से मुख्य मदें यह हैं :

सिंचाई में २.६६ करोड़ रुपया बच गया, कृषि में ४.५३ करोड़ रुपया बच गया, विद्युत् योजना में २.०५ करोड़ रुपया बच गया। यह तीनों मदें किसान से संबंधित हैं, जो यह तीनों मदें किसान से सम्बन्धित हैं उनमें पूरा पूरा खर्चा भी नहीं हुआ है जितना रुपया हम मन्जूर कर देते हैं उसमें से। इसके विपरीत वसूली की क्या हालत है यह भी देखें। १९६२ की आडिट रिपोर्ट में दिया हुआ है कि भू-राजस्व के कुल का १५.५५ प्रतिशत बकाया रहा। जंगल विभाग जो ठेकेदारों का विभाग है, जिसको पूंजीपति कहें या समाजवादी संसार में कुछ और नाम दे दें, उसमें बकाया रहा ५४.५० प्रतिशत, सिंचाई में जो किसान से संबंधित है उसमें ७.१९ प्रतिशत,

[कुंवर श्रीपालसिंह]

कृषि में ४.७९ प्रतिशत और सीधे सीधे, लार्ड सेल्सबरी ने जो कहा था कि वह स्थान जहां रक्त जमा है वहां चाकू भोकना है, बिक्रीकर में बकाया रहा ८३.५४ प्रतिशत । उस पर भी सरकार का दावा है कि सरकार किसानों के पक्ष की है । अब सरकार किस पक्ष की है इसको सदन स्वयं विचार करे, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं । जो सामग्री हमको सरकार की तरफ से मिली है उसी के आधार पर कह रहा हूं ।

यह तो मैंने कुछ सैद्धान्तिक पहलू पर निवेदन किया, अब थोड़ा सा इसकी कार्यप्रणाली में कहां कहां गड़बड़ी है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं । भू-राजस्व के अन्तर्गत नहरी सिंचाई का भी लगान यही वसूल करते हैं । इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ यह है कि डिमान्ड तो बनाता है नहर विभाग का पतरौल और वसूल करता है राजस्व विभाग का अमीन । जो नहर विभाग का आदमी है जो बनाकर देता है कि किस खेत पर कितना बकाया है उसकी वसूलयाबी राजस्व विभाग के आदमी करते हैं । नतीजा यह होता है, श्री मान् जी, कि कभी कभी राजस्व विभाग के लोग साफ देखते हैं कि हिसाब गलत लगा हुआ है । नहर वालों ने गलत तखमीना लगाया है, लेकिन वे मजबूर हैं । यह जानते हुए कि गलत रकम वसूल करने के आदेश हैं वे कुछ नहीं कर सकते हैं । इस सम्बन्ध में दो एक मिसालें मैं देता हूं । एक जगदेश पांडेय तुरकौली ग्राम, जिला जौनपुर के हैं । इनका ०.२९ का (४०९ न०) खेत है इसकी सिंचाई जो दी गयी है सिंचाई विभाग द्वारा वह २१ रुपये १४ आने । यह नहर विभाग ने भेजा है, वसूल करेंगे हमारे राजस्व विभाग वाले, राजस्व विभाग वाले जाकर देखते हैं कि यह गलत है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं । वे कहते हैं कि अगर यह गलत है तो इसकी चाराजोयी कीजिए । जब दरख्वास्त पड़ी तो नहर विभाग वालों ने तुरकौली ग्राम से गोरखपुर बुलाया २१ रुपये और १४ आने के सम्बन्ध में । आने वाले के कम से कम २४ रुपये १४ आने खर्च कराये जिसमें किराया और वकालत का खर्चा भी है । इसलिए मैं दोनों यहां ले आया हूं । इनमें एक जिन्सवार है जो राजस्व विभाग के जिंस्वार की नकल है और दूसरी सिंचाई विभाग के कागज की असल है । इसमें ईख की सिंचाई है, गेहूं की सिंचाई नहीं दी हुई है । इसमें ३२४ नं० खेत का है । जो लेखपाल की जिन्सवार की नकल है इसमें गेहूं दिया हुआ है । नहर विभाग ने इसमें लिखा है ईख । सिंचाई विभाग ने चार्ज किया है ईख के हिसाब से ८ रुपया । राजस्व विभाग का जो जिन्सवार है उस नम्बर में गेहूं की पैदावार दी हुई है । असल में भी उसमें गेहूं ही बोया गया है । आज भी उसमें फसल गेहूं की ही है । निवेदन करने का तात्पर्य यह है कि नहर के मामले में सिग्रामऊ में एक व्यक्ति श्री नूरे, पुत्र हसन् है । उनके पास एक इंच जमीन नहीं है पर उनके पास भी एक सिंचाई विभाग की डिमांड आयी है । तो अब सरकार यह बताये कि उन्होंने किस चीज की सिंचाई की है ।

श्री अध्यक्ष--

अब इसका विस्तार कीजियेगा तो कैसे काम चलेगा ? राजस्व विभाग तो केवल एक एजेन्सी है जिसके द्वारा वसूली करते हैं ।

कुंवर श्रीपालसिंह--

राजस्व विभाग के अमीन जाते हैं और कहते हैं कि इतने रुपये सिंचाई के और दो ।

श्री अध्यक्ष--

जितनी बहस आप कर रहे हैं यह कैनाल डिपार्टमेंट पर रिफलेक्शन है और राजस्व विभाग पर आप कुछ नहीं कह रहे हैं । कानून बना हुआ है और बहुत ही वसूली लैंड रेवेन्यू की तरह वसूल होती हैं ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

इसीलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी जान मैं बचाना चाहता हूं और बिना मतलब उसमें वे फसेंगे। भू-राजस्व के बारे में मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि सिद्धान्ततः लगान में कमी करिये।

अब मैं चकबन्दी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जो बन्दोबस्त हुआ है उसमें नक्शा कुछ कहता है और अभिलेख कुछ कहता है। इस सम्बन्ध में भी सिगरामऊ के आसपास की चीजों को बतलाना चाहता हूं। हंडिया में केवल एक चावल देखने से ही पता चल जाता है कि चावल पके हैं या नहीं। मिसरौली, थाना बदलापुर, जिला जौनपुर में रामनाथ आदि किसान हैं। पुराना नम्बर ६३६/१२ है। क्षेत्रफल .४८ है। कुल आराजी .८८ है। उनका बाग दर्ज था और आज भी महुआ तथा आम के पेड़ मौजूद हैं। उसका नम्बर चकबन्दी के कागजात में नहीं आया, क्योंकि फार्म बीस तक यह बाग लगा हुआ है, लेकिन बन्दोबस्त में ·१५ तक रह गया बाग और बकिया सत्यनारायण आदि के खेत में १२० नम्बर में डाल दिया गया। ८८ नम्बर इन्द्रायणी है उनके चक में बकिया डाल दिया गया। मिसरौली का एक नम्बर है ५४.५। उसको काट कर १५४ बनाया गया और फिर १६० बनाया गया। तो बन्दोबस्त तक में उलट फेर किया जा रहा है। चकबन्दी में कुछ लोगों के लगान भी ऐसे आये हैं कि जिनको २००, २५० रुपये देने पड़ते थे उनका लगान १००, १५० हो गया और जिनको ७,८ रुपये देने पड़ते थे उनका लगान १००, १५० हो गया। चकबन्दी में लगान आम तौर से बढ़ा है। वह ऐसे बढ़ा है कि जमीन तो अनेकों कटौतियों में कट गयी चक रोड आदि में जिससे किसानों का रकबा कम हो गया, लेकिन लगान उतने का उतना ही है और जितना रकबा कटा उस रकबे का लगान उस किसान के लगान में नहीं काटा गया। इसलिये लगान कम करने की कौन कहे, और बढ़ गया। तो चकबन्दी में इस किस्म की चीजें हुईं। ग्राम खानपुर, परगना चांदा, जिला जौनपुर में चक नम्बर २४ है। यह चक श्री गजोधर के पुत्र राम दुलारे के नाम कटा। बन्दोबस्त में उसके स्थान पर गुलजार के पुत्र राम सुन्दर के नाम लिख दिया गया, जबकि इस नाम का कोई आदमी वहां है ही नहीं। तो इस किस्म की जो गलतियां चकबन्दी में हुई हैं जहां तक मैं समझ पाया हूं उसके तीन कारण हैं। सब से पहला कारण तो यह है कि चकबन्दी अधिकारी अपनी खैरख्वाही के लिये जल्दी-जल्दी काम करते हैं और उस जल्दी में वे भूल जाते हैं कि हम किसका गला काट रहे हैं। दूसरा कारण यह है कि कुछ लोग नाजायज तरीके से अच्छी जमीन लेना चाहते हैं। उसके लिये जो भी उन्हें जायज या नाजायज काम करना पड़ता है करते हैं। कुछ अधिकारी उसमें भी फसते हैं। तीसरा कारण है सिफारिश और सिफारिश के बारे में खासकर मेरे जिले में मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसकी जांच कराइये कि ठाकुर रामलगनसिंह जो जिला बोर्ड के अध्यक्ष हैं वह कलेक्टरी के वकील हैं, दीवानी के वकील भी नहीं है, उनकी वजह से आपका एक बहुत ही ईमानदार अफसर भ्रष्ट हुआ है। वह हैं जौनपुर के एस० ओ० सी०। मगर अब फिर मालूम हुआ है कि उनके कुछ कान आपने टाइट किये हैं, क्योंकि अबकी मर्तबा जब मैं गया तो पता लगा कि अब वह फिर दुरुस्त हो रहे हैं। बीच में तो उसको इस कदर भ्रष्ट किया गया कि मैं कुछ कह नहीं सकता। उसके इजलास पर पहुंच कर ठाकुर रामलगनसिंह फाइलें अलग कर दिया करते थे और खाली मुंह दिखलाने के लिये दो दो सौ रुपये लिया करते थे चकबन्दी के मामले में। आप इसकी जांच कराइये। इस वक्त रामलगनसिंह का जौनपुर में एक तिमंजिला मकान बन रहा है। उसके लिये रुपया कहां से आया? तो चकबन्दी में सिफारिश से भी आपके आफिसर्स भ्रष्ट किये जाते हैं, एक मर्तबा नहीं, मैंने चार, छः मर्तबा कहा है और आज भी कहता हूं। मुझे पता लगा है और यह बड़ी खुशी की बात है और मैं ठाकुर साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उस अफसर के कुछ कान टाइट किये हैं जिसकी वजह से एक अच्छा अफसर भ्रष्ट होते होते बच गया।

श्री अध्यक्ष—

आपका टाइम हो रहा है।

कुंवर श्रीपालसिंह--

एक मिनट में खत्म करता हूं। एक चीज और निवेदन करूंगा कि पहले पटवारी था और अब हो गया लेखपाल। पटवारी धोती कुरता पहने, कन्धे पर गमछा रखे, बगल में बस्ता दाबे और छाता लटकाये घूमा करता था। अब लेखपाल पतलून वाला है। साइकिल पर चढ़ कर चलता है और कंठलगोट भी बांधे रहता है। तो उसकी रिश्वत भी बढ़ गयी है। मैं कहां तक निवेदन करूं, एक एक इन्तखाब के लिये कभी कभी लोगों को दो-दो सौ रुपये देने पड़े हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

अगर वहां देनदार लोग ज्यादा हैं तो हम क्या करें ?

कुंवर श्रीपालसिंह--

तो मैं ठाकुर साहब से निवेदन करूंगा कि वे सीधे सादे आदमियों को रखें, गांवों में कंठ-लंगोट वालों को न भेजें वरना वहां भी वही हालत हो जायगी।

जैसा मैंने पहले ही निवेदन किया, भू-राजस्व ग्रांट के अन्दर थोड़ी सी चीजें हैं। अगर लंनको संभाल दिया जाय चूंकि इसका सम्बन्ध सीधे-साधे किसानों से है इसलिये उनको रिलीफ होगी।

अन्त में फिर माननीय ठाकुर साहब से निवेदन करूंगा कि वे सदन के सब से बुजुर्ग सदस्य हैं, आप इतना मान जायं कि लगान आधा कर दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कट मोशन का समर्थन करने के लिय खड़ा हुआ हूं। हमारा सारा देश यों तो किसानों का है, लेकिन खास तौर से हमारा उत्तर प्रदेश बिलकुल किसानों का है। यहां के किसानों के यहां अगर गल्ला होता है तो उसको रोटी मिलती है, खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं और हर तरह का उसका इन्तजाम होता है, लेकिन अगर गल्ला नहीं होता है तो सारे काम उसके बंद हो जाते हैं। पहले कुछ भी था, लेकिन जब से इस सरकार का राजपाट हुआ तब से किसानों की हालत दिन प्रति दिन बदतर होती चली गयी है। उसकी आर्थिक दशा में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है, बल्कि गिरावट हुई है। जब मैं इसको कहता हूं तो जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। मैं ठाकुर साहब की बात नहीं कहता हूं, बल्कि पूरे सरकार की बात कहता हूं।

श्रीमन्, हम सब लोग कांग्रेस से छोटे से सिपाही थे और अंग्रेजों के जाने से पहले कहा करते थे कि अंग्रेज जायेंगे, जमींदारी टूटेंगी और किसानों की मालगुजारी आधी होगी। मैं आपके द्वारा उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने उसको दुहराया कि नहीं, कांग्रेस मंच से प्रस्ताव पारित हुये या नहीं ? अगर दुहराया गया तो हम क्यों इस अच्छे लक्ष्य को भूल गये ? हमको इसका गम्भीरता से आत्मचिन्तन करना चाहिये। अगर नहीं करते हैं तो माने होते हैं कि हम किसानों के लाभ को भूल जाते हैं, उसकी आवश्यकताओं को भूल जाते हैं और उसके दुख दर्द को नहीं देखते हैं। आप देखेंगे कि अपने प्रदेश में मालगुजारी का तरीका क्या है ? हर गांव का सर्किल रेट क्या है ? अंग्रेजों के जमाने में बहुत से बन्दोबस्त हुये और उनमें किसानों की जमीन देखी जाती थी कि वह किस हैसियत की है और उसकी हैसियत के मुताबिक उस पर मालगुजारी लगती थी। मैं जानना चाहता हूं कि जब से अपने प्रदेश में यह शक्ति इनके हाथ में आई है तब से इन्होंने इस नीयत से कितने बन्दोबस्त कराये हैं ? जिन बन्दबस्तों से यह मालूम हो सकता कि किसानों की जमीन की क्या मालियत है और उसकी क्या मालगुजारी है और क्या होनी चाहिये?

श्रीमन्, ठाकुर साहब जो एक संगदिल व्यक्ति हैं, उनको भी इस काम में कुछ करते हुए नहीं देखता हूं तो मुझे तकलीफ होती है। आखिर जब सरकार किसानों की हालत को सुधारना चाहती है तो उसे देखना चाहिये कि किसानों की खेती पर कितनी आमदनी होनी चाहिये और कितना खर्च होना चाहिये, कितना नफा होना चाहिये और क्या जमीन की हैसियत होनी चाहिये ? अगर ठीक तरह से सरकार इन बातों पर विचार नहीं करती है तो मैं समझता हूं कि किसानों के

साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। श्रीमान, अपने प्रदेश में एक ही गांव में कई हैसियत की जमीनें हैं। गोंयड़ जमीन है, बालू वाली जमीन है, ऊसर वाली भी जमीन है, ताल वाली भी जमीन है। बीसों तरह की जमीनें हैं। लेकिन सर्किल रेट सब का एक है। गोंयड़ जमीन जिसमें चार फसलें उगायी जाती हैं, एक एकड़ में तीन चार सौ रुपय पैदा हो सकते ह उसकी मालगुजारी वही है जो कि तालवाली जमीन की है जिसमें एक फसल भी नहीं होती, बल्कि जो किसान लगान देता है वह भी वापस नहीं पाता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। मेरे यहां एक भठिया गांव है। उसका सर्लिक रेट है १८ रुपये १२ आना एक एकड़ का। वहीं पर सुल्तानपुर में बारह गांवा है उसका सर्किल रेट है चार, पांच रुपये। भठिया गांव की जमीन बालू है। एक फसल भी अच्छी नहीं होती है और सुल्तानपुर के बारह गांवा की फसल बहुत अच्छी होती है। आजमगढ़ में वह सोना जमीन कही जाती है। आप सोचें कि १८ रुपये एकड़ मालगुजारी देने वाला किसान जो खेत में पूरा गल्ला पैदा करे और जिन्दगी की जरूरतों को मुहइया करने के बाद आपकी मालगुजारी अदा कर सके और गरीब न रहे, यह बिलकुल ताज्जुब की बात है। किसान की यह मूलभूत बात है। इसको अगर आप कर दें तो विरोधी दल के लोग चाहे हजार बैठे हों, हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। किसान की सबसे बड़ी मांग है कि किसान की मालगुजारी का उसकी जमीन की हैसियत के मुताबिक फैसला होना चाहिए। बड़े जोखिम का काम है, समय लगेगा। लेकिन उसके साथ-साथ आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। आपको फायदा होगा। राजस्व में कमी नहीं होगी। लेकिन एक नया काम है जिसके लिए कोटि-कोटि आदमी आपको आशीर्वाद देगा। यह मेरा पहला सुझाव है।

दूसरी बात मैं केवल माननीय हुकुमसिंह की नहीं कहता। इस सरकार के निकम्मेपन की बात कहता हूं। उत्तर प्रदेश की जमीन बिहार में चली गयी। १८८४ के पहले गयी है लेकिन, इस सरकार से और बिहार सरकार से विवाद १८८४ से है। प्रदेश की हजारों एकड़ जमीन चली जाय दूसरे प्रदेश में और मालगुजारी आपके प्रदेश का किसान दे और जमीन को जोत न पाये, गल्ले को ले न पाये, सैकड़ों वर्षों के बाद आप फैसला न करवा सकें यह बात अच्छी नहीं है। मैं चाहूंगा कि ऐसी परिस्थिति में जब कि आपकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करते हैं, आपका किसान गरीबी की हालत में मालगुजारी अदा करता है खेत की पैदावार को पा नहीं सकते हैं उनकी रक्षा करना आपका कर्त्तव्य है, पुनीत कर्त्तव्य है और उस पुनीत कर्त्तव्य से आप पीछे हटते हैं तो मैं समझता हूं कि आप अपने कर्त्तव्य की अवहेलना करते हैं। बड़ी मुस्तैदी के साथ बिहार की सरकार जैसे किसानों की पैदावार को लेती है, मैं नहीं चाहता कि आप भी जबर्दस्ती करें लेकिन न्यायपूर्वक किसानों के हक को आप उनसे दिलायें जिसमें कोताही हो रही है, ढीलढाल हो रही है। इसमें आपकी स्फूर्ति की जरूरत है। श्रीमन्, आप देखते होंगे, आप फैजाबाद नगर के निवासी हैं। नदियों का कटाव बढ़ रहा है। बहराइच भी कटा है घाघरा नदी से और श्रीमन, हम भी उसी के किनारे बसे हुए है। १९३८ की बात है, उस समय मैं एक छोटा-सा कार्यकर्त्ता था। हमारे यहां एक बहुत पुराना जमींदार था एहतिशाम अली। उससे किसानों के खेतों की रक्षा करने मैं गया था। उस समय हुकुमसिंह जी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे, तो वह हमारी बात सुनने हमारे गांव गये थे। तो हमने यह देखा कि उस वक्त का पुराना जमींदार किसानों के साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं करता था। किसानों की छाती पर चढ़कर उसकी मर्जी के खिलाफ मालगुजारी और तरह-तरह के ढंग से पैसा लिया करता था। लेकिन मैं जानना चाहूंगा माननीय हुकुमसिंह जी से कि जो जालिम जमींदार था और जो तरह-तरह से मालगुजारी की वसूली करता था आपने उस मालगुजारी में कितनी कमी की? कुछ कमी की है क्या? कुछ भी कमी नहीं की है?

(सामुदायिक विकास मंत्री) श्री राममूर्ति––

कुछ नहीं बढ़ाया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

बढ़ाया है श्रीमन, घटाया नहीं है । दुनिया के किसी कोने में भी कहीं ऐसा नहीं मिलेगा, शायद इस देश में भी नहीं मिलेगा जो इनके राज्य में है कि जो बढ़ा किसान है वह कम मालगुजारी देता है और जो छोटा किसान है वह ज्यादा मालगुजारी देता है । यह क्या है ? ऐसा कहीं है कि बड़ा किसान कम मालगुजारी दे और छोटा किसान ज्यादा मालगुजारी दे ? और माननीय राममूर्ति जी कहते हैं कि हमने बढ़ाया नहीं है। कैसी ओछी बात है ? माननीय हुकुमसिंह जी यह नहीं कहते हैं, वह नहीं कह सकते हैं । और आप भी चूंकि किसानों के वोट से आये हैं तो किसानों की ओर ही आपको भी जाना चाहिए, उनकी हमदर्दी में ही बात कहनी चाहिए । गरीब किसान की मालगुजारी बढ़ी है । मैं जानना चाहता हूं सीरदारी का हमने हक किया । हमने फैसला किया था, चरण सिंह जी उस वक्त राजस्व मंत्री थे, वोट के बल पर उसे पास कराया था, हमने बार-बार विरोध किया और आज भी विरोध करता हूं, सीरदारी दी गई और उसकी मालगुजारी सर्किल रेट से दूनी की गई । क्यों राममूर्ति जी ऐसी बात कहते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

हाउस ने पास किया था हम क्या करें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

हाउस में तो आपका बहुमत है । माननीय मंत्री जी ऐसी बात क्यों कहते हैं ? जो आप चाहते हैं पास कराते हैं । तो मैं यह कह रहा था कि बड़े किसान से कम मालगुजारी आप लेते हैं और छोटे किसानों से ज्यादा लेते हैं । एक फैसला हुआ कि आधी मालगुजारी लेंगे । दूसरा फैसला हुआ कि जो अलाभकर खेत हैं उनसे मालगुजारी बिलकुल नहीं लेंगे । लेकिन उसकी जगह एक एकड़ जोतने वाले, आधा एकड़ जोतने वाले, दस बिस्वा जोतने वाले की मालगुजारी सर्किल रेट से दूनी कर दी गई । भटिया गांव की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । आधा एकड़ जमीन जोतने वाला एक किसान है । उसकी मालगुजारी ३६ रुपया एकड़ है । तो जरा हुकुमसिंह जी बता दें कि वह कितना उस खेती में लागत लगायेगा, कितना इनकी मालगुजारी अदा करेगा और उसके बाद कितना उसको नफा होगा और उस किसान की हालत सोचें जो उस एक एकड़ खेत को लेकर अपने लड़कों को पढ़ायेगा, लिखायेगा और उस प्रदेश का एक स्वस्थ नागरिक बनायेगा । कैसे हो सकता है ? इसलिये मैं कहूंगा कि जो निरंकुश सामन्तवादी युग था उसको आप खत्म करें । किसानों के ऊपर मालगुजारी लगाना बन्द करें, अलाभकर जोतों की मालगुजारी बिलकुल बन्द करें, सर्लिक रेट जो पुराना है उसको आप नये ढंग से लगायें और हैसियत के मुताबिक मालगुजारी का मूल्यांकन करें ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि दैवी आपदा की बात है । कितने ही और प्रदेशों में जब टैस्टवर्क होता है तो सरकार पैसा देती है । वह दूसरे विषय हैं और इस समय उसका जिक्र करने का समय नहीं है । इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि नदियों का कटाव बहुत भीषण कटाव है और हजारों एकड़ भूमि हर साल नदियों से कटती है । जहां पर जमीन कटती है। वहां पर घर भी कटते चले जाते हैं। श्रीमन्, मैंने अपने इलाके में कई मर्तबा चाहा कि मन्त्री लोग जिलों में जब दौरा करने जाते हैं तो उस क्षेत्र में भी जायं लेकिन मुझे दुख है कि बार-बार आग्रह करने पर भी, चिट्ठी लिखने पर किसी मन्त्री को उधर जाने की फुरसत नहीं मिलती है । सड़कों पर दौरे होते हैं । जहां पर नदियों से भीषण कटाव हैं उसकी तरफ मन्त्री महोदय के विभाग की बड़ी लापरवाही है । हजारों एकड़ जमीन के कटाव से हजारों परिवार बरबाद हुये हैं और इधर १० साल से बराबर तबाह होते चले जाते हैं लेकिन आज तक उनको बसाने के लिये जमीन नहीं मिली है । वे गरीब एक झोपड़ी डालकर पूरे परिवार के साथ रहते हैं । रोजी कमाने के लिये जमीन नहीं है और रहने

के लिये घर नहीं है। हमारे यहां घाघरा के कटाव से ऐसी हालत हो गई है कि जिसको देख कर आपके आंसू गिर पड़ेंगे। १० बैल की खेती करने वाले किसान एक बिस्वे खेत पर गुजर करके एक झोपड़ी में रहते हैं। उनका सारा परिवार घास काटकर बाजार में बेचता है और अपनी गुजर करता है। इस तरह के किसान हमारे प्रदेश में हजारों और लाखों की तादाद में हैं। सरकार उस तरफ अपना ध्यान नहीं देती है। मैं चाहता हूं आपको उन किसानों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिये।

जहां तक दैवी आपत्ति का प्रश्न है, लेखपाल की रिपोर्ट के अनुसार नुकसान दिखाया जाता है। मैं जानता हूं आजमगढ़ जिले में १२ नये पैसे से ३० नये पैसे का नुकसान दिखाया गया है। लेखपाल रिपोर्ट करता है तो वह तहसीलदार के पास जाती है। न हाकिम परगना जाता है, न कलेक्टर जाता है और न कमिश्नर जाता है। मैं माननीय हुकुमसिंह जी से जानना चाहता हूं कि कितने स्थान ऐसे हैं जहां पर कमिश्नर देखने के लिये गया है? न कमिश्नर जाता है और न कलेक्टर जाता है। जो लेखपाल रिपोर्ट करता है वही मान ली जाती है। मैंने पाला पड़ने के मौके पर माननीय हुकुमसिंह जी को चिट्ठी लिखी और शास्त्री जी से भी कहा कि जो हमारे विचार हैं उनमें और जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के विचार हैं उनमें बड़ा अन्तर है। असेम्बली के मेम्बरों के तखमीनों में उनसे बहुत अन्तर था। असेम्बली का मेम्बर गांव-गांव घूमता है और झोपड़ी-झोपड़ी घूमता है। उसके तखमीने में और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के तखमीने में अन्तर है। उसका तखमीना दूसरा है और मेम्बरों का तखमीना दूसरा है। उनसे कहा कि आप मिल जुल कर एक कान्फ्रेन्स करें और इस तरह का आदेश करने की कृपा करें लेकिन इस तरह का आदेश नहीं गया। हमारा तखमीना सही हो या गलत किन्तु अगर इस तरह से किया जाय और मिल जुल कर उस बात को देखने की कोशिश करें तो लाखों किसानों का अपने प्रदेश में लाभ हो सकेगा। नहीं तो मैं साफ कहना चाहता हूं कि यह जो आपका सहायता देने का तरीका है उससे उनको लाभ नहीं होता है। उसको मालगुजारी देनी पड़ती है। खेत में पैदा होता नहीं लेकिन फिर भी उनको मालगुजारी देनी पड़ती है। उनकी सारी सम्पत्ति स्वाहा हो जाती है, लेकिन जेल के डर से उनको मालगुजारी देनी पड़ती है। श्रीमन्, अभी मैं गया था। मैंने देखा कि एक इंटर जे० टी० सी० मास्टर, तहसीलदार की हवालात में बन्द है। पूछा कि क्यों भाई ऐसा क्यों? पता लगा कि अमीन से झगड़ा था इसलिये बन्द कर दिया गया। उसका पिता ५१ रुपये लिये मालगुजारी देने के लिये बैठा था, लेकिन उसे बन्द कर दिया गया। बाद में रुपया जमा करा कर किसी तरह से उसे छुड़ाया गया। तो इस तरह के कामों के लिये आपको सख्ती बरतनी चाहिये अगर प्रदेश के किसानों के साथ आपका व्यवहार अच्छा न रहा तो आपको अच्छा नहीं कहा जा सकता।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

अध्यक्ष महोदय, माल मंत्री जी ने जो ८ करोड़ ३२ लाख, ६६ हजार ५०० रुपये का अनुदान प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करते हुए मैं आपके द्वारा उनके सम्मुख कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट जो कुमाऊं डिवीजन के लिये १९६० में पारित हुआ था वह अभी तक चमोली, पिथौरागढ़ और नैनीताल में नहीं लागू हुआ है। जोकि वहां सेटिलमेंट हो गया है, कागजात तैयार हो गये हैं, पहाड़ के लोग चाहते हैं कि वह ऐक्ट लागू हो जाय। अगर वह वहां लागू कर दिया जाय तो सरकार की आमदनी बढ़ सकती है। वहां का पिछला सेटिलमेंट १९०४ में हुआ था। उसके बाद जिन लोगों ने नयी जमीन पर काश्त की है उस पर नियमानुसार लगान नहीं लगा है और वह भूमि नयाबाद के नाम से आबाद है। सरकार को शायद यह अनुभव नहीं है कि हमारे यहां के जो टिलर्स आफ दि स्वायल हैं वह हैं पायकास्त, खायकर और सीरतान। जो हिस्सेदार (लैंडलार्ड) हैं वे सुपर इंपोज हुये है। कहीं-कहीं उनको सरकार की तरफ से जागीर मिली है। असली जोतने वाले वहीं खायकर और सीरतान लोग हैं। वे उत्सुक हैं कि हमारे यहां यह ऐक्ट लागू हो जाय हम लोग यह इसलिये चाहते है।

श्री खयालीराम (जिला लखनऊ)---

श्रीमन्, कोरम नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

मैं समझता हूं कि सरकारी पक्ष को इस बात का ध्यान रखना चाहिये ।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी ।)

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर---

सरकार सड़क बनाने और इमारत बनाने के लिये बहुत सी लैन्ड एक्वायर कर रही है और उसके लिये जो मुआवजा मिलता है वह असली काश्तकार को नहीं मिलता है या उसका बहुत थोड़ा हिस्सा उसको मिलता है । अगर हमारे यहां यह ऐक्ट लागू हो जायगा तो हमारे जो खायकर, सिरतान और पायकास्त है वह भूमिधर बन जायेंगे और सरकार से जो मुआवजा मिलता है वह गरीब किसानों को मिलेगा जिन्होंने उस जमीन को आबाद किया है । इस सिलसिले में एक बात और बताना चाहता हूं कि हमारे यहां का पी० डब्लू० डी० एक अजीब चीज है । जब वह पहाड़ में सड़क खोदते हैं तो १६ फिट या २० फिट चौड़ी बनाते हैं, लेकिन आबाद जमीन जहां होती है वहां ६६ फिट चौड़ी जमीन सड़क के लिये मांगते हैं । यह कहां का न्याय है ? मैदान में जहां खेती होती है वह बड़े काम की जमीन होती है । तो किसानों की बहुत सारी जमीन सड़क और सरकारी मकान बनाने के लिये ली जा रही है उसका मुआवजा हमारे यहां के कल्टीवेटर्स और टिलर्स आफ दि स्वायल को मिलना चाहिये । और सड़कों के लिये केवल २० फिट चौड़ी भूमि ली जाय ।

सरकार कहती है कि हमारा सेटिलमेंट पूरा नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता है कि चमोली में पूरा हो गया और बहुत अर्सा हो गया पूरा हुए, नैनीताल में हो गया है और पिथौरागढ़ में पूरा हो गया है । सरकार को खुद मालूम होगा कि प्लानिंग कमीशन की भी राय है कि जिन-जिन हिस्सों में पहाड़ों में सेटिलमेंट पूरा हो गया है वहां भी लैन्ड ऐक्ट लागू होना चाहिये । आल इंडिया कांग्रेस कमेटी और गवर्नमेन्ट की भी यही राय है । तो मैं जानना चाहता हूं कि हमारी सरकार क्यों हिचकिचा रही है और हिल्स के लैन्डलार्ड्स के साथ सरकार की इतनी हमदर्दी क्यों है और क्यों नहीं हमारे काश्तकारों की इच्छा के मुताबिक लैन्ड ऐक्ट को वहां लागू नहीं करती ? साथ ही सड़क बनाने के लिये खेतों की ६६ फिट चौड़ा हिस्सा नहीं लेना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---

जब निर्माण विभाग का प्रश्न आवेगा तो कहियेगा अभी तो राजस्व है ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर---

मैं दिखलाना चाहता हूं कि क्यों जरूरत है लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट की पहाड़ों में जल्दी लागू करने की । अगर वह लागू नहीं होगा तो नतीजा यह होगा कि काश्तकार परेशानी में पड़े रहेंगे । मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं । मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मौका दिया कि मैं पहाड़ की आवाज सरकार के कान तक पहुंचा सकूं ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

आदरणीय अध्यक्ष महोदय , यह आज जो कटौती प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इस अनुदान को पेश करने वाले मंत्री जी बहुत बुजुर्ग और अनुभवी हैं । जहां तक मुझे याद है सन् १९३६ से ही वह हमारे मंत्री के रूप में यहां रहे हैं लेकिन हमको भी, श्रीमन्, कुछ पता है । जब हम अंग्रेज से लड़ रहे थे और सन् ३६ की मिनिस्टरी

यहां बनी थी उस वक्त हमने किसानों से कुछ वादे किये थे और कहा था कि जमींदारी प्रथा खत्म होने के बाद किसानों को यह यह सहूलियत हम पहुंचायेंगे—उन मुलजिमों में हम भी हैं। श्रीमन्, स्वर्गीय माननीय गोविंद बल्लभ पंत जी को वोट दिलाने वाले हम सिपाही थे। लेकिन बदकिस्मती से आज हम कोई बात कहने के हकदार नहीं रहे, उधर के सदस्य भी इसको समझते हैं, मगर टिकट के लिये वे दब जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—

ऐसी बात कहना नहीं चाहिये।

श्री लखीसिंह—

ठीक है, अब नहीं कहूंगा। श्रीमन्, तीन तरह के काश्तकार पहले थे—दखीलकार, जमन १० और जमन ८। जमन १० और जमन ८ के काश्तकारों की मालगुजारी स्वराज्य से पहले ही माफ कर दी गयी थी। जब पूरा स्वराज्य मिला तो इस सरकार ने बड़ा निकम्मापन किया। इस सरकार के बराबर और कोई सरकार इतनी निकम्मी है ही नहीं क्योंकि इसने वायदा खिलाफी की। अब इस सरकार को क्या कहा जाय। जहां तक मैं समझता हूं जमींदारी प्रथा समाप्त होने के पहले जमींदार २४ करोड़ रुपया किसानों से मालगुजारी का वसूल करता था और उसमें से ८ करोड़ वह सरकार को देता था, १६ करोड़ जमींदारों की जेब में जाता था। अब हमारी सरकार ने क्या किया? लगान किसानों पर ज्यों का त्यों लदा हुआ है और वह उनसे वसूल किया जाता है।

मैं अभी अपने क्षेत्र में गया था। चकबंदी के बारे में अभी दो वक्ताओं ने जो कहा है वह ठीक है। मेरे क्षेत्र के जो गांव हैं—बहेन कलां, गिडोय, पैगाव, कामर, दहगांव, बुलवाजा, महराजा, हताना, बुखरारी, बरका, बरचावली, फालेन, बठेंन खुर्द, कादोंना, लालपुर, कोटवन, खरौट, सुरवारि, तूतूमौला, कोसीकलां। यह सब गलत इंदराज के शिकार हुये हैं। उस क्षेत्र में, जब वह जलमग्न हो रहा था, उस समय माननीय मंत्री जी वहां गये थे और उस इलाके को उन्होंने देखा था। मैं कहता हूं कि अब भी वहां के राजस्व विभाग के कर्मचारी जो अपनी रिपोर्ट देते हैं वह गलत होती है। मैं उनकी करतूतें बताता हूं। जिन खेतों में आज तक पानी भरा होने के कारण कोई फसल बोयी तक नहीं गयी, उनका लगान भी मुल्तवी नहीं हुआ है और वह वसूल हो रहा है। मैं आपको यह एक सदस्य के नाते सही रिपोर्ट दे रहा हूं और अगर आप इसकी जांच करायेंगे तो सही पायेंगे। पाले से जो नुकसान हुआ उसकी भी सही रिपोर्ट नहीं दी गयी है। उसकी दोबारा जांच कराइये।

सोशलिस्ट पार्टी ने बार बार कहा है। यही नहीं, भारत सरकार की रिपोर्ट में भी यह है कि हमारे देश में, विशेष सोशलिस्ट पार्टी कर इस प्रदेश में, ८० फीसदी किसान ऐसे हैं जिनकी खेती बिना मुनाफे की खेती है। साढ़े ६ एकड़ तक के जो किसान हैं उनके पास कुछ नहीं बचता। इस सरकार की दुहरी नीति है। एक तरफ तो सरकार किसानों की तरफ देखती नहीं है और दूसरी तरफ शहरके लोगों, पूंजीपतियों, कारखानेदारों को यह छूट दे रखी है कि ३,६०० रुपया तक की आमदनी पर कोई इन्कम टैक्स नहीं लगेगा। अगर ३,६०० रुपया से एक रुपया भी आमदनी में कम पड़ जाय तो वह इनकम टैक्स से बरी हो जायेगा। लेकिन अगर किसान के पास एक बीघा ही जमीन है तो भी उस पर लगान लगा दिया जाता है। इस सरकार की चकबंदी के कारण तो किसान को इस तरह से फांसी ही लग गयी है। गलत इन्दराज तो सरकारी कर्मचारी करते हैं और दंड उठाना पड़ता है किसान को। जमींदारी प्रथा समाप्त होने के पहले जमींदारों की जमीन को किसान जोतते थे लेकिन जब आपके सी० एल० आर० डी० नाम का लगान एक-एक किसान पर १०-१० गुना लगान कर दिया। उसको भला किसान कैसे दे सकता है? उसकी फसल को पाला मार गया है। खरीफ की फसल हुई नहीं और रबी में कुछ पैदा नहीं हुआ लेकिन ६–६ रुपया लगान के लिये इस सरकार के तहसीलदार और कलेक्टर किसान को पकड़ कर जेल में डाल रहे हैं। सरकार अगर हमारी और अपनी बहबूदी चाहती है तो इसको रोकना चाहिये। माननीय मंत्री ने कहा कि यह एक रुपया की कटौती

[श्री लखीसिंह]

क्या रखी है। यह तो हमारा बोलने का तरीका है, नियम है, लेकिन यह नहीं हो सकता कि किसानों पर एक पाई भी लगान कम न करो और उसके हमदर्द भी बने रहो। यह धोखा किसानों के सामने न चलेगा। याद रखिये, किसान अब जागरूक हो गया है, अब वह इस सरकार को बरदाश्त न करेगा। मेरा गांव ऐंब है जो छाता तहसील में है। मेरे गांव का जो उदाहरण मैं दे रहा हूं वह सारे क्षेत्र से लगा लिया जाय। हमारे गांव का एक-तिहाई रकबा ऐसा है जहां की चकबंदी नहीं हुई लेकिन उस क्षेत्र के किसानों से भी जबरदस्ती चकबंदी टैक्स वसूल किया जा रहा है और फिर यह सरकार किसानों की हमदर्द बनती है। मैं सरकार से आशा करूंगा कि वह इस बजट अधिवेशन में यह घोषणा करे कि साढ़े छः एकड़ तक की अलाभकर जोतों से कोई लगान नहीं लिया जायगा क्योंकि उनसे कोई मुनाफा नहीं होता।

सिंचाई की बात भी श्रीपालसिंह जी ने कही। वैसे वह दूसरा विभाग है। लेकिन राजस्व विभाग के कर्मचारी ही सिंचाई में किसानों को खींचते हैं तथा सिंचाई की वसूली माल विभाग के द्वारा ही होती है। इनका कागज इतना गलत है कि खेतों में पानी भरा है, ईख सूख गयी या कीड़े लग गये, लेकिन आबपाशी आ गयी। बदस्तूर अमीन कोड़े बजा रहा है और किसान को पकड़ कर तहसील की हवालात में बन्द कर देता है। क्या वे माल विभाग के कर्मचारी नहीं हैं? क्या वे मंत्री जी के अधिकारी व कर्मचारी नहीं हैं? माननीय सिंचाई मंत्री भी सुन लें, कहीं दूर तो हैं नहीं। मैं आपको बतलाता हूं कि इस सदन के सदस्य होने के नाते मैंने किसी तरह से पतरौलों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि इंजीनियर से जाकर कहो कि खेतों में पानी भर गया है, इसलिये सही आबपाशी ही बना कर भेजें, लेकिन नहीं, इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। मैंने माल विभाग को भी बतलाया . . .

श्री अध्यक्ष--

माननीय लखीसिंह जी, जैसा कि मैंने कुंवर श्रीपाल सिंह जी से कहा था, आप से भी कहता हूं कि जब नहर विभाग के सम्बन्ध में बहस आये तब आप इन प्रश्नों को रखेंगे। जिस बात को आप कह रहे हैं उसी को कुंवर श्रीपालसिंह जी ने भी कहा था। इससे राजस्व मंत्री का कोई सम्बन्ध नहीं है। कोई नयी बात हो तो कहें।

श्री लखीसिंह--

नयी बात यह है कि किसान वह कामधेनु है कि जिसने चीनी हमले के समय सुरक्षा के सम्बन्ध में हमारी सरकार की ज्यादा से ज्यादा मदद की। वह ऐसी कामधेनु है कि अगर हम प्रचार करें और सरकार के ऊपर कोई आफत आवे तो वह सरकार की हर हालत में मदद करने के लिये तैयार रहते हैं लेकिन यह सरकार आज उसी को दबोचती है। अध्यक्ष महोदय, आप देखें कि ५-६ साल जो बारिश हुई उसमें ९० प्रतिशत मकान बिस्मार हो गये, बिलकुल चौपट हो गये, लेकिन मंत्री ने या उनकी सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की। अगर कहीं लखनऊ में बड़े-बड़े महल इस तरह से चौपट हो जायं तो इस सरकार का सिंहासन ही हिल जाय लेकिन इस सरकार ने उन गरीब किसानों की कोई परवाह नहीं कि जिसके पास सर्दी व पाले से बचने के लिये एक झोपड़ी तक भी नहीं है। इस सरकार ने उनको कोई मदद नहीं की। यदि कुछ मदद दी भी तो वह केवल ८ रुपये मकान के हिसाब से, जिस ८ रुपये में एक बोझ पतवार भी नहीं मिल सकता। इस बात को सिवा इनके दिमाग के दिवालियापन के और क्या कहा जा सकता है? श्रीमन्, आपके द्वारा मैं सरकार से कहता हूं कि वह अपने को सम्भाले वरना बेमौत मरेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं माननीय राजस्व मंत्री को इस बात के लिये बधाई देता

हूं कि अभी हाल ही में एक आदेश निकला है जिसके द्वारा लेखपालों से कैफियत के खाने में इन्दराज करने का अधिकार ले लिया गया है। वास्तव में इससे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जब भी झगड़ा लगाना हो तो लेखपाल किसी भी काश्तकार के इन्दराज के कैफियत के खाने में कुछ लिख देता था और वही झगड़े की जड़ हो जाया करती थी। लेकिन इस आदेश के बाद अब ये झगड़े बहुत अंश तक कम हो जायेंगे। इसी के साथ साथ किसानों को और भी कठिनाइयां हैं लेखपालों के सम्बन्ध में, जिन्हें अगर सरकार दूर कर दे तो किसानों को बहुत बड़ी राहत मिल जायगी।

किसान को इन्तखाब लेने के समय लेखपाल बहुत परेशान करता है और उसके लिये उसे कभी-कभी १०–२०–५० और १०० रुपये तक देने पड़ते हैं जबकि सरकारी रेट इंतखाब लेने के लिये ८ या साढ़े ८ आना ही है, लेकिन उनको मजबूर किया जाता है कि काश्तकार ज्यादा से ज्यादा पैसा दे। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि सरकार कोई ऐसा नियम बना दे जिस से किसान को साल ब साल इंतखाब मिल जाया करे चाहे उसके लिये सरकार मालगुजारी के साथ कुछ थोड़ा पैसा और बढ़ा ले। वह पैसा किसान खुशी से दे देगा। अगर उस को हर साल इंतखाब मिलने लगेगा। किसान जोतता रहता है, लेकिन लेखपाल अपने कागज में क्या इन्दराज करता है उस का उसे पता ही नहीं चलता। जब वह ४–५ साल बाद इंतखाब लेता है और उसमें देखता है कि उसका नाम कागज में नहीं है तो वह परेशान हो जाता है। इसलिये इस तरह की व्यवस्था हो जाय कि हर साल वह इंतखाब पा जाया करे तो उस का बड़ा लाभ होगा।

श्री अध्यक्ष––

अब हम उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १० मिनट पर उपाध्यक्ष श्री होतीलाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री माताप्रसाद––

मैं कह रहा था कि अगर काश्तकारों को अनिवार्य रूप से इंतखाब दिलाने की व्यवस्था सरकार करा दे चाहे उसके लिये उनसे कुछ फीस ही क्यों न ले तो उनकी दिक्कतें बहुत कुछ हल हो जांय। इस सरकार ने भूमि सुधार के सम्बन्ध में तीन कदम उठाये। पहला जमींदारी उन्मूलन, दूसरा चकबंदी, तीसरा अधिकतम भूमि सीमा आरोपण अधिनियम। जमींदारी उन्मूलन प्रदेश का बहुत ही सुन्दर कानून है जिससे हमारे प्रदेश के किसानों का बहुत ही बड़ा हित हुआ है। इसके बाद थोड़ी सी दिक्कतें काश्तकारों के सामने आ रही हैं जो मैं बताना चाहता हूं। जमींदारी उन्मूलन के बाद परती और बंजर जमीन ग्राम समाज को दे दी गई और गांव सभा का प्रधान, लेखपाल आदि उसके मेम्बर होते हैं। सरकार ने व्यवस्था की है कि भूमिहीन लोगों को परती जमीन दी जाय पट्टे पर अगर वह चाहें, लेकिन आम तौर से होता यह है कि भूमिहीन या हरिजनों को जमीन नहीं मिल पाती है। बहुत से प्रधानों ने ऐसा किया है कि अपने लड़कों व स्त्री के नाम परती और बंजर जमीन लिख दी है और लेखपाल से मिल कर उनके नाम करा देते हैं। इसलिये कोई व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये। जिससे प्रधान खुद अपने खानदान के लोगों को जमीन न देने पावें। वास्तव में जिनको जरूरत है उन्हीं को जमीन मिले तभी जरूरतमंद लोगों को फायदा हो सकता है। एक चीज सरकार को ध्यान में रखना चाहिये कि इंदराज जो हों वे सही होने चाहिये। आज भी प्रधान अगर किसी को तंग करना चाहते हैं तो उनको नोटिस दे देते हैं जिनके मकान भी बहुत दिनों से बने हुये हैं। पर जो पचीसों एकड़ बंजर जमीन जोते हुये हैं प्रधान उनको नोटिस नहीं देते अगर सरकार इसकी तरफ ध्यान देगी तो इससे गांव में रहने वालों को बहुत फायदा होगा।

दूसरी चीज जो चकबंदी की है वह हमारे प्रदेश के लिये एक बहुत अच्छी चीज है। जौनपुर जिले में जहां पर चकबंदी हुई है वहां पर बहुत पैदावार बढ़ी है। जहां पर चकबंदी नहीं हुई है, नहरों के करीब, वहां के लोगों ने मांग की है माननीय मंत्री जी से कि वे कोई व्यवस्था करें कि उन गांवों में भी चकबंदी जल्द से जल्द हो जाय। एक चीज वास्तव में इस विभाग में यह है कि

[श्री माताप्रसाद]

उसके कर्मचारी सहयोग नहीं करते। वहां पर एस० ओ० सी० तो बहुत काम कर रहे हैं परन्तु जो खराबी है वह केवल छोटे कर्मचारियों की वजह से है। जैसे जब वे कहीं जाते हैं तो जहां आबादी है वहां वे आबादी नहीं लिखते और जब नापने के लिये जाते हैं तो कम व बेश नाप देते हैं और नक्शों में भी छोटे कर्मचारी ही गड़बड़ी कर देते हैं। एस० ओ० सी० उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर छोटे कर्मचारियों पर सख्ती कर दी जाय तो यह काम बहुत अच्छी तरह से चल सकता है।

तीसरी बात है हदबन्दी की। गांवों में हदबन्दी की बहुत ही आवश्यकता है। इससे बहुत सी भूमि हरिजनों और भूमिहीनों को दी जा सकती हैं। माननीय मंत्री जी ने बताया था कि करीब १४ लाख एकड़ भूमि हदबन्दी से मिलेगी और वह भूमिहीनों को दी जायगी। कुछ समय बाद पता चला कि १४ लाख नहीं १ १/२ लाख एकड़ जमीन मिली। पता नहीं इस कानून के बन जाने के बाद भूमि क्यों घट गयी। इसमें ठीक वही हुआ कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। हदबन्दी में ४०–८० एकड़ तक बढ़ा दी गयी है। वह कम की जानी चाहिये क्योंकि जितनी कम जमीन होगी उसमें उतनी ही अच्छी खेती की जा सकती है। जापान में ७ एकड़ के किसानों के पास खेत हैं लेकिन वहां पर जो खेत हैं उसमें भी वे बहुत अच्छी पैदावार कर लेते हैं। सरकार को हदबन्दी कानून में संशोधन करना चाहिये।

चौथी बात मैं मान्यवर, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जब तक जमीन जोतने वालों के नाम नहीं होती तब तक हम कितनी ही कोशिश करें हमारी पैदावार नहीं बढ़ सकती है। आज जो आदमी खेती करते हैं उनको हरवाहा कहते हैं और जो कागज में केवल अपना नाम लिखा देते हैं वे काश्तकार होते जाते हैं। उसका नतीजा यह होता है कि अच्छी तरह से वह खेत की देखभाल नहीं कर पाते हैं और मजदूरों के भरोसे खेती होती है। इसका एक दूसरा कारण यह है कि काश्तकार के लड़के खेती की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और शहरों की तरफ ध्यान देते हैं। जिनके पास खेत हैं वे खेती नहीं करना चाहते और जिनके पास खेत नहीं हैं वे खेती करना चाहते हैं। आपको इस बात की व्यवस्था करनी होगी कि जिनके पास खेत हैं वे खेती करें ताकि पैदावार बढ़ सके।

देहातों में बहुत से ऐसे खातेदार हैं जो साझे के हैं। किसी जमाने में वे एक थे, लेकिन अब अलग अलग हो गये हैं। लगान वसूल करने जाते हैं अमीन, तो वे, अलग अलग खातेदारों से भी कर सकते हैं और एक खातेदार से भी पूरा लगान वसूल कर सकते हैं। कई ऐसे खातेदार होते हैं जो अमीनों से मिलकर, उन्हें खुश कर के तय कर लेते हैं कि लगान उनसे न लिया जाय और अमीन जिसको परेशान करना चाहते हैं उसको ले जाकर तहसील में बन्द कर देते हैं और उससे पूरा लगान वसूल करते हैं। इसलिये ऐसी व्यवस्था की जाय कि सभी से लगान वसूल किया जाय जितने भी खातेदार हों।

खेतों के लगान में भी एकरूपता होनी चाहिये। देखा यह गया है कि एक खेत है उसका लगान ८ रुपये है और उतनी एकड़ का पड़ोस का खेत है उसका लगान २ रुपये है। इस सम्बन्ध में भी सरकार व्यवस्था करे कि एकरूपता एक से खेतों के लगान में हो।

तहसीलदार, एस० डी० ओ० काफी जिम्मेदार अधिकारी हैं ब्लाक्स जितने हैं उनमें जीपें हैं। तहसीलदार तथा एस० डी० ओ० को भी हक हो कि वह जीप का इस्तेमाल कर सके और हफ्ते में एक दिन श्रमदान या विकास के कार्यों में हिसा लें तो बहुत कुछ विकास के कार्यों में सफलता मिल सकती है।

तहसीलों में सीजनल अमीन तथा चपरासी भरती किये जाते हैं और एक सीजन में जो चपरासी अथवा अमीन भरती किये जाते हैं वे दूसरे सीजन में बिना किसी वजह के निकाल दिये जाते हैं और दूसरे भरती कर लिये जाते हैं। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि जो अमीन अथवा चपरासी एक सीजन में भरती किये जाते हैं उन्हें दूसरे सीजन में भी भरती किया जाय जब तक कि उनके खिलाफ कोई शिकायत न हो। इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। आज इस ग्रान्ट की तरफ प्रदेश की आंखें लगी हुई हैं क्योंकि यह प्रदेश एक खेतिहर प्रदेश है। ८० प्रतिशत मजदूर किसान गांव में रहते हैं। यह राजस्व उसी से सम्बन्धित है जिसके लिये सरकार ने यह मांग प्रस्तुत की है। इस राजस्व में सरकार २२ करोड़ २९ लाख रुपये की वसूली के लिये ७ करोड़ १८ लाख रुपये, जिसमें कुछ कंसालिडेशन का भी शामिल है, मांगें हैं। यह ३३ परसेंट आता है यद्यपि इसमें वह खर्चा भी शामिल है। प्रति वर्ष यह खर्चा बढ़ता चला आया है जैसा कि बजट देखने से प्रतीत होता है। पालिसी यह होनी चाहिये कि बजट को फिक्सअप कर देना चाहिये कि १०, १२ परसेंट तक यह खर्चा होगा क्योंकि अगर हम उसको लिमिट फिक्स नहीं करते तो बराबर हमको टैक्स लगाना पड़ेगा और एक साइकिल बन जाती है जिसके कारण एसेन्सल कमोडिटीज की भी कीमतें बढ़ती रहती है जिसका कि सरकार को आज भी सामना करना पड़ रहा है। और इसमें विशेष रूप से रेकरिंग एक्सपेंडीचर ज्यादा पड़ता है खासतौर से तनख्वाहों आदि पर।

जमींदारी विनाश सरकार का एक बहुत अच्छा कदम था पर इससे किसानों ने जो आशा लगायी थी कि उन्हें लाभ होगा और इंटरमीडियरीज के निकल जाने से उन्हें लाभ होना आवश्यक भी था, पर उनको कोई लाभ हुआ नहीं, वह बीच का पैसा सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और उसका लाभ किसान को नहीं पहुंचा। वैसे तो शहरों में अन्य व्यवसाय हैं जिन पर कोई सीमा निर्धारित है कि उसके बाद ही उन पर टैक्स लगेगा पर किसान अगर एक कण भी जमीन में सींचता है तो उस पर ३७ नये पैसे लग जाते हैं। अगर टैक्स जमीन पर न लगा कर उसकी पैदावार पर लगाया जाय तो किसान को फायदा होता पुराना इतिहास भी बताता है कि शासन अपना राजस्व फसल के भाग के रूप में लेते थे—१/२० भाग या इससे भी कम।

अभी-अभी एक बात कही गयी और मंत्रीजी का वह बहुत उचित कदम था, पिछले वर्ष भी उसको दोहराया गया था कि लेखपालों को जो कैफियतखाने में इन्दराज करने का अधिकार था वह उनसे वापस ले लिया है। लेकिन अब उससे यह बात हो गयी है कि लेखपाल कानूनगो या तहसीलदार को लिखेगा और वह उसकी जांच करके इंदराज करेगा। यह और भी खतरनाक होगा। एक काम के लिये दो आदमी हो गये। पहले लेखपाल को ही रिश्वत देकर काम चलता था लेकिन अब दो जनों को देना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी का कदम बहुत अच्छा है पर इस ओर उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है।

वैसे तो विभाग की हालत जैसा कि तहसीलों में देखा जाता है कि छोटे काम के लिये महीनों लग जाते हैं, म्यूटेशन केसेज में भी ३,४ महीने तक लग जाते हैं, कागजात की दुरुस्ती नहीं हो पाती है, लेकिन एक और विशेष बात यह हो गयी कि तमाम तरह के चन्दे काश्तकारों से वसूल होने लगे। इमर्जेन्सी का चन्दा तो ठीक ही है लेकिन और भी बहुत मेल के चन्दे, जैसे जिले में एग्जिबिशन आदि होती है तो उसका भी चन्दा देने में किसान को बड़ी परेशानी होती है।

खतौनी की दुरुस्ती का तहसीलदार को कोई अधिकार नहीं है, एस०डी० एम०, ही करता है। जब वह दौरे पर जाता है तो खतौनी मौके पर पढ़ कर सुनायी जाती है और अगर उसमें कोई गलती होती है तो उसी वक्त दुरुस्त कर देना चाहिये। पर प्रैक्टिस में ऐसा नहीं है। जब वह वहां पर सुनायी जाती है तो कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं किया जाता है। मुझे एक मिसाल मालूम है। कोंच तहसील में भेड़ ग्राम का रतनपुरा कोंच (गैर आबाद) नाम का गांव है। उसमें १५–२० साल पहले एक मुसम्मात मझली बेवा गोकल नट जो मर गयीं लेकिन उन्हीं के नाम इंदराज चला आ रहा है। हालांकि वह जमीन मनीराम, पुत्र नत्थू निवासी भेड़ जोते हुये है। न मालूम कितने एस० डी० ओज वहां दौरे पर इस बीच में जा चुके हैं लेकिन न मालूम क्या कानून में कोई ऐसा कायदा है जो अभी तक वह इंदराज दुरुस्त नहीं हो पाया है। इन कामों में सरकार को सख्ती करना चाहिये जो अधिकारी इसमें गफलत करें

[श्री विजयसिंह]

उन्हें सजा देनी चाहिये । मेरे कहने का मतलब यह है कि मंत्री जी ऐसे आदेश जारी कर दें कि जो इस तरह के खाते हैं जिनका अस्तित्व नहीं है, जो गलत खाते हैं उनका नाम काटकर सही आदमी का नाम दर्ज कर दिया जाय ।

मान्यवर, अभी तक एजेंसी पटवारी की थी लेकिन अब लेखपाल हो गये हैं जो कुंवर साहब के कहने के अनुसार ज्यादा खर्चा के और खतरनाक हो गये हैं । कायदे कानून के अनुसार उसको गांव में बसना होता है । इसका नतीजा यह होता है कि वह किसी न किसी का घर लेना चाहता है । इस तरह के कब्जा करने की कैफियत पैदा हो जाती है । इसके अलावा इनके ट्रांसफर्स एक सीमित क्षेत्र में ही होने चाहिये । दूर ट्रांसफर नहीं होने चाहिये क्योंकि इनको छोटी तनख्वाह मिलती है । अगर काम खराब करें तो सस्पेंड कर देना चाहिये । पर गरीब लेखपाल जिले भर में न दौड़ाया जाय । इसी के मुकाबिले में दूसरा आदमी अमीन है जो हमारे रेवेन्यू की वसूलयाबी करता है । वह रोज ८—१० मील का दौरा करता है । अन्य सभी सरकारी कर्मचारियों के लिये टी० ए० की व्यवस्था की गई है । लेकिन इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं है । इनके प्रमोशन को कहीं स्थान नहीं । लेखपालों से कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर तक हो सकता है । लेकिन इनके लिये कोई जगह तरक्की की नहीं है । इसलिये सरकार को इनके प्रमोशन के लिये ध्यान रखना चाहिये ।

श्रीमन्, कंसोलिडेशन की बड़ी चर्चा हुई है । जहां तक मेरा अनुभव है, इससे प्रोडक्शन में कमी हुई है । किसान को भू स्वामित्व का निश्चय नहीं रहता है इसलिये वह कम पैसा लगाता है । मेरा ऐसा ख्याल है कि सरकार ने ३५ जिलों में चकबंदी की है पर पूरी कहीं भी नहीं हो पाई ।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, अभी तो केवल १० मिनट हुये हैं जबकि सबको १५ मिनट देते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

१० मिनट आम तौर पर देते हैं । अगर कोई विशेष बात होती है तो एक दो मिनट और दे देते हैं ।

श्री विजयसिंह--

आप ५ मिनट मुझे दे दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

अच्छा चलिये ।

श्री विजयसिंह--

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि चकबंदी में बहुत ज्यादा करप्शन है और मंत्री जी ने भी इधर ध्यान दिया है और उनकी सख्ती के कारण काम ठीक हो रहा है । लेकिन इसके साथ ही साथ यह बात भी देखी जाती है कि यह किसानों के हित के लिये होनी चाहिये । ओले पत्थर अक्सर एक तरफ में ही पड़ते हैं । पूरे मौजों में पत्थर गिरने की बहुत कम मिसालें हैं तो ज्यादातर एक बैल्ट में ही पड़ते जाते हैं । इससे अलग २ खेत विभिन्न दिशाओं में होने पर कभी इस आपत्ति से लाभप्रद भी हो सकते हैं । चकबंदी के कारण खेत एक जगह होने के कारण ज्यादा नुकसान होगा । अगर अलग-अलग खेत रहेंगे तो कुछ खेत उसके बच जायेंगे चकबंदी के पूर्व से तथा अन्त तक परेशानियों के कारण किसान रुपये की लागत कम लगाता है और पैदावार इसी से कम होती है । किसानों की जमीन की हैसियत को देखकर चक बनाये जायें तो ज्यादा लाभ हो सकता है । ३५ जिलों में चकबंदी होने के कारण जो परेशानियां हुई हैं उनसे तो यही अच्छा है कि चकबंदी को समाप्त ही कर दिया जाय ।

मान्यवर, अब मैं अपने क्षेत्र जालौन जिले की तहसील के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं बुंदेलखंड वैसे बड़ा ऊंचा प्रदेश है। इस में बाढ़ नहीं आती थी। लेकिन इस वर्ष विशेष रूप से ज्यादा बाढ़ आयी। खरीफ की फसल नष्ट हो गयी और रबी की फसल भी पाले के प्रकोप से नष्ट हो गयी। रेमिलशन का तरीका १९१४ से चला आ रहा है, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है यह पुराने रेमीशन के नियम अब लागू करना किसान के साथ ज्यादती करना है। अतः १९६४ में १९१२ के नियम समाप्त करके सभी को पूरी-पूरी लगान की छूट दी जाय पाले से जो हमारे यहां नुकसान हुआ है उसके जो आंकड़े दिये गये हैं वह ठीक नहीं हैं क्योंकि १५ नये पैसे से ३५ नये पैसे तक नुकसान दिखाया गया है जब कि चना आठ आने बिलकुल बरबाद हो गया, गेहूं पर भी आंच पड़ी। धनिया, अलसी, मटर, आलू, बिलकुल नष्ट हो गया, मेरा सुझाव यह है कि छूट के नियमों में परिवर्तन किया जाय। बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसमें जालौन जिला और भी पिछड़ा हुआ है। जिस समय वहां पाले का प्रकोप हुआ अधिकारी लोग नुमायश में लगे हुये थे। इसलिये असली रिपोर्ट नहीं प्राप्त हो सकी। मेरा कहना यह है कि सरकार दोबारा पड़ताल करवाये और उस पर प्रधानों से प्रमाणित करवाये क्योंकि प्रधानों का गांव में विशेष रूप से हित रहता है। लेखपाल बैठ कर सारे आंकड़े लिख देता है। मेरा निश्चित मत है कि जालौन जिले में १२ आने से कम नुकसान नहीं हुआ है। सरकार से निवेदन है कि वह इस ओर अवश्य ध्यान दे और जालौन जिले की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये।

श्री कृष्णसिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि आज कम से कम आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। जनरल डिस्कशन में मैंने बहुत कोशिश की कि जिस विषय पर मैंने तैयारी कर रखी थी उस पर बोलने का अवसर मिले, लेकिन मैं उस पर बोल नहीं सका।

मैं सीमान्त तक जो जिले हैं उनकी समस्याओं के संबंध में कहना चाहता था। समस्याएं तो हर विभाग में हैं, शिक्षा में हैं, इंडस्ट्रीज में हैं, जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में हैं, फारेस्ट में हैं। सब में बहुत समस्याएं हैं। उनको जरूर सामने लाना चाहता हूं। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि सीमान्त की समस्याओं को जानने की कोशिश करें। सीमान्त बहुत महत्वपूर्ण इलाका है जहां न जाने क्या होनें वाला है। इस लिये वहां दिमाग जीतने के लिये यह आवश्यक है कि वहां उनकी समस्याओं पर सरकार और माननीय सदस्य ध्यान दें।

उपाध्याक्ष महोदय, आज तो अनुदान हमारे सामने है उसका मैं समर्थन करने के लिये तथा कटमोशंस का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं लेकिन माननीय माल मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने के लिये, कुछ समस्याओं को जरूर सामने लाना पड़ेगा। वहां के लिए जमींदारी अबालिशन ऐक्ट पास हो गया है, लेकिन अभी सक लागू नहीं हुआ है। यह निर्णय किया गया है कि सेटिलमेंट आपरेशंस के बाद वहां यह ऐक्ट लागू होगा। सेटिलमेंट आपरेशंस के समय मालगुजारी नियत हो रही है। यह मालगुजारी जिस तरीके से वहां पर लगी व लगा रहे हैं उसके विषय में आप से मैं कुछ कहना चाहता हूं। सेटिलमेंट वहां जब शुरू हुआ उसका दफ्तर टेहरी में रखा गया। उत्तर काशी जो कि टेहरी से बहुत दूर का जिला है वहां से लोगों ने बहुत दफा प्रार्थना की कि इस दफ्तर को उत्तर काशी में ले जाया जाय, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बावजूद सारे प्रार्थना-पत्रों के वह दफतर टेहरी में ही कायम रहा। यह कहा गया कि उत्तर काशी में उस पर बहुत खर्च होगा जब कि टेहरी में कम होगा। मेरा निवेदन है कि इससे लोगों को दिक्कतें हुईं, मालगुजारी में गलतियां हुईं और सेटलमेंट ओपरेशन्स में भी गलतियां हुईं। इससे वहां की जनता में असंतोष हुआ, १००, १५० मील दूर से आ कर लोग एतराज कर नहीं पाये इसलिये गल्तियां रहती गईं लोगों को ज्यादा मालगुजारी देना स्वीकार करना ही पड़ रहा है।

[श्री कृष्णसिंह]

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं सरकार से यह भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह जो नियम मालगुजारी तय करने के लिये बनाये गये थे वह ऐसे आदमियों ने बनाये जो पहाड़ की समस्याओं को कतई जानते नहीं थे मसलन चार पांच गांवों के समूह में एक मेन गांव रहता है और बाकी गांव लग्गू रहते है। मेन गांव फर्टाइल वैली में होता है और आमतौर पर पहाड़ के ऊपर के गांव लग्गू गांव कहलाते हैं। रियासत के पहले उन की मालगुजारी का रेट अलग-अलग होता था। नये नियम में दोनों का एक ही रेट रखा गया। पहाड़ की सारी जमीन फर्टाइल नहीं होती। वेली की जमीन फर्टाइल होती है पहाड़ के ऊपर की फर्टाइल नहीं होती, दोनों तरह के गांवों का एक ही रेट रखना न्याय के विरुद्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय, सेटिलमेंट में एक अजीब बात हुई। वहां सारी जमीन की मालिक सरकार है। वहां के काश्तकार कुछ मौरूसीदार होते हैं, कुछ खायकर और, कुछ सीरतान होते हैं। नयाब द जमीन जो पाई गई उसमें ऐसे लोग भी हैं जो ६०, ७० साल से काश्त करते चले आ रहे हैं उनको सेटिलमेंट में वर्ग नं० ५ में रखा गया। वह खायकर भी नहीं माने गये, सीरतान भी नहीं। वे किसी तरह के काश्तकार नहीं माने गये हैं और सरकार की ओर से उनको ट्रेसपासर्स करार किया गया है और उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। उनमें से ज्यादातर हरिजन और गरीब हैं। दृष्टांत को तौर पर एक केस है। एक हरिजन परिवार वहां पिछले १०० सालों से एक जगह आबाद है लेकिन सेटिलमेंट के समय वह ठीक से अपनी पैरवी नहीं कर सका उसे वर्ग में ५ पर रख दिया गया और अब उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह इस तरफ जरूर मुझे एक बात और कहनी है और वह यह है कि उत्तरकाशी, जो आज शहर ध्यान दे। है, वह पहले शहर नहीं था। वह गांव पहले था। गांव से अब शहर बनाया गया और उसमें म्युनिसिपैलिटी कायम हुई। वहां पर सरकार ने कुछ जमीन लेनी चाही इमारतों को बनाने के लिये। यह बात करीब दो साल पहले की है। उस समय वहां पर सरकार ने यह तय किया कि गांव वालों की जमीन ली जाय याने उत्तरकाशी के लोगों की जमीन ली जावे और उसकी कीमत ७० रुपया नाली के हिसाब से दी जावे। ४ नाली का एक बीघा होता है। ७० रुपया प्रति नाली दाम इतना कम था कि लोगों ने वहां पर एजीटेशन शुरू कर दिया और नतीजा यह हुआ कि काले झंडो का प्रदर्शन हुआ। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस एगीटेशन में कुछ ऐसे लोग भी घुस गये जिनका मत और प्रभाव जहां पर उचित नहीं है। जिस समय वहां पर एजीटेशन हुआ और जमीन एक्वायर करने की प्रोसीडिंग चली तो सरकार से प्रार्थना की गई कि उनको ३०० रुपया नाली के हिसाब से दिया जाय लेकिन सरकार मानने के लिये तैयार नहीं हुई। दो साल के बाद बोर्ड आफ रेविन्यु ने अब तय किया है कि उनको ३०० रुपया नाली के हिसाब दिया जाना चाहिये। वक्त पर काम न करने से वहां पर असन्तोष बढ़ गया और इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई जो बहुत खराब कही जा सकती है। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि सीमान्त के मसलों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वहां पर मालगुजारी में जो गड़बड़ हुई, ज्यादा लगाई गई उस पर ध्यान दिया जाय कि किस तरह से उसको दुरुस्त किया जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि अपील वह कर सकते हैं, हायर कोर्ट में जा सकते हैं। मेरा निवेदन है कि वहां के लोगों को मुख्य मंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं कि कितने गरीब हैं, कितने सीधे होते हैं, कितने अनपढ़ होते हैं। ऐसे लोग वहां पर हैं रेल जिन्होंने नहीं देखी है, मोटर जिन्होंने नहीं देखी है और साइकिल भी नहीं देखी है। जो यह भी नहीं जानते हैं कि किस तरह कपड़े पहनने हैं। ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर का बुना हुआ ही कपड़ा पहनते हैं और वह एक कपड़ा भी साल भर तक पहने रहते हैं। उनको यदि आप चाहते हैं कि वकीलों के पास जाने के लिये १००,१५० माईल पैदल चल कर और १५० रुपया खर्च करके न्याय के लिये अदालत में जायं तो यह उनसे नहीं हो सकता है, इसलिये सरकार से प्रार्थना है कि सरकार सीमान्त के लोगों की ओर ध्यान दे। अगर उनके अन्दर असन्तोष बढ़ा तो यह हमारे देश के लिये खतरे की बात होगी।

अगर वहां की समस्याओं को जल्दी हल करने की कोशिश की जाय तो इससे हमारे देश की सुरक्षा में बल मिलेगा ।

श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कटौती का प्रस्ताव आया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और उस संबंध में २, ४ बातें आपके द्वारा माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं । मान्यवर, जमींदारी विनाश कानून पास हुआ और किसानों में एक प्रसन्नता की लहर आई कि जो जमींदारों की तरफ से अत्याचार होते थे, जुल्म होते थे तरह तरह से, उसको सताया जाता था उससे उनको राहत मिलेगी, लेकिन श्रीमन्, मैं देखता यह हूं कि जमींदार जो जुल्म करते थे उससे ज्यादा जुल्म आज माल विभाग के तहसीलदार या उसके कर्मचारी करते देखे जाते हैं । जमींदार लगान वसूली पर जाते थे या उसके कारिन्दे जाते थे तो वह हाथ जोड़कर कह देता था कि आज नहीं, कल दूंगा । अपने बरतन या गुड़ बेचकर वह लगान दे देता था या १५ दिन और १ महीने बाद देने को कहता था तो कारिन्दे वापस चले आते थे लेकिन यह तहसीलदार या तहसील के कर्मचारी उनको मुर्गा बनाते हुये देखे गये हैं । किसानों को जेल में बन्द कर देते हैं । उनको हवालात में बन्द कर देते हैं और आज भी यह हो रहा है । आजमगढ़ में मुझे बतलाया गया है कि एक आदमी की तो उन्होंने चुन्नी (चुटिया) ही उखाड़ ली । मैंने उसके लिये मांग की कि उसके ऊपर कार्यवाही की जाय, लेकिन उसका पता नहीं चला कि क्या हुआ ।

जमींदारी खात्मे से एक बात और हुई । माननीय मंत्री जी ने एलान किया था कि जो हदबन्दी कानून वह ला रहे हैं उसके पास हो जाने पर १६ लाख एकड़ से भी अधिक जमीन निकलेगी जो किसानों में बांटी जायगी । लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि इन्हीं कर्मचारियों के जरिये जो छोटे-छोटे काश्तकार हैं दो-दो एक-एक बीघे के, वह भी बेखेत के होते जा रहे हैं । इन्हीं लेखपालों और कानूनगो के तिकड़म से बेचारे तबाह होते जा रहे हैं । उनके पास जो कुछ भी रहा सहा खेत है वह भी साफ होता जा रहा है । इनके जाल फरेब, इनके जाल बट्टे से कोई भी किसान खुशहाल नहीं है ।

श्रीमन्, मैं चकबन्दी योजना का पहले भी स्वागत करता था और आज भी करता हूं, लेकिन उनके कर्मचारी जिस तरह से कार्य करते हैं उससे एक भयंकर असन्तोष फैला हुआ है । आजमगढ़ सदर तहसील में दसवां साल शुरू हो रहा है, अभी चकबन्दी समाप्त नहीं हुई वहां पर । वहां एक गंधुवई गांव है जहां हरिजनों की आबादी के अन्दर खूंटा गाड़ दिया गया है । इसके खिलाफ कई बार लिखा-पढ़ी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई । पचास-पचास, साठ-साठ रुपये पर ए० सी० ओ० और सी० ओ० एक-एक दो-दो बीघा खेत गरीबों से निकाल कर दूसरों को दे रहे हैं । इतना ही नहीं गांव समाज की सम्पत्ति लोगों से पैसे लेकर ए० सी० ओ० ग्राम प्रधानों की साजिश से दूसरों के नाम कर दिये हैं । करीब बीसों एकड़ जमीन बरहतील जगदीशपुर एक गांव है उसमें ऐसे ही ए० सी० ओ० ने दूसरों को दे दिया है । मैंने कई बार लिखा लेकिन कोई उत्तर नहीं आया । सवाल पूछा, उसके उत्तर में बता दिया गया कि आरोप निराधार पाये गये । बी० पी० सिंह ए० सी० ओ० ने २१ सौ रुपया सुरक्षा फंड में बीसों आदमियों से वसूल किया, उसे जमा नहीं किया । डाइरेक्टर लोग बैठे हैं, मैंने कई बार लिखा, लेकिन कोई कार्यावाही नहीं हुई । क्या इसी फौज को खिलाने के लिये इतनी भारी रकम आप हमसे पास कराना चाहते हैं जिसको खा खाकर यह जनता को और चूसें क्योंकि इसके अलावा और कोई काम इनको नहीं रह गया है ? रामशरीकसिंह ने ५१ रुपया दिया है सुरक्षा फंड में, लेकिन मेरे सवाल के जवाब में बताया गया है कि ३० रुपये कुल उस रामपुर गांव से मिले, जब कि २१ सौ रुपये की दरख्वास्त यह मेरे पास मौजूद है जो कि किसानों ने दी है । उनसे कहा गया कि रुपया दो नहीं तो तुम्हारा चक बिगाड़ देंगे, तुम्हारा चक ताल में डाल देंगे, बंजर कर देंगे, ऊसर कर देंगे । इस पर सवाल किया गया । उत्तर मिला कि आरोप सब निराधार पाये गये । यह इन लोगों ने रिपोर्ट दी है । और

[श्री सुरजनराम विशारद]

दे लें रिपोर्ट इस तरह से थोड़े दिन। इधर की तादाद और बढ़ेगी और आपकी तादाद घटेगी, एक दिन आपका पता भी नहीं चलेगा। यह सारी नौकरशाही आपको इस तरह विनाश की तरफ ले जा रही है और इधर यह गोल बढ़ती जा रही है। इसका सारा दोष इन कर्मचारियों पर है। कलेक्टर कहता है कि कम्यूनिस्टों का प्रचार हो जायगा अगर बी० पी० सिंह, ए० सी० ओ० को हटा दिया जायगा। के० एन० सिंह, ए० सी० ओ० गालियां देता है खुलेआम जनता को और मारने की धमकी देता है। शिकायत की जाती है तो कहा जाता है कि कम्यूनिस्टों का प्रचार है। आजमगढ़ जिले का आधा हिस्सा लाल हो चुका है। पांच एम० एल० ए० और एक एम० पी० हमारा जीता है। तो कम्यूनिस्ट आवाज नहीं उठायेंगे, उनकी मुसीबतों को आपके सामने नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? कम्यूनिस्ट तो वहां से जीता है। कुल तीन तो कांग्रेसी पूरे जिले से आये हैं १७ में। यह सारा पैसा आप पानी की तरह बहाना चाहते हैं तो बहाइए।

गोड़सर गांव में विक्रमा एक हरिजन है। उसने रुपया लिया तकावी का और एक कुआं बनाया। उस कुये का नम्बर एक जमींदार के नाम में कर दिया गया। अब उधर से बकरी निकलेगी, मवेशी जायगा, बैल जायगा। वह तबाह होगा अगर वह उसकी हरवाही नहीं करता है। मैंने कहा कि इतनी जमीन उस हरिजन से लेकर उस जमींदार को दूसरी जगह दे दीजिये नहीं तो सारी जिन्दगी तो जमींदारी से तबाह हुआ और अब इस तरह तबाह होगा। लेकिन सुनवाई नहीं हुई। महवतपुर एक गांव है। वहां जो जमींदार हरी बेगारी लिया करता था उसी का चक फैकू हरिजन के दरवाजे पर लाया गया। अब वह किधर से निकलेगा, कहां हौदी गाड़ेगा? झगड़ू और दो तीन और तेली जाति के हैं, उनकी हौदी दो तीन दिन हुए खोदकर फेंक दी गई है। हौदी गाड़ने के लिये उनको जमीन नहीं दी गयी। मैंने बहुत कोशिश की कि यह मसला हल किया जाय लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, भगवानपुर गांव जिसका मैं रहने वाला हूं। एक अच्छी सी सैकड़ों वर्ष की पुरानी ऊसर बंजर से आने वाली चौड़ी-सी सड़क थी उसको एक चक में देकर बड़ा लोगों को परेशान किया। मैं परसों गया था ए० सी० ओ० को लेकर देखने के लिये। उसको एक चक में दे दिया और एक आदमी की नींव उखाड़ कर फेंक दिया। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जांच कराई जाय तो १५ फिट पानी होगा जहां से चक रोड बनायी गयी है, उसमें तो बैल भी डूब जायेंगे। हरिजनों को तो तबाह कर दिया गया है, आबादी बिलकुल नहीं छोड़ी गयी है।

रायपुर अलेक पट्टी है, हमारे उप सचिव देख आये हैं, वहां एक छटांक से डेढ़ पाव तक का ओला पड़ा है, सारी फसल चौपट हो गयी। एक ढाई सौ बीघे के काश्तकार का खेत है, उसके पास ट्रैक्टर है, बड़ा जमींदार रहा है उसका चक दरवाजे पर डाल दिया है। हरिजन कहां से निकलेंगे? जो रास्ता दिया गया है उनके घर के दक्षिण से वह गड्ढे में होकर दिया गया है। एक बरसाती धोबी है आमुरी गांव का। उसका १९ बीघे का खेत था, लेकिन उसको चक १२ बीघे का दिया गया। मैंने एस० ओ० सी० से पूछा तो उन्होंने कहा कि यह तो सब जगह से हार चुका है, अब कुछ होने वाला नहीं है। मैंने कहा कि मैं कायदे कानून की बात नहीं जानना चाहता, लेकिन १९ बीघे से १२ बीघे कर दिया गया तो उसका ७ बीघे खेतवा क्या हुआ? उनकी समझ में यह बात आयी, जाकर मुआयना किया, अब पता नहीं कि क्या करने जा रहे हैं। बी० पी० सिंह की पहुंच डायरेक्टर के यहां बतायी जाती है, इसलिये उसका कुछ नहीं हो सकता।

एक पकड़ी ताल है। ४-५ तिकड़मी बड़े जमींदारों ने चाल चली। उस ताल से बहुत से मल्लाह परिवार पलते हैं, उसका पट्टा लिख दिया गया। दो महीने भी नहीं हुए वहां तहसीलदार और कानूनगो के यहां लिखा गया, जब हल्ला किया गया तो उन्होंने पट्टा मनसूख कर दिया। एक तरफ लिखते हैं, दूसरी तरफ मंसूख करते हैं। काशीपुर में ४ आदमियों को छोड़ कर बाकी सब को ऊसर दे दिया। जब हल्ला किया गया तो अब

दोबारा उसकी चकबन्दी होगी सारे गांव की। एक बार हुई, ६–३ महीने लगे, वक्त खराब हुआ, फिर दोबारा होने जा रही है, कब होगी उसका ठीक से पता नहीं। हम लोगों ने मांग की कि गांव के सहयोग से चक बनाये जांय, गांव के लोगों से, प्रधानों से राय लें, लेकिन जहां से पैसा मिलता है वहीं का काम होता है।

मैंने ओला पड़ने का जिक्र किया, इधर पाला पड़ा, फसल बिलकुल खराब हो गयी लेकिन आज भी वसूली जारी है। मैं इधर छुट्टी में गया था तो लगान की और तकावी की धुंआधाड़ वसूली हो रही है। कहा जाता है कि कुल १२ पैसे तक नुकसान हुआ, यह कलक्टर की रिपोर्ट है। वहां पर एक छटांक धान भी नहीं हुआ है और इस पाले ने तो और भी उनको तबाह कर दिया है। लगान वसूल करने वाले टूट पड़े हैं उन पर और वह तेजी से वसूल कर रहे हैं इसलिये कि कहीं ऊपर से उसको स्थगित करने के आदेश न पहुंच जायं। मैं आपकी चकबन्दी योजना का स्वागत करता रहा हूं, मगर उसमें सुधार की जरूरत है, उसमें सुधार कीजिये। वरना आपके यह लुटेरे भेड़िये उनको खा जायेंगे और किसान तबाह हो जायगा। आप इस योजना को सफल बनाने के लिये गांव के लोगों का सहयोग लीजिये। एक ए० सी० ओ० साहब ५ हजार रुपये खा गये। (व्यवधान) दौलतपुर के लिये मैंने कई बार लिखा है, वहां पर चकबन्दी में सुधार होना चाहिये वरना सरकार की यह योजना सफल नहीं होगी। आजमगढ़ में १४ लाख एकड़ के करीब जमीन है जिसमें १० लाख में खेती होती है। वह छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटी है। इन कर्मचारियों की लूट से उनको बचाने के लिये माननीय मंत्री जी कदम उठायें और जो भी शिकायतें लोगों की आयें उनकी जांच करायें। इन शब्दों के साथ में इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—

उपाध्यक्ष महोदय, कुंवर श्रीपालसिंह जी ने इस अनुदान पर बोलते हुये और कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये, टामस और सेल्सबरी की उस याद को जो दब गयी थी, फिर से ताजा करने की कोशिश की है। १७ साल के बाद भी उन्हें उनकी याद आयी। यह स्वाभाविक है क्योंकि अगर आज वे हिन्दुस्तान में शासन करते होते तो जमींदारी खत्म होना मुश्किल थी और मालगुजारी आज २२ करोड़ की जगह ८०–९० करोड़ के होती। उस जमाने में हर ३० साल बाद बन्दोबस्त हुआ करता था और उसमें लगान बढ़ता था। एक बन्दोबस्त के और दूसरे बन्दोबस्त के बीच, जिस तरह से चीजों के दामों में बढ़ोत्तरी होती थी, उसी हिसाब से लगान भी बढ़ाया जाता था। इसलिये सन् ४७ के बाद जिस हिसाब से और चीजों के दाम बढ़े हैं, अगर वही जमाना होता, तो लगान २२ करोड़ से बढ़कर ८८ करोड़ हो गया होता।

इसी के साथ-साथ कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भू–राजस्व की वसूली पर खर्चा करीब ३३ फीसदी बैठता है क्योंकि २२ करोड़ के करीब मालगुजारी है और उस पर ८ करोड़ के खर्चा आता है जिसके लिये यह अनुदान मांगा गया है। लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि इसमें मालगुजारी वसूल करने के अलावा और भी बहुत से खर्चे शामिल हैं जैसे चकबन्दी का खर्चा, सीलिंग का खर्चा, और बहुत से खर्चे हैं। तकावी वसूल करने का खर्चा है, एज लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट के ड्यूज वसूल होते हैं, ये सब खर्चे उसमें शामिल हैं। भू-राजस्व को वसूल करने का खर्चा शायद ढाई करोड़ के करीब होता है। जो भू-राजस्व इस समय मौजूद है वह सन् ४७ से बराबर वैसा ही रहा है, बढ़ा नहीं है, बल्कि कुछ घटोत्तरी हुई है क्योंकि जहां-जहां भूमिधरों के अधिकार दिये वहां लगान आधा कर दिया गया। इसलिये लगान वसूल करने की नीति बिलकुल सही है और उसका कोई अधिक बोझा किसी पर नहीं पड़ता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री केशव गुप्त]

हां, एक बात मुझे जरूर आपके द्वारा निवेदन करनी है। मैं यह मानता हूं कि चकबन्दी से काश्तकार को बहुत लाभ पहुंचा है। जब से यह योजना लागू हुई मेरा इससे संबंध रहा और जिन तहसीलों में चकबन्दी खत्म हो चुकी है वहां के काश्तकारों की हालत को अगर हम देखें तो उसमें दिन दुगुनी और रात चौगुनी उन्नति पाते हैं। लेकिन इसमें भी कोई शुबहा नहीं कि ये चकबन्दी के अफसर और अहलकार बहुत भ्रष्टाचार करते हैं और यह किसी से छिपा नहीं है, जैसा कि अभी मेरे मित्र ने कहा। मैं कैराना तहसील से संबंधित रहा, मुझे मालूम है कि एक-एक ए०सी०ओ० एक-एक लाख रुपया लेकर भी वहां कायम रहा। हालांकि वह भ्रष्टाचार अब उस पैमाने पर नहीं रहा है चूंकि जैसे-जैसे अनुभव होता गया कानून में भी तब्दीली होती रही, लेकिन आज भी चकबन्दी के लोगों के अन्दर काफी भ्रष्टाचार मौजूद है। मैं चकबन्दी की योजना से बिलकुल सहमत हूं और जमींदारी अबालीशन से भी इसे महत्व देता हूं, लेकिन भ्रष्टाचार की तरफ मंत्री जी को ध्यान देना है और जिस किसी के खिलाफ जरा-सी भी शिकायत हो उसे केवल ट्रांसफर ही न कर दें, क्योंकि यह कोई सजा नहीं है, बल्कि उसे सजा दें। ट्रांसफर के साथ तो जो भ्रष्टाचारी नहीं है उसका भी ट्रांसफर लाजमी तौर पर हो जाता है और वह कहता है कि मेरा तबादला क्यों किया गया जब कि मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि हमारे प्रदेश में पाले से और अनावृष्टि से एक बहुत बड़ी मुसीबत किसानों पर आई है। रबी की फसल, मटर और गेहूं में काफी नुकसान पहुंचा है। खाकी गेहूं तो बिलकुल खत्म ही हो गया है। उसमें से कुछ भी काश्तकार के हाथ आने वाला नहीं है, बल्कि शायद उसे काटने जाने को भी कोई तैयार नहीं होगा। यह दैवी प्रकोप के कारण हुआ है। उसमें सरकार को बहुत सी संजीदगी और हमदर्दी के साथ कदम उठाने की जरूरत है। बहुत-सी जगह देखने में आया कि हमारे कलेक्टरों ने सरकार को सही फीगर्स नहीं भेजे। जब हम खुद मौके पर गये तो हमने ६० और ७० फीसदी तक नुकसान पाया, लेकिन तहसीलदारों और कलेक्टरों की रिपोर्ट में महज २ आने, या ज्यादा से ज्यादा ३७ पैसे नुकसान दिखाया गया है। वे ज्यादा नुकसान इसलिये नहीं दिखाते हैं क्योंकि उन्हें रेमिशन की सब तैयारियां करनी पड़ती हैं, कागजात बनाने पड़ते हैं। वे इस जहमत से बचने के लिए कम नुकसान दिखाते हैं और काश्तकार के साथ हमदर्दी नहीं रखते हैं। इसलिये रेमिशन के मामले में जितनी भी सहूलियत सरकार बरत सके उतनी बरते।

हमारा बोर्ड आफ रेवेन्यू भी एक रेशनल व्यू नहीं लेता है या जैसी हमदर्दी काश्तकारों के साथ रखनी चाहिये वैसी नहीं रखता है। अभी मुझे देखने को मिला कि हमारे जिले मुजफ्फरनगर में प्राइवेट ट्यूबवैल लगाने का बहुत बड़ा रिवाज हो गया है। चूंकि वहां का काश्तकार इरीगेशन माइन्डेड है, वह मेहनत करता है, वह कैपीटल रखता है और इस बात की कोशिश करता है कि वह सरकारी साधनों पर निर्भर न रहकर अपने सिंचाई के साधन प्राप्त कर सके चूंकि वहां इन्टैन्सिव कल्टीवेशन का भी रिवाज हो गया है। प्राइवेट ट्यूबवेल्स के इंजिन चोरी चले जाते हैं, इसलिये लोग रशन ट्रैक्टर, जैसे १४ हार्स पावर का ट्रैक्टर है, वह खरीदते हैं और उसकी सहायता से ट्यूबवैल से पानी निकाल कर शाम को उसे अपने घर ले जाते हैं। लेकिन जब तकावी और सब्सीडी का मौका आता है तो कहा जाता है कि वह ट्यूबवैल मुकम्मल नहीं हुआ क्योंकि इंजिन उसमें नहीं लगा है। केन डिपार्टमेंट से हमने कहा और वे तो मान गये हैं और सब्सीडी और तकावी द और वसूलयाबी के भी नियम बना दिये। लेकिन बोर्ड आफ रेवेन्यू अभी तक भी इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं है कि अगर बजाय इंजिन के ट्रैक्टर से पानी निकालते हैं तो वह ट्यूबवैल पूरा हो गया। तो उनके इस आउट-माइंडेड व्यू को बदलने की जरूरत है।

मुझे तो ऐसा देखने को मिला कि हमारे अफिसर्स शायद हिन्दुस्तान के रहने वाले नहीं हैं, कहीं बाहर से आये हैं। हाई कोर्ट के एक जजमेंट में देखा कि एक कत्ल के मामले में जहां पर कत्ल हुआ था, एक गवाह ने कहा कि वहां उस खेत में बाजरा और जुवार खड़े थे। तो

हाई कोर्ट के जज ने यह लिखा कि चूंकि बाजरा और जुवार इस केस में प्रिंसिपल विटनेस थे और वे पेश नहीं किये गये हैं, लिहाजा हम इस केस को छोड़ते हैं। उन्होंने यह नहीं सोचा कि बाजरा और जुवार की तो फसल होती है। इस प्रकार हमारे अफसर रियलिस्टिक व्यू न लेकर सुपरफीशयल व्यू रखते हैं और उसी से काम करते हैं। वे काश्तकार की दिक्कतों को नहीं समझते। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि वह बोर्ड आफ रेवेन्यू को जल्दी से जल्दी इस बात की हिदायत करे कि अगर किसी काश्तकार ने इंजिन नहीं लगाया है लेकिन दूसरे साधनों से पानी निकालता है, तो उसे भी तकावी दी जाय, उसकी किस्तें एक दम वसूल न की जावें और सब्सीडी के नियम भी उस पर लागू हों। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस प्रकार के आदेश जल्दी जारी करने की कृपा करेगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव विरोधीदल की ओर से प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा इसलिये कि जो करप्शन की बात इस सदन में अब तक कही जाती थी वह एक रसूम के रूप में परिणत हो गयी है। अब करप्शन के बारे में कुछ कहना बेकार-सी बात हो गयी है। चाहे नीचे का अधिकारी हो अथवा ऊपर का अधिकारी हो, किसी के बारे में कुछ कहना या रिप्रेजेन्ट करना एक बेकार-सी बात हो गयी है।

चकबन्दी के बारे में मैं एक बात यह कहना चाहता था कि माननीय बनारसीदास जी और माननीय उपनेता सदन दोनों आदमी पहले अपने मस्तिष्क को ठीक कर लें। जब तक उन दोनों के मस्तिष्क में संतुलन न होगा तब तक यह राज्य चल नहीं सकता है। वह इसलिये कि माननीय बनारसीदास जी तो कोआपरेटिव फार्मिग का प्रयत्न करेंगे और माननीय मंत्री जी कर रहे हैं चकबन्दी। तो पहले यह तय कर लिया जाय कि आप चकबंदी करना चाहते हैं या कोआपरेटिव फार्मिग। लेकिन अगर बाद में आपने कोआपरेटिव फार्मिग की तो चकबन्दी पर खर्च किया हुआ सारा धन हमारा बेकार ही चला जायगा। इसलिये निश्चित रूप से आपको एक कदम उठाना होगा।

अंग्रेज ने भी बन्दोबस्त किया था और उसने नापने के लिये जरीब एक ऐसी चीज बना दी थी कि अगर एक हाथ जमीन भी किसी दूसरे के खेत में चली जाती थी तो मालूम पड़ जाता था लेकिन इस चकबन्दी में १० प्रतिशत का मार्जिन दिया गया है। अगर किसी का ५०० बीघा का रकबा है तो ५० बीघा जमीन का फर्क आपके लिये कुछ नहीं है। इसका नतीजा यह है कि किसी भी चक का रकबा आपका पूरा नहीं उतरता। क्या माननीय मंत्री जी को अपने एक भी अधिकारी पर गर्व है कि उसने ठीक-ठीक चकबन्दी की है? माननीय मंत्री जी को आज यह कहने की हिम्मत नहीं है कि एक भी चक ऐसा है जिसका रकबा मौके पर पूरा पूरा उतर सके।

आज इस सरकार का शासन तो डंडों के बल पर चल रहा है। माननीय बनारसीदास जी बनारस गये थे वहां उनके सामने ही काला झंडा दिखाने वालों पर डंडे बरसाये गये जिसमें बहुत से लोग घायल हुए और मंत्री जी ने कुछ न कहा। दफा ५२ का नोटिस दिया गया लेकिन इतना भी नहीं हुआ उन माननीय मंत्री जी से, जो यहां बराबर बैठे रहते हैं, स्टेटमेंट की मांग भी कर ली जाती कि सत्य क्या है इसको तो बता देते। जब इस सरकार में इतनी भी हिम्मत नहीं है तो मैं और क्या कह सकता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

जहां तक चकबन्दी का सवाल है, सन् ५४ में पहले पहल जब इसी सदन के अन्दर चकबन्दी अधिनियम बना तो हम लोगों ने बड़े उत्साह के साथ उसका स्वागत किया और गांवों में जब हम लोग गये तो हमने प्रचार किया कि चकबन्दी बड़ी सुन्दर चीज है। उसके बाद किसान अपने खेतों में अपनी झोपड़ी लगा कर तथा अपने मवेशियों को वहां रख कर के उसके मलमूत्र का इस्तेमाल खाद के रूप में कर सकेगा। लेकिन आज चकबन्दी का जो नमूना देखने को मिल रहा है वह यह है कि एक-एक चक १७ धुर, १८ धुर, १९ धुर और २१ धुर तक का बना है जब कि काश्तकार के पास और भी चक हैं। इतना ही नहीं और भी बहुत-सी बातें हैं। जैसे बहुत से आदमियों के मकान, सहन, बाग भी चकबन्दी के अन्तर्गत आ गये हैं। मुझे यहां तक बतलाया गया है कि एक बाग के पेड़ भी कई चकों में चले गये हैं और मैं समझता हूं कि एक तरह से वह बाग ही गायब कर दिया गया है। हालांकि किसी को इसका अधिकार नहीं है कि किसी दूसरे के चक में बाग को दे दे। गाजीपुर जिला के सैदपुर तहसील में एक गांव कुंडरी है जहां एक किसान का मकान है उसके सामने सहन है, फिर सहन के बाद उसी का दूसरा मकान है यानी पश्चिम में भी मकान है, पूरब में भी मकान है, चारों तरफ मकान है लेकिन सहन चक में चला गया है। इससे बढ़कर बुरी बात और क्या हो सकती है। इस तरह की जो चकबन्दी हुई है उसका नमूना आप सैदपुर तहसील के कुंडरी ग्राम में जाकर देख सकते हैं। बहुत से मेरे और साथी भी इस तरह की बातें बतला रहे हैं।

दूसरी बात इस सम्बन्ध में यह है कि अंग्रेजों ने सबसे पहले जो बन्दोबस्त किया उसके लिये काश्तकारों से उसने कुछ नहीं लिया लेकिन इस बन्दोबस्त के लिये हमसे रुपया लिया गया है, दो बातों के लिये। एक तो करप्शन करने के लिये, यानी जो कागजात में गलती थी उसको सुधारने के लिये सरकार की जिम्मेदारी थी लेकिन उसके लिये भी हमसे पैसा लिया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि चक बन जायगा उसकी आड़ में यह शिकार काश्तकारों के साथ किया जा रहा है। कितने चक तो ऐसे हैं जो उसी रूप में हैं जैसे कि पहले काश्तकार के पास थे लेकिन उससे भी चकबन्दी के लिए रुपया लिया गया है। सबसे गड़बड़ी की बात यह है कि चकबन्दी का नक्शा अभी तक फाइनल नहीं बन सका है। गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील में जितनी दुर्दशा की गयी है उसके सम्बन्ध में मैंने नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकारियों और मंत्री तक से इस बात की शिकायत की कि सैदपुर तहसील में चकबन्दी के सम्बन्ध में काश्तकारों के साथ जितना अन्याय किया गया है उसे भुलाया नहीं जा सकता है। जब से मैं वहां से चुन कर आया हूं, तब से मैंने बार-बार विभाग के डाइरेक्टर से लेकर नीचे तक के जितने भी कर्मचारी हैं, यहां तक कि मंत्री से भी मैंने बात की और लिखित भी उनको दिया लेकिन उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ। आज सबसे बड़ी घातक चीज यह है कि चकबन्दी का जो नक्शा है उसे काश्तकारों को देखने का मौका तक नहीं दिया गया और जिस तरह से चाहा गया बना लिया गया, इस तरह से यह एक तरह से चकबन्दी का मखौल उड़ाना ही होगा। मैं इस बात को आज दावे के साथ कहता हूं कि चकबन्दी विभाग के डाइरेक्टर साहब या तो इस्तीफा दें नहीं तो नक्शे के मुताबिक चक को नपवा कर देखें और उसे ठीक करावें। मैं कहता हूं कि अगर सरकार यह नहीं कर सकती है तो जो रुपया किसानों से वसूल किया गया है उसे वापस किया जाय। इससे ज्यादा मैं चकबन्दी के बारे में नहीं कहना चाहता हूं।

जहां तक घूसखोरी की बात है, कितने लाख रुपये वहां से चले गये, मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक बात मैं मंत्री जी से लगान छूट के बारे में अवश्य कहना चाहूंगा। लगान छूट के बारे में जो आप का पुराना कानून है उसे दफना दीजिये तो ज्यादा अच्छा हो। आज बहराइच में तो ७५ नये पैसे तक नुकसान दिखलाया गया है जब कि गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर और वाराणसी में जहां ट्रैक के ट्रैक शीत लहरी से सूख गये हैं वहां १५ से ३५ नये पैसे का नुकसान दिखाया गया है और लोगों को एक पैसे की छूट नहीं दी गयी है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस वक्त वह उसे सदन में पेश करेंगे तो गाजीपुर में कोई छूट नहीं होगी। वह अंग्रेजों की बात कहते हैं कि हम ने उनको भगा दिया, बड़ी शान उन की है अंग्रेजों को

भगाने की लेकिन अंग्रेजों ने जो जुल्म किया और तकावी और लगान की छूट देने के गलत कानून बनाये उन को बदलने के लिये आपने क्या किया ? आज इतना गन्दा और भ्रष्टाचार से भरा कानून है कि उस के बारे में जितना कहा जाय वह कम है और मंत्री जी अगर ईमानदारी से किसान के साथ न्याय करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि वह ऐसी व्यवस्था कर दें कि कोई भी खेत हो उसमें कोई भी हानि हो, ओले से, शीत लहरी से, अनावृष्टि से या किसी भी कारण से हो तो खेत को डिवाइड कर के छूट दी जाय। जैसा कि कानून बना है कि पूरे गांव के खेतों का क्षेत्र लिया जायगा या पूरे खातों का क्षेत्र लिया जायगा। एक इंच भी कोई उससे नहीं हट सकता और किसान को छूट नहीं मिल सकती।

दूसरे लैंड एक्वीजिशन के बारे में भी मंत्री जी से सवाल किया जाता है कि इस तरह से आज किसानों की जमीन को क्यों लूटा जा रहा है। आज डंडे के बल पर उन से दस-बीस रुपया बीघा के हिसाब से जबरदस्ती जमीन छीनी जा रही है जब कि बिहार, पंजाब, मध्य-प्रदेश और बम्बई आदि में हमारे यहां से जमीन का मुआवजा २० गुना दिया जाता है लेकिन मंत्री जी के दिल में यहां के किसान के लिये कोई स्थान नहीं है। उन का रवैया हम देख रहे हैं। सीलिंग से किस बड़े जमींदार पर असर पड़ा है और किस को एक एकड़ जमीन भी मिल सकी है ? बड़े लोगों ने औरत बच्चों को पहले से जमीन बांट दी और लैंडलेस लेबरर बसाने के लिये कोई जमीन वितरित नहीं की गई और कोई नतीजा नहीं निकला। इसी तरह के कानून सदन में बनाये जाते हैं लेकिन उन का कोई नतीजा नहीं निकलता।

तीसरे मैं यह भी निवेदन करूंगा तकावी के बारे में कि उस में भी लूट है। बार-बार यहां कहा जाता है कि अगर किसी को १०० रुपया तकावी मंजूर होती है तो वह किसान ५० रुपया ही घर लेकर पहुंचता है। मैं नहीं समझता कि कौन-सी नई बात हम कर रहे हैं, एक ही चीज को दोहराया जा रहा है लेकिन मंत्री जी के कान पर जूं नहीं रेंगती। अगर ऐसा है तो सदन की भी कोई जरूरत नहीं है, किसानों के धन का हम क्यों दुरुपयोग यहां करें, मंत्री जी से जो हम बार-बार कहते हैं, सरकार से कहे जाते हैं लेकिन कोई नहीं सुनता है।

अभी मुझे याद आ रहा है कि श्री सुरजन राम जी ने पटवारियों की बात भी कुछ थोड़ी-सी कही। हम सब पटवारी को दोष देते हैं, मैं मानता हूं कि वह भेड़िया है, वह खूब लेता है किस के लिये यह समझना चाहिये। वेतन उस का कितना है। वह कानूनगो को महीना देता है, न दे तो बरख्वास्त हो जायगा, मोअत्तल होगा और उसी के बल पर जो कानूनगो है वह तहसीलदार और नायब तहसीलदार को देता है। और फिर वह ऊपर के अधिकारियों को देते हैं और उन के खर्च को चलाते हैं। इस तरह से पटवारी के बल पर जो सारा खर्च चलता है उसका नतीजा यह होता है कि जो लेखपाल ने लिख दिया उसी पर राज्यपाल तक की मोहर अन्त में लग जाती है। अगर यही रवैया जारी रहा तो यह सल्तनत चलने वाली नहीं है।

चौथे जहां तक गांव पंचायतों का प्रश्न है बारबार मंत्री जी से कहा जाता है और वह बड़ी डींग हांकते हैं कि वह समाजवाद की व्यवस्था कर रहे हैं। आप देखें कि गांव के लोगों के पास और प्रधानों के पास ऐसे कौन से साधन हैं कि जिन से वे वहां की हालत को सुधार सकें। अच्छा हो कि गांव में लगान की वसूली का काम उन को दे दिया जाय और उस का कमीशन उनको दिया जाय जिससे वे अपनी हालत को कुछ सुधार सकें। जैसा कि अलीगढ़ का एक नमूना है कि एक गांव की वसूली १ दिन के अन्दर हुई। इसी तरह थोड़े से गांव चुन कर उनको मौका दें अपना लगान वसूल करने का और जिस प्रकार बम्बई और सौराष्ट्र में २५, ३३ फीसदी वसूली के लिये देते हैं ऐसा ही यहां भी हो इससे उनके पास पैसा होगा जिससे गांव का सुधार भी हो सकता है।

अब लगान के बारे में कहना चाहता हूं। सब लोग जानते हैं कि हमारे प्रदेश में सोने की खान मुजफ्फरनगर और मेरठ हैं। लेकिन जब उधर नजर जाती है तो वहां लगान की क्या हालत है उसको भी देखें। मुजफ्फरनगर में ४१.८ लाख रुपये की वसूली है और मेरठ

[श्री कमलासिंह यादव]

में ५७.१ लाख रु० । लगान का रेट अनइर्रीगेटेड लैंड का ३.८५ और इर्रीगेटड लैंड का ५.२९ है । मेरठ में ४.०६ है अनइर्रीगेटड लैंड का और इर्रीगेटड लैंड का ४.९४ । इसी तरह से रामपुर में ३८.२ लाख रु० की वसूली है और ६.३६ अनइर्रीगेटेड लैंड रेवेन्यू है और ८.४८ इर्रीगेटेड लैंड की है । वहां लोगों को किसी तरह आगे बढ़ने की ताकत मिलती है तो इसलिये मिलती है कि वहां का लगान कम है और जिससे काफी फायदा है । मैं मंत्री जी का ध्यान चकबन्दी की तरफ दिलाना चाहता हूं उस योजना के अन्दर यह क्या है कि आप एक लाइन खींच दे रहे हैं कि इतनी जमीन एक किस्म की है और एक ही खेत जो भूमिधर का है उसमें दो टुकड़े हैं, आधे में भूमिधरी का लगान और आधे में सीरदारी का । भूमिधरी का १,२ रु० है और सीरदारी का १५ रु० लगान है । अगर सीरदारी का कोई काश्तकार जोतने वाला है तो कभी सफल नहीं हो सकता उसको काफी लगान देना पड़ता है । इसलिये सरकार को चाहिये कि एक किस्म की जमीन के लिये एक किस्म का रेट रखे ।

एक चीज बड़ी घातक सिद्ध हो रही है और वह है कि आज किसान गांव से शहर की तरफ भाग रहा है । रिक्शा खींच रहा है । आज गांव में कोई साधन नहीं है सिवाय खेती के । बेकारी का कारण यह है कि फसल तो होती नहीं किसान की ताकत ऐसी नहीं है कि वह लोगों को अच्छे वेजेज दे सके इसलिये अच्छे वेजेज पाने के लिये शहरों में जाते हैं । एक तरफ किसान जो सुबह से शाम तक मेहनत करता है रात में भूखा सोता है और दूसरी तरफ अकलमन्द लोग किसान की कमाई खाते हैं । इसलिये ऐसी योजना होनी चाहिये कि मेहनत करने वाले को खाना मिले, वह अपने बच्चों की परवरिश कर सके, मकान, शिक्षा, दवादारू उसको मिल सके । अगर ऐसा सरकार कर दे तो हम लोगों को जिन्दा रहने के लिये मौका मिलेगा और जो किसान शहरों में जा रहे हैं उनको भी राहत मिलेगी और उनका जाना रुकेगा । इन शब्दों के साथ मैं राजा साहब के कटौती के प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं ।

श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह अनुदान जो इस समय सदन में प्रस्तुत है बहुत ही महत्वपूर्ण अनुदान है । इस विभाग द्वारा बहुत से काम हमारे प्रदेश में हुए है । जैसे जमींदारी उन्मूलन, हदबन्दी और चकबन्दी आदि । यह सब ऐसे काम हैं जो बहुत ही प्रशंसनीय है । मान्यवर, अभी हाल में जो सरकार ने एक आदेश जारी किया कि लेखपाल खसरे में इन्दराज नहीं करेगा, उसके लिये सरकार बधाई की पात्र है । मैं समझता हूं कि लगातार ८–१० साल से यह विवाद चल रहा था कि लेखपाल को जो यह हक मिला हुआ है उससे यह हक छीना जाय । वह खसरे में ऐन्ट्रीज न करे । यह अब समाप्त हो गया है और इसके लिये मान्यवर मैं आपके द्वारा सरकार को धन्यवाद देता हूं ।

अब इस समय, जैसा कि आपको विदित है, हमारे प्रदेश में जो पाले पर विवाद हुआ है उसमें बताया गया कि जहां पर पाला पड़ा, फसल को नुकसान हुआ वहां पर रियायत की जायेगी । मान्यवर, मैं अभी अपने जिले बस्ती से लौट कर आया हूं । वहां पर देखा गया कि इतनी जोर-जबर्दस्ती से वसूली हो रही है कि कहा नहीं जा सकता है । उस इलाके से मिला हुआ जो हमारा फैजाबाद का हिस्सा पड़ता है उसमें इस प्रकार की कोई चीज नहीं है । यह कहने में मुझे आज दुःख हो रहा है कि जिस तरह से अंग्रेजों के समय में लाठी-चार्ज होता था तो कहा जाता था कि लाठी-चार्ज बहुत सहूलियत के साथ हुआ ठीक उसी तरह से हमारी सरकार के आदेश हैं । हमारे जिले के अधिकारी अपंग है । अभी-अभी हमारे यहां एक एडवाइजरी मीटिंग हुई थी, जिसमें विरोधी दल के भी सदस्य थे । उसमें जिलाधीश की बातों को सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ कि किस तरह के आदेश हमारी सरकार के हैं । इस तरह की चीजें हमारे स्वराज्य पाने से पहले भी नहीं हुई थीं । चारों तरफ से आवाजें आई हैं । जब हमारे पिछले वर्षों में जब-जब मुसीबत आई है किसानों के ऊपर और जब-जब वह समस्यायें

हमारे सामने आयीं प्रदेश की सरकार ने आदेश दिये कि लगान वसूली बन्द हो, छूट देने के आदेश हुए, लेकिन यह देखकर मान्यवर, हृदय पिघल उठता है कि किस तरह के ये सरकार के आदेश हैं ।

जहां तक चकबन्दी की समस्या है मैं थोड़े से शब्दों में आपके द्वारा बताना चाहता हूं । इसमें सन्देह नहीं है कि डुमरियागंज में चकबन्दी समाप्त हो गयी है, लेकिन वहां के नक्शे इतने गलत बने हुए हैं कि किसान आज अंधेरे में हैं । मान्यवर, आपके द्वारा गाजीपुर के सदस्य को ही मैं कहता हूं कि जो हालत चकबन्दी की है उसमें सुधार हुआ है । ऐसे-ऐसे अधिकारी हैं जिनके द्वारा हम देखते हैं कि पहले से अब काफी सुधार हुआ है ।

दूसरी ओर मैं सरकार का ध्यान उस वर्ग की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसका जिक्र दो माननीय सदस्यों ने किया है । वे हैं हमारे कानूनगों के स्तर से नीचे लेखपाल । यह अच्छा हुआ कि वे खसरे में एन्ट्रीज नहीं कर सकते लेकिन लेखपाल पर जो बर्डन है कानूनगो का कि जो आधी तन्ख्वाह उनकी माहवारी में ले लेता है सरकार को इस तरफ भी देखना चाहिये । तो मैं यह चाहता हूं कि सरकार को एक बड़ी निगरानी इस पर रखना चाहिये और जो आधी तनख्वाह ले ली जाती है वह नहीं होना चाहिये ।

मैं सरकार का ध्यान कचहरी के अहलमद तथा पेशकार की तरफ दिलाना चाहता हूं । अभी मेरे साथ कोई कचहरी चले और उनकी पाकेट की तलाशी ली जाय तो वे भरी मिलेंगी । शाम तक १००-१०० रुपये उनको रिश्वत के मिल जाते हैं । मैंने मौके पर एक पेशकार को पकड़ा भी था और उसका चालान करवाया था । उसने बतलाया कि रिश्वत उसे अपने पेट के खातिर तथा बड़े-बड़े अफसरों के घरों का इन्तजाम करने के लिये लेनी पड़ती है । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस प्रैक्टिस को बन्द करना चाहिये वर्ना एक दिन आयेगा जब जनता स्वयं इसका फैसला करेगी जिससे एक गम्भीर परिस्थिति हमारे सामने उपस्थित हो जायगी ।

बस्ती जिले का मैं जिक्र करना चाहता हूं, खासकर उस क्षेत्र का जो १५ साल से सदैव बाढ़-पीड़ित रहा है । १५ साल से लगान स्टे है और ५ लाख रुपया लगान का एरियर पड़ा है । मुझे यह देख कर दुख होता है कि एक तरफ तो किसान की फसल न हो लेकिन दूसरी तरफ अमीन उसके घर बैठा हो । अगर इस प्रकार से अमीन गांव में जाता रहा तो विषम परिस्थिति पैदा होगी और बड़ी कठिनाई का उसे सामना करना पड़ेगा । मटर में १६ आने नुकसान हुआ । अरहर में भी नुकसान हुआ । जिलाधीश से कहा तो उसने कहा कि किसान के पास फसल तो आती नहीं, गेहूं खेत में खड़ा है । मैंने कहा कि जिलाधीश महोदय इस बात का ध्यान रखें कि मटर और रस पर उसका तथा खेतिहर मजदूर का भोजन एक, डेढ़ महीने चल जाता है । मटर खाकर वह गुजारे करते हैं । लेकिन मटर में नुकसान होने से उनकी दशा इतनी दयनीय हो गयी है कि उनका वर्णन करने में मैं असमर्थ हूं । मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय जो जन-सेवी हैं उनमें मुझ से अधिक लगन है, उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि हमारे प्रदेश तथा जिले की जो गम्भीर समस्या है उसका वह तत्काल समाधान करें और तुरन्त उचित कार्यवाही करें और उचित स्थानों पर सहायता पहुंचायें ।

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)——

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कुंवर श्रीपालसिंह जी के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में कहने के लिये खड़ा हुआ हूं । आज इस भू-राजस्व अनुदान पर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं । मैं भी उस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और इसमें ९२ फीसदी लोग किसान जो गांवों में रहते हैं और खेती करते हैं, जोकि उनकी जीविका का एकमात्र साधन है । उनकी फसल अगर हुई तो वे सम्पन्न रहे और अगर नहीं हुई तो उनको रोना पड़ता है जैसी स्थिति आज सारे प्रदेश में पैदा हो गयी है ।

[श्री सुखदेवप्रसाद]

माननीय कुंवर श्रीपालसिंह ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि अंग्रेजों के जमाने में लगान को निर्धारित करने के लिये जो नीतियां थीं कांग्रेस ने सरकार बनाने के पश्चात् उन्हीं नीतियों पर चलने का निश्चय किया था। लेकिन अगर हम इन १६-१७ वर्षों के बाद देखें तो उन नीतियों के बिलकुल विपरीत हमारी सरकार ने कार्य किये हैं। अगर हम अपने देश के अन्य प्रदेशों को देखें, जैसे मध्य प्रदेश, पंजाब, बंगाल, उड़ीसा आदि तो हमें मालूम होगा कि हमारे यहां उनके यहां से ढाई, तीन गुना ज्यादा लगान है। यही नहीं कि उनके यहां हमारे यहां से लगान काफी कम है बल्कि वे प्रदेश काफी सम्पन्न और शिक्षित हैं। वहां सड़कें अच्छी हैं, वे काफी तरक्कीयाफ्ता हैं जब कि हम इन पिछले १६-१७ वर्षों में दिनों दिन इस कांग्रेस सरकार द्वारा पीछे ढकेले गये हैं। यह सरकार किसानों की बड़ी हिमायती है और जब उनसे वोट लेने के लिये जाती है तो कहती है कि हम तुम्हारी सब बातें पूरी करेंगे, लेकिन आज तक उन बातों को पूरा नहीं कर सकी।

माननीय राजस्व मन्त्री गोंडा जिले के पड़ोस के हैं और उनका सम्बन्ध भी खासतौर से बलरामपुर से जुड़ा हुआ है। अगर मैं दोनों जिलों के बीच में देखूं तो माननीय मन्त्री जी स्वयं जानते हैं कि एक गांव भगवानपुर गोंडा और बहराइच दोनों जिलों से मिला हुआ है, लेकिन इन दोनों गांवों में अन्तर है। बहराइच जिले के गांव की तो पटाई हो गयी है, और वह बाढ़-पीड़ित क्षेत्र है, लेकिन गोंडा जिले का वह गांव नीचा ही पड़ा हुआ है और बरसात में वहां कमर-कमर तक पानी भरा रहता है। एक प्रश्न मैंने पूछा था कि गोंडा जिले में राप्ती की बाढ़ से कितने गांव पीड़ित रहते हैं, उनको ऊंचा करने के लिये, बन्धी बनाने के लिये और बाढ़ के सम्बन्ध में छूट देने के लिये क्या किया गया। तो बताया गया कि ८२ गांव पीड़ित रहते हैं, लेकिन उसके लिये क्या कार्यवाही की गयी इसका कोई उचित उत्तर नहीं मिला। माननीय मन्त्री जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि उनका आने-जाने का रास्ता भी वही है, इसलिये मैं आशा करता हूं कि वे इस बात पर ध्यान देंगे और उनको ऊंचा करने के साथ-साथ लगान के बारे में भी वे विचार करेंगे।

पिछले तीन-चार दिनों में मैं अपने क्षेत्र में गया तो पता चला कि लगान वसूली के सिलसिले में वहां किसानों के ऊपर ईंटें लादे गये, और वे मुर्गा बनाये गये और पीटे भी गये। इस तरह से वसूली जारी है। जब कि मन्त्री जी ने अपने भाषण में और मुख्य मन्त्री जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि सारी वसूलियां रोक दी गई हैं, लेकिन अभी तक वे जारी हैं, चाहे बीज की हों, चाहे तकावी की हों, हर प्रकार की वसूली जारी है। मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि गोंडा जिले का वह हिस्सा जो नैपाल और बहराइच से मिला हुआ है, वह सारा सूखे और पाले से भरा हुआ है, वहां के लोग भूखे मर रहे हैं और सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर आटा और गेहूं पहुंच नहीं पाया है। मेरी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सप्लाई आफिसर से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि नौतनवाँ से वैगन आने वाले हैं, आने पर देंगे। इस बार आटा और गेहूं के न मिलने के कारण होली भी नहीं मनाई गई है। एक तो वे लोग ओले और पाले से पीड़ित हैं, दूसरी ओर उनको आटा तक नहीं मिल रहा है। गोंडा, बहराइच और बस्ती के जिले विशेष रूप से सूखे से पीड़ित हैं।

लेखपाल आजकल खूब लूट कर रहे हैं। वह इसलिये कर रहे हैं कि जितने अफसर वहां गये, उन सब ने कहा कि बकरा लाओ, चावल लाओ, घी लाओ। उसको छोटी-सी तनख्वाह मिलती है। अगर घूंस न लें तो कहां से इन लोगों के लिये इन्तजाम करें। अगर भ्रष्टाचार मिटाना है तो इन लोगों की तनख्वाह बढ़ायी जाय।

दूसरी बात यह है कि भरहा, पारा-भक्ता वगैरह गांव में सिंचाई नहीं की गई, लेकिन सिंचाई की वसूली की गई। कह दिया गया कि तुम्हारे खेत के रास्ते से पानी गया है। इस तरह उदईपुर में एक दर्जी था, उसके पास एक बिस्वा जमीन भी नहीं है, लेकिन उसे पतरौल और अमीनों ने कपड़े सिलवाये थे, और सिलाई न देने की वजह से उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया और जुर्माना हुआ और उसको बार-बार दौड़ना पड़ा। इस तरह से सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। सिंचाई मन्त्री जी इधर ध्यान दें। इस तरह की सैकड़ों बातें हैं। मौका

मिलेगा तो मैं फिर निवेदन करूंगा। ४०० गांवों में ओले और पाले का असर हुआ था, लेकिन कुल ७८ गांव दिखाये गये। नुकसान के लिहाज से लगान में छूट दी जाय।

श्री जे० पी० मिश्र —

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं जबकि आज इस जरूरी अनुदान के ऊपर आपने कुछ समय मुझे देने की कृपा की और साथ ही साथ में माननीय राजस्व मन्त्री जी का भी शुक्रगुजार हूं कि हरदोई जिले की ओर उन्होंने विशेष तवज्जह दी। आज मुझे केवल अपने जिले से सम्बन्धित बातें ही कहनी हैं, और मैं चाहता हूं कि राजस्व मन्त्री महोदय हरदोई जिले का इतिहास सूक्ष्म में आज आखिरी बार समझ लें। उत्तर प्रदेश का यह जिला बड़ा दुर्भाग्य-पूर्ण जिला है। इस जिले से नौ नदियां गुजरती हैं, गोमती जिस तरह से लखनऊ राजधानी को तबाह करती है, वह किसी से छिपा नहीं है, सई जिस तरह से रायबरेली और जौनपुर को तबाह करती है उसमें हरदोई भी शामिल है। गंगा नदी जिस तरह से सैलाब लाती है किसी से छिपा नहीं है। नील.म, घाघरा, रामगंगा, गंगा, सई, गोमती इतनी नदियां किसी जिले से नहीं निकलतीं जितनी इस जिले से सैलाब लेकर निकलती हैं। माननीय राजस्व मन्त्री को हरदोई का बराबर छूट देनी पड़ती है। सैलाब में सबसे बड़ी चोट हम खाते हैं। बिलग्राम तहसील की तीन लाख एकड़ जमीन हर साल जलमग्न होती है। उसके बाद वाटर लागिंग कायम हो जाता है। वाटर लागिंग में रबी की फसल बो नहीं पाते हैं। लगान हम देते हैं। लगान न दें तो कोई चारा नहीं है। मेरा निवेदन है कि आप अपने डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी को हरदोई जिले में भेज कर एक दिन, दो दिन और तीन दिन जांच करवा लें। हमारा जिला फ्लड डिस्ट्रिक्ट अब तक ऐलान नहीं हो हो पाया। मैं यह मांग करता हूं कि हरदोई जिले को फ्लड डिस्ट्रिक्ट ऐलान करने में माननीय माल मन्त्री टापमोस्ट प्रायरिटी दें। हरदोई जिले के मल्लावां और कछनऊ परगने तराई के इलाके हैं। १२, १२ साल का आप का पैसा बाकी है। मैं मांग करता हूं कि इन दो परगनों की जो बकाया है, आप आज या हफ्ते में या इस बजट में हुक्म दे दें कि १२ वर्ष का जो बकाया है वह राइट आफ कर दिया जाय क्योंकि हर साल बकायेदार हो जाते हैं। बकाया में हम बदनाम हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एस० डी० ओ०, तहसीलदार किसी कीमत पर हमारी मानने को तैयार नहीं हैं। कर सकते हैं, लेकिन जब श्रीमान् की आंख का इशारा पायें। आमादा हैं करने को, उनकी नीति है करने की, उन्होंने सारी पोजीशन समझ ली है। वह जानते हैं कि यह इलाका किसी कीमत पर बकाया नहीं दे सकता।

पाले के मुताल्लिक मैं अपने रेवेन्यू अधिकारियों की बड़ी इज्जत करता हूं। उन्होंने बिलकुल सही रिपोर्ट दी है। १६ आने नुकसान। १२ जिले हैं। उनमें हरदोई भी एक जिला है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एस० डी० ओ० और तहसीलदार ने इस बार बिलकुल आनेस्ट रिपोर्ट दी कि यह जिला बिलकुल तबाह हो गया है। (व्यवधान) पूर्व वालों को सारा फायदा ही फायदा है। कांग्रेसी चिल्लाता है नुकसान, विरोधी चिल्लाता है कि हमारी कोई सुनता नहीं। बीच वाले जो हम जिले हैं, हम अपनी-अपनी अकेले कहते हैं। न इधर से मदद मिलने वाली है और न उधर से। तो मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय राजस्व मन्त्री से विनम्र निवेदन करता हूं कि हरदोई बहुत दुखी जिला है, नौ-नौ नदियों से मारा हुआ जिला है, हम उठ नहीं पाते, सांस नहीं ले पाते। तो मेहरबानी करके श्रीमन्, जो रिपोर्ट आयी है, जिले से उसको आप बिलकुल स्वीकार कर लें। उसमें नहर विभाग की रिपोर्ट कुछ डिफर करती है। चुनांचे ८ तारीख को नहर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की मीटिंग डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने बुलायी है और हम सब असेम्बली के मेम्बर्स उनको भी वह मौका दिखा देना चाहते हैं कि उनको नहर की पटरी पर से मोटर में बैठे-बैठे जो गेहूं हरा दिखाई देता है, उसकी बाली गायब है, जौ जो हरा दिखाई देता है उसकी भी बाली गायब है। तो ८ तारीख को वह मीटिंग होने जा रही है और ९, १०, ११ में फिर उसके मौके का निरीक्षण करा लें। मेरा खयाल है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जो रिपोर्ट दी है नुकसान की, उनको भी उसी रिपोर्ट पर आना पड़ेगा। हम जिन्दगी मांगते हैं,

[श्री जे० पी० मिश्र]

आपसे। प्लानिंग मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं, मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर पानी मिल जाय हमको, नहर से सिंचाई का इन्तजाम हो जाय तो हरदोई जिला जायद क्राप बोने के लिये पूरे तरीके से आमादा है और मैं अपनी मल्लावां कांस्टीट्यूऐन्सी की तरफ से बिलकुल सफाई से कह देना चाहता हूं कि जितना रकबा हमारा सिंचाई में है, जितना नहर में है, जितना माइनर्स में है और जितना ट्यूबवेल में है, अगर हमको उनसे पानी मिल जाय तो हम काफी खरीफ का अन्न मक्का, भदैनी उड़द, मूंग, कुआरी धान और दूसरी फसल आषाढ़-सावन तक देने को तैयार हैं। काश्तकार आपसे पानी चाहता है। हम मोहताजी आपसे नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के सरकार लाख, दस लाख या बीस लाख रुपया हमको मोहताजी में दे। हमको आप पानी दें, हमें आप इन्तजाम करके दें, खाद दें, कुयें दें, रहट दें। हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं कि जो लगान आप हमको छोड़ेंगे उतना अन्न हम आपको पैदा करके दे देंगे। और बकाये पर अब हम जिन्दा नहीं रह सकते। तहसीलदार यह डरता है कि हम बकाये के लिये अगर लिख देंगे तो कहीं ऐसा न हो कि रेवेन्यू सेक्रेटरी हमको कुंजी से खींच दे। मजबूर है। १२ साल का बकाया है, किसान कैसे पूरा करे, उस पर तो रोज बकाया लदता चला जा रहा है।

यह तो रहा श्रीमन्, लगान के बारे में। अब चकबन्दी की बात यह है कि हम चकबन्दी के मोहताज हैं। शाहाबाद में चकबन्दी हो रही है। आप दूसरा स्टाफ रखकर बिलग्राम तहसील में चकबन्दी शुरू करा दीजिये। जिन इलाकों में चकबन्दी हुई है वह हमसे आगे बढ़े जा रहे हैं। उनकी पैदावार हमसे ज्यादा हो रही है। हमारे पड़ोस में संडीला तहसील में चकबन्दी हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि हमारे पड़ोस की तहसील में चकबन्दी का काम खत्म हो गया है, हमको शाहाबाद के साथ दूसरा स्टाफ दे दें ताकि हमारी बिलग्राम तहसील में भी चकबन्दी कम्पलीट हो जाय। अभी हम बिलकुल अनिश्चित अवस्था में बैठे हैं। मेसोनरी वेल्स वगैरह नहीं तैयार करा सकते, क्योंकि कहां हम जायेंगे, कितना हिस्सा, कितना प्लाट किसके जिम्मे रहेगा इस अनिश्चित अवस्था में हम फंसे हुये हैं। इसकी वजह से हमारी उपज अभी बढ़ नहीं पायी है।

तीसरी बात श्रीमन्, मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इस स्टेट में जब यहां पर अंग्रेज थे तब आपने एक कानून तैयार किया जमींदारी खत्म करने का। उस वक्त करीब करीब ६।। करोड़ लगान आप लेते थे। उस समय ६।। करोड़ लगान आपके खजाने में आता था। अब २१ करोड़ लगान आपके खजाने में आ रहा है। वह पौने चार गुना अधिक लगान आज किसानों से आ रहा है। किसानों से हमको भरोसा है और किसानों से हमने सब कुछ कहा है। राजस्व मन्त्री महोदय मैं आपको सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि किसानों की ताकत के ऊपर हम उत्तर प्रदेश और गवर्नमेंट आफ इंडिया में चला रहे हैं? किसान अगर रोया, किसान अगर दुखी रहा और किसानों को हम उसकी इच्छा के मुताबिक सुविधा न दे सके और उसको पूरा न कर सके तो अनुचित होगा। मैं यह मांग करता हूं कि किसानों में उत्साह पैदा करने के लिये, किसानों में जीवन पैदा करने के लिये, किसानों को जिन्दा करने के लिये २१ करोड़ रुपया कोई बड़ी भारी चीज नहीं है। उनसे १०।। करोड़ दिन लिये जायं। माइनर खुदवाये जायं। नहरें खुदवाई जायं, नालियां खुदाई जायं, मैसोनरी वेल खुदाये जायं, सारे विकास और निर्माण कार्य कराये जायं। २१ करोड़ का लगान माफ किया जाय और उनसे १०।। करोड़ दिन ले लिये जायं तो मैं समझता हूं कि भुवनेश्वर प्रस्ताव के अनुसार समाजवाद की स्प्रिट को हम लोग इस प्रदेश में लाने का प्रयत्न करेंगे और श्रीगणेश उसका हो रहा है। इसके बाद में राजस्व मन्त्री जी के अनुदान का पूर्ण समर्थन करता हूं और उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने हमेशा तवज्जह हम लोगों की तरफ की है और इतना अच्छा महकमा है आपका कि इतनी प्राम्पट तवज्जह आपके महकमें से मिलती है।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर) —

उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है मैं उसका समर्थन करता हूं। हर साल बजट में कटौती के प्रस्ताव पेश होते हैं, नुक्ताचीनी होती है, सुझाव होते हैं लेकिन सरकार के

कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। भ्रष्टाचार की बात कही जाती है, साबित की जाती है, लेकिन सरकार उसको एक अन्धे कुंये में डाल देती है और भूल जाती है। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार आखिर चाहती क्या है? इस विभाग के अन्दर बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कुछ वजूहात उसके ऐसे हैं कि जिसमें किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है। उसकी शिकायतें होती हैं तो चूंकि किसी की जिम्मेदारी नहीं होती है इससिये वह सब मामला खटाई में चला जाता है। मिसाल के तौर पर मैं कहूंगा कि अगर कोई काश्तकार मरता है और उसके वारिसों का दाखिल खारिज होता है ऊपर से नीचे तक जब तक रिश्वत नहीं दी जाती है तब तक उसका दाखिल खारिज नहीं हो पाता। अगर माननीय मन्त्री जी यहाँ से उनको आदेश दें, अपने कर्मचारियों को इस बात का आदेश दें कि अगर एस० डी० ओ० के यहां से दाखिल खारिज की आज्ञा के बाद यह जिम्मेदारी तहसीलदार की होगी कि वह दाखिल खारिज हो जाय। अगर एक महीने के अन्दर दाखिल खारिज नहीं होता है तो उस तहसीलदार से जवाब तलब किया जाय और उसको सजा दी जाय। करप्शन जो दाखिल खारिज का होता है बन्द हो सकता है और अगर सरकार यह कदम उठाने को तैयार नहीं है तो साफ है कि मन्त्री जी अपने विभाग का भ्रष्टाचार रोकना नहीं चाहते।

एक बात यह है कि जमींदारी एबालिशन यहां १९५२ में हुआ और जहां-जहां जमींदारी एबालिशन हुआ वहां-वहां यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट एबालिश कर दिया गया। नागर क्षेत्रों में जमींदारी एबालीशन १९६१, १९६२ और १९६३ में लागू हुआ और यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट की धारा १७५ और १८० के मातहत शिकमी और ट्रेसपासर्स की बेदखलियां थीं वह गवर्नर महोदय की राजाज्ञा से रोक दी गयीं। कुछ ऐसे मामले दायर थे जिन में ट्रेसपासर्स की हैसियत से उन पर या शिकमी की हैसियत से उन पर मुकदमें चलाये गये और वे सस्पेंड भी कर दिये गये। और नतीजा यह है कि आज भी वह मामले रुके पड़े हैं। तो मैं मन्त्री जी से मांग करूंगा कि ऐसे जितने केसेज हैं उनमें प्राइमा फेसी एवीडेंस ले कर अगर वह ट्रेसपासर्स साबित हों तो उनकी बेदखली कराइये और नहीं तो छोड़िये। लेकिन इस मामले में कायदे से कानूनी चाराजोई होनी चाहिये।

मुझे यह भी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रेवेन्यू आफिसर्स की नाजायज हरकतें बराबर बढ़ती जा रही हैं। मैंने राजस्व मन्त्री जी से खुद तिलहर के तहसीलदार की शिकायत की थी। एक लम्बी चौड़ी शिकायत मैंने उनको दी और उसकी कापी मुख्य मन्त्री जी को भी दी, लेकिन आज तक उस पर कोई असर नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, उसमें मैंने यह लिखा था कि इस बात की जांच करायी जाय कि तहसील तिलहर में पिछले तहसीलदार के जमाने में बागों का रकबा कितना था और आज कितना है और उसमें से कितने बाग परमिट से काटे गये और कितने बिना परिमिट के काटे गये। उसमें यह भी शिकायत थी कि लेखपालों ने और दूसरे लोगों ने इस बात की शिकायत की थी कि फलां बाग बिना परिमिट के काटा जा रहा है, लेकिन तहसीलदार साहब ने अपना मामला हल कर के उस मामले को दफन कर दिया। यह मामले लिखा-पढ़ी में आये हैं। इसी तरीके से सन् १९६२ के एलेक्शन में लेखपालों को जो भत्ता दिया गया उनमें से, जब तक ५० फीसदी भत्ता तहसीलदार साहब ने वसूल नहीं कर लिया तब तक वह किसी को नहीं दिया गया। इस किस्म की शिकायतें की गयीं, लेकिन कोई चाराजोई इस मामले में नहीं की गयी और न कोई जांच की गयी। राजस्व मन्त्री जी ने खुद कहा और मुख्य मन्त्री जी को भी लिख कर दिया, लेकिन कोई जांच नहीं की गयी। इस तरह से यह तीन पेज की शिकायत है जिसमें बहुत से डेफिनिट और प्रसाइस चार्जेज हैं, लेकिन कोई कदम इस पर उठाया नहीं गया। सी० एल० आर० डी० के बहुत से केसेज ऐसे होते हैं कि जिसको तहसीलदार ट्राइ नहीं कर सकते, केवल एस० डी० ओ० ही उनको ट्राइ कर सकते हैं, लेकिन वहां के तहसीलदार साहब ने उनको ट्राइ किया है। उसकी शिकायत की गयी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

इसके अलावा कलेक्शन अमीनों और चपरासियों को तहसीलदार नियुक्त करते हैं, लेकिन उन्होंने किया यह कि हर एक से रिश्वत लेकर स्वयं दो दिन की छुट्टी लेकर चले गये और इस बीच

[श्री भगवानसहाय]

में नायब तहसीलदार साहब से उन सबको नियुक्त करा दिया। और इसके साथ-साथ उनको बहियां भी दे दीं जो कि कायदे और कानून के बिलकुल खिलाफ हैं। अगर तहसीलदार साहब ईमानदार थे तो दो दिन के बाद आने पर उनको नायब तहसीलदार से जवाब तलब करना चाहिये था कि वह नियुक्तियां उन्होंने क्यों कीं। लेकिन इस तरह की कोई कार्यवाही वहां नहीं हुई।

इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि ऊपर के जो अधिकारी लखनऊ में बैठे हैं वह भी भ्रष्टाचार में मिले हुये हैं। इसका डाक्यूमेंटरी मिसाल मैं दूंगा सदन की जानकारी के लिये। यह एक जी० ओ० है--

"RAJASVA PARISHAD, UTTAR PRADESH VIBHAG 3, LUCKNOW

No. 7132-36TNT37-63 *dated July* 20, 1963

NOTIFICATION:

APPOINTMENT

Sri Ganga Saran, Officiating Tahsildar, district Shahjahanpur is transferred to Rajasva Parishad's Headquarters at Lucknow and appointed as Officer on Special Duty against a newly created post in connection with work relating to Vrihat Jot Kar Adhiniyam.

Sri Bhudeo Singh II, Naib Tahsildar district Moradabad is promoted to officiate as Tahsildar and is transferred to Parishad Headquarters at Lucknow and appointed Officer on Special Duty vice Sri R. K. Sharma, Officiating Tahsildar Officer on Special Duty, promoted.

Sri Narain Saksena, Naib Tahsildar, Sadar Tahsil Lucknow, is promoted to officiate as Tahsildar and appointed Officer on Special Duty at the Parishad's Headquarters at Lucknow in the leave vacancy of Sri G. P. Akhila, Officiating Tahsildar/Officer on Special Duty.

ये तीन ट्रांसफर हुये, लेकिन तीनों जगहें ऐसी थीं जहाँ आमदनी का जरिया नहीं था। आगे देखें --

Ziladhish, Shahjhanpur/Moradabad/Lucknow with the request that the officer concerned may be relieved immediately without waiting for his substitute and directed to report for duty to the Parishad after availing minimum possible joining time."

यह क्या मजाक है? क्या यह यों ही जारी कर दिया गया? जारी किया गया था तो इसकी तामील क्यों नहीं हुई? उसके बाद यह तफसील तलब बात है कि इन तहसीलदार महोदय ने ३ दफा छुट्टी ली, लखनऊ आये, क्या हुआ किस तरह से असर अन्दाज हुये, यह तो भगवान जाने या यहां के अधिकारी। लेकिन ३-४ महीने यह मामला सस्पेंडेड रहा और अब वह ट्रांसफर हुआ जब एक ल्युक्रेटिव पोस्ट उनको मिली जहाँ पर आमदनी का जरिया था। तो मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आखिर यह जी० ओ० जो निकला तो किसकी राय से इसमें चेंज किया गया। अगर यह प्ली लिया जाय कि उनके बेटे, बेटी पढ़ते थे तो यह २० जुलाई की राजाज्ञा है, यह भी सवाल नहीं है कि बीच टर्म में ट्रांसफर किया गया। मेरी साफ जानकारी है कि इसके अन्दर एक आई० ए० एस० अफसर इनवाल्व हैं, वह लखनऊ से बाहर चले गये हैं, मैं नाम बताकर गलत परम्परा नहीं डालना चाहता, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो नाम भी बता दूंगा। (व्यवधान) .....अच्छा बताये देता हूं। नाम है बी० बी० टन्डन, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, अब शायद इलाहाबाद कारपोरेशन में मुख्य अधिकारी हैं। यह उनके इन्टरफियरेंस से हुआ। मुझ से चूंकि मांग की गयी, इसलिये नाम बता दिया। कहां तो ज्वाइनिंग टाइम भी देने की जरूरत नहीं, सब्स्टीट्यूट आने की जरूरत नहीं है, फौरन ट्रांसफर कर दिया जाय, तो क्या सदन इस बात

को जानने का मुस्तहक नहीं है कि यह बताया जाय कि आखिर वह ट्रांस्फर अब तक महीनों क्यों सस्पेंडेड रहा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यहां यह मामले आते ही नहीं हैं, बोर्ड में होता है।

श्री भगवान सहाय—

यह तो आप जानिये, जो भी बात है, लेकिन असलियत क्या है ?

माननीय राजस्व मंत्री जी तो हर मामले को मजाक में टाल देते हैं। माननीया मुख्य मंत्री नहीं हैं यहां, वह होतीं तो मैं उनसे दरख्वास्त करता कि वह एक नया विभाग खोल कर उसके मंत्री श्री हुकुम सिंह जी को "मिनिस्टर आन पेन्शन" बना दें, क्योंकि आप को तो बंगला चाहिये, कार चाहिये, मंत्रि-पद चाहिये, काम-धाम से आपको कुछ वास्ता नहीं। मैं कहता हूं कि आप इन चीजों से खिलवाड़ न कीजिये। मैंने राजस्व मंत्री जी से ५–६ बार दरख्वास्त की मगर उन्होंने सुना नहीं, अब मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करूंगा कि वे जो भी दरख्वास्तें उनके पास आयें उन पर विचार करें और उचित कार्यवाही करें। हालांकि यह भ्रष्टाचार आफिसरों तक ही है, फिर भी मंत्री जी की जिम्मेदारी है, कान में तेल डाल कर बैठने से काम नहीं चलने वाला है। अगर इस तरह से हमारी बातों को सुना नहीं जायेगा तो हम दूसरे तरीके भी जानते हैं, उनको इस्तेमाल करने से हम बाज नहीं आयेंगे।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव माननीय राजा साहब ने पेश किया है उस विषय में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने दो व्यक्तियों—लार्ड सेलिसबरी और थामस का हवाला दिया जिसको सुनकर थोड़ा-सा आश्चर्य हुआ। वह जमाना सन् १८७८ का था। अगर वही पुराना जमाना रहता तो जमींदारी टूटने की नौबत नहीं होती। जैसा हमारे माननीय श्री केशव गुप्त जी ने कहा, किसान की भलाई का खयाल कभी इनको आता ही नहीं। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में जो बड़ी-बड़ी जहमतें उठानी पड़ी हैं, उसकी इस तरफ के लोगों को ही नहीं, बल्कि उस तरफ बैठने वालों को भी जानकारी है। तो क्या वह जहमतें कोई उपन्यास लिखने के लिये उठाई गई थीं ? उन सबका एकमात्र उद्देश्य यही था कि प्रदेश के किसानों का हित करना है क्योंकि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और यहां पर अधिकतर लोग खेती ही करते हैं। उन्हीं के कल्याण में सबका कल्याण है।

हमारे राजा साहब ने यह भी कहा कि किसानों के साथ सौतेली माँ के समान व्यवहार वर्तमान सरकार द्वारा किया जाता है। मैं तो समझता हूं कि जैसा कोई अपने सगे बेटे के साथ व्यवहार करता है, वही व्यवहार इस सरकार का किसानों के साथ रहता है। आपके कहने का मतलब यह था कि जो किसानी नहीं करते उनके साथ सुन्दर व्यवहार हुआ है। उसके लिये उपाध्यक्ष महोदय, आंकड़ों की जरूरत नहीं है, जो वर्तमान वास्तविक इतिहास को अपने सामने नहीं रखता, वही उसका हवाला दे सकता है। जमींदारी उन्मूलन से पहले प्रदेश में २६ प्रकार की आराजी की नौइयत थी जो आज केवल ४ प्रकार की रह गयी है—भूमिधरी, सीरदारी, अधिवासी और असामी। इस जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिये हमने एक माहौल बनाया, वायु-मंडल की रचना की। हमने एक फिजा तैयार की। उस फिजा को तैयार करने के लिये न मालूम कितनी पोलीटिकल कान्फ्रेंसेज की गयीं, रिजोल्यूशन्स पास हुए, इतना ही नहीं इलाहाबाद आदि स्थानों पर लगानबन्दी का आन्दोलन भी किया गया। तो श्रीमन्, इस तुरशी की नुकता-चीनी से किसानों का कल्याण होने वाला नहीं है उसके लिये हमें सत् प्रयत्न करना होगा। अगर इस तुरशी और कटुता से किसानों का कल्याण होने वाला होता तो मैं दो कदम और आगे ही होता।

[श्री रामकुमार शास्त्री]

मेरे एक मित्र ने आजमगढ़ के बारे में शिकायत की। मैंने उनसे अनुनय विनय किया कि वे मुझसे मौके पर मिलें। लेकिन जहां ओला पड़ा था ७ मील की वेल्ट थी वहां, मालूम होता था हथौड़ा मार कर खपरों तक को तोड़ दिया गया है, वे वहां पर तशरीफ नहीं ले गये हालांकि वहां पर मैंने सारी फाइल्स को मंगा लिया था। मेरे कहने का मतलब यह है कि शिकवा शिकायत से कोई काम होने वाला नहीं है, न किसानों का कल्याण होने वाला है। उनका कल्याण तो खून पसीना एक कर देने से ही हो सकता है। माननीय भगवान सहाय जी अभी बोल रहे थे। हमने उनके साथ कंधे से कंधा मिला कर जेल की यातनाओं को सहा है, वे जानते हैं कि किसानों की मदद कैसे हो सकती है। यह नहीं कि यहां पर भला बुरा कहे और उठ कर चले गये। मेरे मित्र ने जिला बस्ती की चकबन्दी की शिकायत की उसको मैं तसलीम करता हूं। साथ ही सैदपुर (गाजीपुर) की शिकायत को भी स्वीकार करता हूं। माननीय श्री कमला सिंह जी की शिकायत काफी हद तक ठीक हो सकती है। लेकिन शुरू-शुरू में शिकवे शिकायत की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन उसके बाद तजुरबे से दुरुस्त किया उस बात को आपने नहीं कहा। जिला मुजफ्फरनगर में जब वहां के किसानों से मैं मिला तो उन्होंने चकबन्दी की बहुत तारीफ की। किसान को थोड़ी जमीन खराब मिली लेकिन उसको थोड़े ही दिनों में जरखेज बना लिया गया। वे खेतिहर कार्यकर्ता उसकी बड़ी भारी प्रशंसा कर रहे थे। बहराइच और लखनऊ जिले में भी उसकी प्रशंसा हुई। लखनऊ जिले में तो उस समय जब मैं चकबन्दी के कार्य का निरीक्षण करने गया वहां नक्शा लेकर उप-संचालक जी मौजूद थे, कुछ जर्नलिस्ट भी मौजूद थे और उनके सामने जो शिकायतें थीं उनका समाधान किया गया। उन लोगों ने, गांव वासियों ने, बताया कि चकबन्दी से उपज बढ़ जाती है और उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। लेकिन यहां कहा जाता है कि चकबन्दी से पैदावार घटती है। आरम्भ में हमने केवल दो जिले लिये थे और अब तक ३७ जिलों में हम खत्म कर चुके हैं और ३८वां जिला चल रहा है। केवल अंधेरी रात के मिसाल को लेकर ही ऐसी बात न कहिये कि आदमी को कुछ दिखाई नहीं देता आप को उजाली रात को भी देखना चाहिये। चकबन्दी आदि की खूबियों की ओर भी ध्यान देना चाहिये और लोगों को बताना चाहिये ताकि वे लोग आगे बढ़ सकें और लाभ उठा सकें। जमींदारी उन्मूलन के बाद चकबन्दी का काम इतना आवश्यक है कि इसको वही लोग जान सकते हैं जिन्हें स्वयं का अनुभव हो। जमींदारी उन्मूलन कराके सारी छोटी-छोटी होल्डिंग्स बिखरी पड़ी रहें तो क्या इससे अधिक उत्पादन हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। जमींदारी उन्मूलन के बाद हमने कुछ अधिकार किसानों के हाथ में सौंपे हैं, इसलिये उनके कल्याण के लिये चकबन्दी का होना लाजिमी है। हमारे अधिकारियों में जहां कुछ खराबियां हैं वहां काफी खूबियां भी हैं, लेकिन उधर से उनकी खूबियों का कोई जिक्र नहीं किया गया। यह आपोजीशन तभी स्वस्थ परम्परा कायम कर सकता है जब कि वह सही बात को भी सदन के सामने रखे। मेरे मित्र बस्ती निवासी ने ऐसी मोबालगे की बात कह दी, ऐसी अतिशयोक्ति की बात कह दी कि इतना नुकसान हो गया। नुकसान के आंकड़े दिये हुए हैं। अगर आंकड़े को देखा जाय तो क्या बिलकुल सही इससे किसी को पता लग सकता है कि कितना गेहूं पैदा होने वाला था या कौन फसल इतनी पैदा होगी या उतनी नहीं होगी? वह तो जानकारी अशरफुल मखलुकात से बईद शख्तियत ही को हो सकती है जो इस बात को नपातुला बता सके। मैं जानता हूं कि किसानों को पाले की वजह से तकलीफ है। मेरी उनके साथ व उनके मरे हुए जानवरों के साथ पूरी हमदर्दी है और हम उनको सहूलियत भी देना चाहते हैं। हमारे विभाग के सेक्रेटरी ने एक सर्क्यूलर लेटर २४ तारीख को व १२ फरवरी को तमाम जिले में भेजवा दिया है और उसके रेकार्ड मेरे सामने हैं, यह कोई थोथी बात मैं नहीं कह रहा हूं। हम चाहते हैं कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनको जरूर सहूलियत दी जाय। सहूलियत भी कई हैं, उनको तकावी दे सकते हैं, ग्रेचुट्स रिलीफ दे सकते हैं, उनकी मालगुजारी मुल्तवी कर सकते हैं, उनको सड़क बनाने के काम में लगा सकते हैं, लेकिन कब्ल-अज-वक्त बावेला होना कोई अच्छा नहीं होता। सारे भारतवर्ष में हमारा प्रदेश सब से बड़ा है, इसलिये इतने बड़े बजट और नुकसान का पता लगाना भी बड़ा मुश्किल काम है कि इसमें कितना

खर्च होगा और कितना नहीं हो सकेगा। अपने घर के बजट का तो पता होगा नहीं और माननीय सदस्य चाहते हैं कि ट्वींकलिंग आफ दि आई में सब कुछ हो जाय। अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो हमारा कान गरम करने के लिये आपोजीशन उधर बैठा हुआ है। कितनी कितनी सहायता की आवश्यकता प्रत्येक जिले को होगी इसकी छानबीन करने में समय लगता है। इसलिये काफी सन्तुलन की भावना को सामने रख कर हर जिले में हम जमीन का वितरण कराना चाहते हैं।

चकबन्दी अच्छी है और मैं अपोजीशन को और राजा साहब को इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि हमारे पास जितने भी टर्मिनेटेड ए० सी० ओज० आदि को रखने के बारे में कोई सिफारिश आयी तो हमने साफ कह दिया कि अभी हमारे पास कोई जगह नहीं है। उनकी टेम्पोरेरी सर्विस है और उनको एक महीने का नोटिस देकर या एक महीने की तनख्वाह देकर उनको सर्विस से अलग कर देते हैं क्योंकि कौन रिट की माला पहनने जाय। माननीय कमलासिंह जी ने गाजीपुर जिले की शिकायत की, तो गलत किस्म के कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत मिलने पर हम उसकी तहकीकात करते हैं और हमारे पास चकबन्दी की रिपोर्ट है और हमने कमेटी में भी इस बात को कहा कि जो गलत किस्म के आफिसर हों उनको कतई न रखें क्योंकि हमें तो उन किसानों का कल्याण करना है जिनके बारे में शिकवा शिकायत की जाती है कि उनके साथ स्टेप-मदरली ट्रीटमेंट किया जाता है। हर्गिज-हर्गिज हमारी ऐसी कोई भावना नहीं है कि गलत कार्य हो और किसानों का अहित हो।

जहां तक सीलिंग की बात है, करीब १ लाख २६ हजार ९३ एकड़ हमारे पास सरप्लस है, उनमें से ९२ हजार ७६७ एकड़ जमीन हमने कलेक्टर के जिम्मे कर दिया है, बाकी जो जमीन रह जाती है उसको कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये लैन्डलेस को या जिनके पास जमीन नहीं है उनके बीच में वितरण कराना चाहते हैं। मैं तो माननीय सदस्यों का और राजा साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने पतरौल व अमीनों की शिकायत करके मेरे गले से उस फंदे को निकाल दिया। उनके सुझावों को मैं कटुता में नहीं लेता क्योंकि उससे किसी का भी कल्याण नहीं होगा। हमने इसके लिये ८ करोड़ ३२ लाख ६६ हजार ५ सौ रुपये का अनुदान रखा है और पिछले वर्ष भी आपने इसके लिये ८ करोड़ ३२ लाख ९६ हजार ५ सौ रुपये मंजूर किये थे और हमारी सारी प्रोसीडिंग्स गत वर्ष जो आप की लिखी हुई हैं और उनमें माननीय सदस्यों के जितने भी सुझाव हैं उन सब को कमोबेश मैंने पढ़ा और आज की जो तकरीरें हुईं उनको सुना तो मुझे मालूम हुआ कि आज की बहस में और पिछले साल की बहस में कोई फर्क नहीं है—माननीय भगवान सहाय चले गये उन्होंने करप्शन की बहुत बातें कहीं, लेकिन उनको मालूम होना चाहिये कि ठठेरे ठठेरे में बदल उवल नहीं होती। वह किसी खास अफसर की शिकायत करें तो हम उसको देखने को तैयार हैं, जब हमारे यहां चकबन्दी में कई हजार अफसर हैं तो उनमें कोई ब्लैकशीप हो सकती हैं और अगर कोई केस आये तो माननीय सदस्यों की सलाह से हम उसकी जांच भी कर सकते हैं। अभी माननीय गंगवार जी ने एक ए० सी० ओ० की शिकायत की, हमने फौरन जांच के बाद उसकी सर्विसेज को टरमिनेट किया अर्थात् उसको नौकरी से निकाल दिया। आखिरकार किसान को राहत देना आप हम सभी चाहते हैं। कौन काम किसान को राहत पहुंचाने की दिशा में नहीं किया जा रहा है? वह विकास की योजनाओं में शरीक हो रहे हैं, उनके लिये सड़कें, कुयें, नहरें बनती चली जाती हैं, वेयर हाउसेज बन रहे हैं। हमारे जिले के लिये लाखों रुपया व्यय होने जा रहा है पैकेज प्रोग्राम में। बस्ती और बनारस का जिला उसमें लिया गया है उस सबसे किस का कल्याण होगा? कौन ऐसा व्यक्ति है जो किसानों को जो खेती बाड़ी करते हैं राहत देना नहीं चाहेगा? किसान को राहत हम नहीं देंगे तो और किस को देंगे। आखिरकार हम उसके साथ क्यों स्टेपमदरली ट्रीटमेंट करेंगे और ऐसा करके हम क्यों जो क्रेडिट हमें मिलने वाला है उसको लूज करेंगे? मैं ज्यादा तूल में जाना नहीं चाहता। अतः इस अनुदान का समर्थन करता हूं और सदन से गुजारिश करता हूं कि उसको स्वीकार करें। अच्छा हो कि हाथ में आटा लगा कर भंडारी बनने की कोशिश मेरे मित्र न करें। किसान की रक्षा

[श्री रामकुमार शास्त्री]

करने में उसको सहूलियत देने में ही प्रदेश का और सब का कल्याण है अगर उसकी तरक्की नहीं है तो न प्रदेश आगे बढ़ेगा और न हमारी किसी तरह की उन्नति सम्भव है।

श्री रणबहादुरसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, आन ए प्वाइंट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन। मैं कहना चाहता हूं कि मेरा जिक्र किया गया है....

श्री उपाध्यक्ष—

अब उसके लिये कोई अवसर नहीं है....

श्री रणबहादुरसिंह—

मेरा जिक्र किया गया है इसलिये बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि बस्ती जिले में जबरदस्ती वसूली की जा रही है और यहां पर पाले के नाते बहुत हानि हुई है और भुखमरी की नौबत आ गई है, लेकिन शास्त्री जी हमारे जिले के ही रहने वाले हैं....

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठें।

श्री राधेश्याम शर्मा—

उपाध्यक्ष जी, बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं अब आप समय ५-५ मिनट का ही दें ताकि अधिक सदस्य बोल सकें, किसानों का प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष—

अब आज तो ऐसे ही रहे, अभी कुंवर साहब जवाब देंगे, उसके बाद सरकार का उत्तर होगा और फिर वोटिंग होगी। अब समय नहीं है किसी के बोलने का, अब आप बैठें।

कुंवर श्रीपालसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे कटौती पर, उसके पक्ष में या विपक्ष में, अपना मत व्यक्त किया। कुछ बातें ऐसी कही गईं कि जिनके लिये कुछ न कुछ कहना आवश्यक है और खास कर हमारे शास्त्री जी ने जो बातें कहीं। जब वह खड़े हुये तो उन्होंने सब से पहले विरोध आंकड़ों का किया और कहा कि आंकड़ों द्वारा वह समझाना चाहते हैं जो कि इतिहास से आंखें बन्द रखना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने भाषण के दूसरे पैरा में ही स्वयं आंकड़ों का आश्रय लिया। चकबन्दी के सम्बन्ध में वह सिद्ध करने लगे कि क्या काम हुआ है, तो वह आंकड़ों का आश्रय लेकर ही सिद्ध करने लगे। इसी से सिद्ध हो सकता है कि आंकड़े सरकार ही के हैं मगर उसकी आवश्यकता जिस ढंग से पड़ती है उसी प्रकार से इस्तेमाल में लाये जाते हैं। जैसा मैंने पहले कहा था, किसानों के बारे में उनका लगान कायम करने के लिये एक सिद्धान्त होना चाहिये। माननीय शास्त्री जी ने सेलसबरी और थामस का हवाला दे दिया, मगर अपना नहीं बताया कि १९५० में जमींदारी अबोलीशन के समय स्वयं माल मंत्री ने उसी सिद्धान्त को दोहराया था। इतना ही नहीं, १९३१ में कांग्रेस ने, जिस पार्टी की यह सरकार है, प्रस्ताव पास किया था कि अलाभकर जोतों पर लगान नहीं होना चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता कि १९३१ में जो सिद्धान्त हमारे दोस्तों के मुंह से निकला था वह आज किस तरह पुनः भीतर चला जा रहा है।

यह भी कहा गया बराबर कि किसानों की हालत खराब होती जा रही है। माना चीजें तो सब अच्छी हो गईं मगर आंकड़े यही सिद्ध करते हैं कि उसकी हालत गिरती जा रही है। अभी शास्त्री जी ने कबूल किया कि जोतें छोटी होती जा रही हैं चकबन्दी के विषय में बताते हुए,

जिसकी वजह से उपज घटती जा रही है। १९२१ में ऐडवर्ड बाल्स के अनुसार ५.४२ एकड़ छोटी अलाभकर जोत थी, १९०१ में ७ एकड़ थी। १९५१ में ३.५ एकड़ हो गई और १९५९ से तो हमको आंकड़े ही नहीं मिल रहे हैं। जो पहले पाकेट बुक हमको मिलती थी वह बन्द कर दी गई, अब नहीं छपती इसलिये कि हमको कुछ मालूम न हो सके। अगर इस समय देखें तो शायद ३.५ एकड़ से शायद खिसक कर डेढ़ या २ एकड़ पर खसक गई होगी। तो बराबर जब जोत कम होती जा रही है, किसानों की आमदनी गिरती जा रही है, उस समय भी अपनी बात से मुकरना, हम कहते हैं हमारी बात न मानो, पर अपनी बात तो मानिये जो आपने स्वयं कही है, आप की पार्टी ने कही है। एक राज की जो साख होती है उसको कायम दूसरा राज भी रखने की कोशिश करता है। इसलिये आप हमारी बात न मानें पर अपनी कही तो मानें और अलाभकर जोतों को छोड़ दीजिये।

एक बात और है जो मैं कहना चाहता हूं कि गबन होता है सरकारी रुपये का, किसी कर्मचारी ने किया अब उसको सरकार न पकड़ सकी और न रुपया मिला, मगर जिस किसान ने दिया था वह फिर बकाया में फंस गया। उसके बकाया को छोड़ने के लिये सरकार के पास कोई तरीका नहीं है और न आज तक कोई तरीका निकाला गया। मगर किसान के जिम्मे जो रह गया है वह उसको दुबारा दे। तो यह एक चीज ऐसी है जिस पर सरकार को ध्यान देना आवश्यक है।

थोड़ी बात मैं श्री मिश्र जी के बारे में निवेदन कर दूं। बेचारे पानी मांग रहे थे तो उन्हें पानी दिलवा दीजिए। पहले उन्होंने कहा था कि ९ नदियां बह रही हैं और फिर कहा कि पानी नहीं है।

श्रीमान् जी, एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं। हमारे मडियाऊं में एक विश्वनाथ नाम के लेखपाल हैं। २० साल से वे वहीं मौजूद हैं। वहां रह कर, जैसा मुझे मालूम हुआ ५० हजार रुपया कमा चुके हैं। उनको तरक्की देकर और कानूनगो बनाकर भेजा गया परन्तु उन्होंने कहा कि हमें कानूनगोई नहीं चाहिए हम लेखपाल ही रहेंगे और मडियाऊं कस्बे में ही रहेंगे। वहां रह कर उन्होंने ५० हजार रुपया कमाया तो इस प्रकार से कुछ स्थानों पर भी गड़बड़ी है इन सारी चीजों के लिए अगर माननीय मंत्री जी थोड़ा टाइट करेंगे अपने डिपार्टमेंट को तो सारी चीजें तुरन्त दुरुस्त हो जायेंगी। जहां तक हमारे माननीय मंत्री जी का सम्बन्ध है, वे बहुत पुराने मेम्बर हैं। वे पन्त जी से भी सीनियर हैं। मंत्री पद पर भी रहते हुए उन्हें काफी समय हो गया है। वे इस चीज पर विचार करें कि वे पुराने अंग्रेजी सरकार मजहब के फ्राक को साड़ी न बनावें। हमारी सरकार जो सबसे बड़ी गलती करती है वह यह है कि अंग्रेजी सरकार के फ्राक को, जो उनकी कमर की नाप की थी किसी प्रकार से काट छांट कर अपनी साड़ी बनायेगी तो कम से कम उस फ्राक को उतार कर भारतीय सरकार को केसरी रंग की साड़ी पहनावें तो काम चल सकता है।

*श्री हुकुमसिंह विसेन—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र कुंवर श्रीपाल सिंह जी व अन्य साथियों का जो इधर और उधर, दोनों तरफ, बैठे हैं, बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस विवाद में अपने-अपने विचार व्यक्त किए और एक नियंत्रण के साथ उन्होंने सब बातें कहीं, जो कि इस सदन की मान मर्यादा के लिए उचित था। अगर हमारे कुछ मित्र आवेश में आकर बहक भी गये तो भी कोई बात नहीं, पर मुझे अफसोस है कि अगर मैं सीधी बात कहता हूं तो मेरे दोस्त हंसने लगते हैं। इसलिये मेरा कहना है कि अगर मेरी बात उन्हें पसन्द न हो तो रोने लगें। मैं एक साधारण सी बात कहता हूं। जहां तक कुंवर श्रीपाल सिंह जी का कहना है कि उन्होंने हमें बराबर याद दिलायी है कि मैं एक पुराना मेम्बर हूं। पंत जी से सिनियोरिटी की भी बात याद दिलायी। मैं जानता हूं कि आपने जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुकुम सिंह विसेन]

बात कही वह ठीक कही, लेकिन सैलसबरी और टौमस जोन्स के कथन को आपने पढ़ा । पर आपने इस असेम्बली की प्रोसीडिंग्स को नहीं पढ़ा । अगर पढ़ा होता तो इन बातों पर जोर दिया होता । न मालूम इस असेम्बली में अनएकोनौमिक होल्डिंग्स के प्रस्ताव कितने बार आये और फिर अस्वीकार हुए । अंग्रेजों के जमाने में एक पैसा भी किसानों के हितों में नहीं प्रयोग होता था । कुंवर साहब बतला सकते हैं कि काहे में खर्च होता था। राजा साहब चाहें तो स्कूल खोल दें, उन्हें अंग्रेजों से क्या ताल्लुक है ? जो कर किसानों से लिया जाता है उन्हीं के हित के लिये खर्च किया जाता है और वह बतलायें कि तब से हालात बदले हैं या नहीं ? सारा रुपया उनकी वहबूदी और डेवलपमेंट के लिये ही खर्च किया जाता है। उन्होंने कहा कि अपने प्रेडिसेसर की बात याद रखिये । एक जुमला एक मशहूर आदमी ने कहा था--

"Consistency is a virtue of an ass."

कलासिकल है यह जुमला । जैसी परिस्थिति हो इस डेवलपिंग इकोनामी में वैसे चलिये। एक लकड़ी से हांकियेगा तो सब खत्म हो जायगा । लिहाजा जैसा समय है उसके मुताबिक चलते हैं ।

कुंवर साहब ने कहा कि यह सरकार किसानों के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार करती है । मुझे अफसोस है जमींदारी अबोलीशन किया, सीलिंग लगाई तो यह सौतेली मां जैसा बर्ताव किया ? गरीब जिसे जमीन मिलेगी और जैसा राम कुमार जी ने बतलाया भी कितनी जमीन दी गयी, कितनी तोड़ने जा रहे हैं और कितनी और मिलेगी तो यह सब सौतेली मां जैसा बर्ताव है ? उनके लिये आप जैसे रिश्तेदारों को साफ कर दिया, अपने को साफ कर लिया तो यह सौतेली मां जैसा बर्ताव है ? किसान ऐसा नादान नहीं है जैसा कि आप समझते हैं । इसके अलावा हमने २५ फीसदी लेवी माफ कर दी तो यह सब सौतली मां जैसा बर्ताव है ? (व्यवधान) जरा ताम्मुल कीजिये । मेरी बात भी सुनिये । (व्यवधान) मैं नक्काल नहीं हूं । जो कुछ दूसरा सूबा करे उसे ही हम करें, जब आप आइयेगा नकल कीजियेगा । जरा सुनने की क्षमता लाइये । आप तो सख्त बात कहते भी हैं, लेकिन मैं तो नम्र निवेदन कर रहा हूं, फिर भी आप उसे सुनने को तैयार नहीं हैं और फिर कहेंगे कि मजाक में टाल दिया । सोते जागते किसान को राहत देने की बात सोचते हैं । पाला पत्थर पड़ जायं तो क्या हम शामियाना टांग दें ? कोई बात अकस्मात् आ जाती है तो हम भी बेबस हैं और आप भी बेबस हैं ।

विजयपाल सिंह जी ने एक बात कही कि चकबन्दी करने से पाला एक ही जगह गिरने से वह तबाह हो गया, स्केटर्ड जमीन रहती तो तबाह न होता । लेकिन स्केटर्ड जमीन रहने से रोज ही बरबाद रहता था । चकबन्दी से प्रोडक्शन बढ़ा है, किसान को फायदा हुआ है ।

कमला सिंह जी ने कहा कि बनारसीदास जी और मैं अपने दिमाग का संतुलन कर लें। हम तो दो हैं, संतुलन करने में दिक्कत होगी अगर वह अपने दिमाग का संतुलन कर लें, क्योंकि अकेले हैं, तो उसमें आसानी भी है । जो बात आसानी के साथ हो सकती है वह करने की चेष्टा कीजिये । आप कहते हैं कि चकबन्दी में सफाया होगा । गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील के १८ गांव चकबन्दी से अलग कर लिये गये हैं । आज वे हम से तकाजा कर रहे हैं कि हमारे गांवों को भी चकबन्दी में ले लीजिये । मैं खाली गाजीपुर की ही बात नहीं कहता, मैं तो सारे प्रदेश की बात कहता हूं ।

श्री कमलासिंह यादव--

जितना मैंने कहा अगर उसके खिलाफ बात हो तो आप अपने डायरेक्टर साहब से पूछ लीजिये ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

आपने जो कहा वह कहा, अब जो मैं कहता हूं वह भी सुनिये । मैं समझता था कि इन्हीं में क्षमता नहीं है, लेकिन आपमें भी क्षमता नहीं है । मैंने कोई बुरी बात तो कही नहीं और आखिर

तक कहूंगा भी नहीं । तो सूबे भर से हमारे यहां रिपोर्ट आती हैं कि हमारे यहां चकबन्दी नहीं हुई, करा दीजिये । तो क्या यह इसका असर है कि चकबन्दी खराब है ? मैं यह नहीं कहता कि जितने अफसर हैं सब दूध के धोये हैं । इतनी बड़ी फौज है, हर जगह हम तो चक बनाते नहीं, पड़ताल करते नहीं, तो हम सब इस बात का दावा नहीं कर सकते, मुमकिन है कुछ खराब हो, लेकिन जहां हम पकड़ पाते हैं तो फिर टर्मिनेट ही करते हैं फिर चाहे जितनी सिफारिश करिये । सैकड़ों की तादाद में हम हर साल खत्म करते हैं ।

लेखपालों की क्या बतायें । पहले पटवारी थे तो उनके खिलाफ एक आन्दोलन था । अब ये लेखपाल आ गये हमारे सिर का दर्द । मैं जानता हूं कि बजट शुरू होगा श्री राज्यपाल से और खत्म होगा श्री लेखपाल से । यह हमेशा का दस्तूर है । आखिरी वक्ता ने लेखपाल की बुराई की और हमने शुरू किया था कि श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं । जौनपुर में ऐसे-ऐसे जानवर हैं कि हम क्या करें ? माता प्रसाद जी माफ करें । आप मड़ियाहूं की बात करते हैं । वहां नरहू, घूरे, हुसेनी, न जाने कितने नाम आपने बताये, मुझे तो याद नहीं है कुंवर श्रीपालसिंह जानते हैं, अगर वे लिखकर दें देंगे तो हम डिपार्टमेंट से कहेंगे कि देखें ।

ट्रांसफर के बारे में भगवान सहाय जी ने कहा । बोर्ड आफ रेवेन्यू एप्वाइंटिंग और ट्रांसफरिंग अथारिटी है तहसीलदार और नायब तहसीलदार को, गवर्नमेंट नहीं करती है । उन्होंने एक जी० ओ० पढ़ा । वह उन्हें कैसे मिल गया हम नहीं जानते । अच्छा है, कोई छिपाने की बात नहीं है । कलेक्टर से इन्क्वायरी करायी गयी । उन्होंने कहा सब्सटेंशियेट नहीं होता है । तो फिर बोर्ड आफ रेवेन्यू क्या करे ? एक साहब थे हमारे मित्र तो जिस दिन होली के उपलक्ष में असेम्बली बन्द हो रही थी वे मेरे पास आये और कहा कि हमने शिकायत की थी, वह आपके पास रिपोर्ट नहीं आयी । रिपोर्ट तो आ गयी थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था, दफ्तर में थी । वे नाराज हो गये । चले गये । हम नम्रता बरतते रहे । हम समझ गये कि साढ़े ५ बजे हैं । १२ बजे की तो दूसरी बात है, लेकिन साढ़े ५ बजे बड़ा मुश्किल होता है । उसके बाद हमने इन्क्वायरी कराई तो मालूम हुआ कि ३३ आदमियों ने दरख्वास्त दी थी । जब इन्क्वायरी करने अफसर गये तो ३३ में से ३१ ने कहा कि हम नहीं जानते, दस्तखत करा लिये होंगे । ३२ वें साहब से पूछा तो कहा कि फलाना आदमी कहता था कि रिश्वत मांगी और ३३ वें साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने तो नहीं कहा । अब हम क्या करें ? मैंने उसका ट्रांसफर भी करा दिया जहां तक मुझे याद है ।

सुरजनराम जी ने तमाम बातें बतायीं । शास्त्री जी कहते हैं कि हमने उन्हें बुलाया, अफसरान को भी बुलाया लेकिन आपने कष्ट नहीं किया । तो वह मामला वहां का वहीं रह गया । तो हमारा हमेशा यह प्रयास रहता है और मैं आपको बता दूं कि लेखपाल जो बरखास्त होते हैं उनकी जब अपीलें आती हैं तो मैं बहुत सीरियसली देखता हूं । और जरा भी गुंजायश मिलती है तो डिसएलाऊ कर देता हूं । मैं जानता हूं कि काम वे करें और बदनामी हमारी है । हमने कमेटी मुकर्रर कर दी थी कि पटवारी रिमार्क के कालम इंदराज न करे । अब विजयसिंह जी कहते हैं कि कानूनगो भी गड़बड़ करेगा । अगर करेगा तो उस वक्त देखेंगे । पहले से ही किसी बात को सोच लेना कि वह गड़बड़ करेगा ठीक नहीं है । हमें विश्वास तो करना ही पड़ेगा । अगर यह न हो तो दुनिया का काम नहीं चलेगा । एक मर्तबा साबित हो जायगा तो मैं मानूंगा, लेकिन पहले से कोई राय कायम कर लेना, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है । हमारे भाई माननीय रणबहादुरसिंह जी मुझ से कुछ नाराज मालूम होते हैं । आखिर में वे खुश हो जायेंगे । जब तक वे सम्पर्क में नहीं आते हैं तभी तक नाराज हैं, लेकिन जब सम्पर्क में आयेंगे तो खुश हो जायेंगे । अपोजीशन के लोग भी मुझसे नाराज नहीं हैं । फिर इधर से कौन नाराज हो सकता है । अब राधे श्याम जी बराबर बोलते हैं तो यह कोई नाराजगी नहीं है बल्कि उनकी आदत है ।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों के हित में जितनी बातें हो सकेंगी सीमित दायरे में, मैं सब कुछ करूंगा । और लिबरली करूंगा । सेवा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम भी

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

पीछे नहीं रहना चाहते हैं। जो कुछ हमारे इमकान में है उसमें मैं कोताही नहीं करूंगा। इतना ही मैं कह सकता हूं। हमारी जबान पर तो लगाम लगी है। आप जैसी आजादी हमें नहीं है। माल विभाग ऐसा विभाग है जो चारों तरफ से नियंत्रित है। हमारे हाथ बिलकुल जकड़े हुये हैं। अगर आप कहें कि हम कुछ मैनुअल के खिलाफ करें तो हमारी हिम्मत नहीं हो सकती है। आप की तरह हम दो तरह की बात नहीं कहते हैं। हम चाहते हैं कि न किसानों का नुकसान हो और न उपभोक्ताओं का नुकसान हो। हम एक तरफ की बात नहीं कहना चाहते हैं। यह अनुदान ऐसा है कि आप को इसे स्वीकार करना चाहिये ताकि हम कार्य चलायें।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि मद-भू-राजस्व के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--

विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २--भू- राजस्व (मालगुजारी) के अन्तर्गत ८,३२,६६,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम कल साढ़े दस बजे दिन तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५ मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२ मार्च, १९६४ ई०।

अनुवाद सेवा

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२२ पर)

खीरी तथा पीलीभीत उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत हुए खर्चे का विवरण

खीरी उपनिवेशन योजना

		रुपये
(१)	सिंचाई विभाग के कर्मचारी तथा उपनिवेशन योजना के अधिकारी तथा कर्मचारी वर्ग के वेतन तथा भत्ते आदि के मद में ..	५,४१,४८१
(२)	अनियत धनराशि	१०,६५,४७९
(३)	पुनर्वासितों को सहायतार्थ दी गई धनराशि	३,३७,५००
(४)	पुनर्वासितों को दी गई ऋण की धनराशि	९,१५,०००
(५)	सड़कें पुल तथा पुलियों को बनाने में खर्च की गई धनराशि ..	२१,८९,४७५
(६)	भवन निर्माण (अस्पताल, स्कूल पुनर्वासितों के लिये मकान आदि) सिंचाई के साधनों के लिये कटीले तार तथा शारदा नदी के स्थित पुल को पाटने के कार्य करने आदि के मद से	२३,०७,८६१
	कुल ..	७३,५६,७९६

(ख) पीलीभीत उपनिवेशन योजना

१—अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन, तथा भत्ते आदि के मद में ..	५,७७,९४८
२—अनियत धनराशि	८,४९,७९४
३—पुनर्वासितों को सहायतार्थ दी गई धनराशि	२,१५,०००
४—पुनर्वासितों को कर्जे के रूप में दी गई धनराशि	६,९१,३१२
५—भवन, सड़कें, पुल तथा पुलिया बनवाने में खर्च की गई धनराशि ..	३२,५९,७०४
६—सिंचाई तथा पीने के पानी के साधन के लिये तथा जल निकास के लिये खर्च की गई धनराशि	५,२१,१०१
कुल ..	६१,१४,८५९

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४४२ पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र (१९६४) के १ले सोमवार को निर्धारित श्री होरी लाल यादव के तारांकित प्रश्न संख्या ५५ के प्रश्नोत्तर की प्रतिलिपि

प्रश्न

*५५—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सेन्ट्रल जेल, फतेहगढ़ से चोरी से निकाला गया बहुत सा सामान फर्रुखाबाद में बिकते हुये या बाहर जाते समय १ अक्तूबर, १९६३ से १५ दिसम्बर, १९६३ के बीच पकड़ा गया ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

उत्तर

*५५—१२/१३ नवम्बर, १९६३ की रात्रि को यह शिकायत मिलने पर कि फतेहगढ़ सेन्ट्रल जेल से कपड़े व सूत की गांठें चोरी से निकाली गई हैं, पुलिस ने छापा मार कर एक ट्रक पर लदा हुआ माल पकड़ लिया। कथित चोरी के माल के मालिक श्री मेवालाल द्वारा अदालत में प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर अदालत के आदेशानुसार माल उसे वापस दे दिया गया। आगे क्या कार्यवाही की जाय यह विचाराधीन है।

चतुर्भुज शर्मा,
कारागार मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी—ए० पी० २४२ एल० ए०—१९६४—८६०।